



सत्यमेव जयते

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए  
राज्य के वित्त



हिमाचल प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

राज्य के वित्त

हिमाचल प्रदेश सरकार



अनुक्रमणिका		
विषय	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
<b>अध्याय-I: राज्य सरकार के वित्त</b>		
परिचय	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	6
राजस्व प्राप्तियां	1.3	8
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	12
लोक लेखा प्राप्तियां	1.5	14
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	14
व्यय की गुणवत्ता	1.7	20
सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	22
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.9	27
ऋण प्रबंधन	1.10	30
राजकोषीय असंतुलन	1.11	37
राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.12	40
निष्कर्ष व संस्तुतियां	1.13	40
<b>अध्याय-II: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण</b>		
परिचय	2.1	43
विनियोजन लेखे का सारांश	2.2	43
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	44
विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	2.4	49
व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन	2.5	50
चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम	2.6	51
कोषों के निरीक्षण के परिणाम	2.7	54
निष्कर्ष व संस्तुतियां	2.8	56
<b>अध्याय-III: वित्तीय विवरण</b>		
प्रयुक्त प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	57
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के समक्ष रखने में विलम्ब	3.2	58
प्रदत्त अनुदानों/ऋणों के ब्यौरे का अप्रस्तुतीकरण	3.3	58
दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि	3.4	59
लेखाओं में गलत वर्गीकरण	3.5	60
निष्कर्ष व संस्तुतियां	3.6	60

## परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	शीर्षक	परिच्छेद	पृष्ठ
परिशिष्ट-1	राज्य रूपरेखा		
	क: सामान्य आंकड़े	1.1	63
	ख: वित्तीय आंकड़े	1.1	63
परिशिष्ट-1.1	भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप	-	64
	भाग-ख: वित्त लेखों की रूपरेखा	-	65
परिशिष्ट-1.2	भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति	-	67
	भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005	-	69
परिशिष्ट-1.3	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	1.1, 1.3 तथा 1.9.2	70
परिशिष्ट-1.4	भाग-क: वर्ष 2014-15 हेतु प्राप्ति एवं संवितरणों का सार	1.1.1	73
	भाग-ख: 31 मार्च 2015 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.1.1 तथा 1.9.1	76
परिशिष्ट-1.5	लिंग बजटीकरण	1.1.4	78
परिशिष्ट-1.6	2013-14 एवं 2014-15 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी	1.2.2	80
परिशिष्ट-1.7	हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्रास्थिति	1.8.2.2	82
परिशिष्ट-1.8	31.03.2015 तक विभिन्न इकाइयों/संस्थाओं से बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण	1.8.3.2	83
परिशिष्ट-2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों जिनमें अधिक व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी	2.3.1	84
परिशिष्ट-2.2	नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य	2.3.1.1	85
परिशिष्ट-2.3	नियमन के लिए अपेक्षित 2014-15 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य	2.3.1.1	86
परिशिष्ट-2.4	2014-15 के दौरान प्रावधानरहित व्यय	2.3.1.3	87
परिशिष्ट-2.5	मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.1.4	88
परिशिष्ट-2.6	विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए	2.3.1.4	89
परिशिष्ट-2.7	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.3.2	90
परिशिष्ट-2.8	व्यय का तीव्र प्रवाह	2.3.3	92
परिशिष्ट-2.9	विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ के अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी का विवरण	2.3.4	93

परिशिष्ट संख्या	शीर्षक	परिच्छेद	पृष्ठ
परिशिष्ट-2.10	वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.4.2	94
परिशिष्ट-2.11	वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.4.2	95
परिशिष्ट-2.12	31 मार्च 2015 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी	2.3.4.2	96
परिशिष्ट-2.13	निधियों को सरकारी लेखों के बाहर रखना	2.3.6	97
परिशिष्ट-2.14	(i) 2010-15 के लिए सार आकस्मिक तथा विस्तृत आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा (ii) सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन की विभागवार स्थिति	2.4	98
परिशिष्ट-2.15	31 मार्च 2015 को पी.डी.ए. में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी	2.5	99
परिशिष्ट-3.1	31 मार्च 2015 को बकाया पड़े प्रयुक्ति प्रमाण पत्र	3.1	102
परिशिष्ट-3.2	स्वायत्त निकायों का निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी	3.2	106
परिशिष्ट-3.3	चोरी, दुर्विनियोजन/हानि आदि के मामलों का विभागबद्ध तथा अवधिबद्ध ब्यौरा	3.4	107
परिशिष्ट-3.4	सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/श्रेणीबद्ध ब्यौरा	3.4	108
परिशिष्ट-3.5 (क)	2014-15 के दौरान लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा	3.5	109
परिशिष्ट-3.5 (ख)	क: 2014-15 के दौरान लघु शीर्ष 800- 'अन्य व्यय' के अंतर्गत राजस्व व्यय का विवरण ख: 2014-15 के दौरान लघु शीर्ष 800- 'अन्य व्यय' के अंतर्गत पूंजीगत व्यय का विवरण	3.5	110
परिशिष्ट-4	शब्दावली		111



## प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-I व अध्याय-II में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों व विनियोजन लेखों की जांच से उजागर मामलों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। जहां भी आवश्यक था, हिमाचल प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

'वित्तीय रिपोर्टिंग' पर अध्याय-III चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों से सम्बंधित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा प्रास्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम का प्रतिवेदन तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उजागर हुई अभ्युक्तियों से समाविष्ट प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों से अंतर्विष्ट प्रतिवेदन पृथक्-पृथक् रूप से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।





# कार्यकारी सारांश



## कार्यकारी सारांश

### भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के साथ-साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, जिसे 2011 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया, के अंतर्गत स्थापित बजट आकलनों, प्रकल्पित लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की ढांचागत रूप रेखा एवं महत्वपूर्ण प्राप्तियों का विश्लेषण करता है।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखों तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध है।

**अध्याय-I** वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2015 को हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह प्राप्तियों एवं संवितरणों, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय एवं निवेश की वित्तीय संवीक्षा, ऋण स्थायित्व तथा राजकोषीय असंतुलनों का समयावली लेखा उपलब्ध करवाता है।

**अध्याय- II** विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों के प्रचालन में कमियों तथा चयनित अनुदानों की संवीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता है।

**अध्याय- III** विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली की हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई अनुपालना की एक सूची है।

### लेखापरीक्षा परिणाम

#### अध्याय I

##### राज्य सरकार के वित्त

2011-12 के दौरान शून्य तक ले जाने तथा तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष बरकरार रखने हेतु अपेक्षित राजस्व घाटा लब्ध नहीं किया जा सका। राजस्व एवं राजकोषीय घाटा 2013-14 में क्रमशः ₹ 1,641 करोड़ एवं ₹ 4,011 करोड़ था जो 2014-15 में बढ़कर क्रमशः ₹ 1,944 करोड़ एवं ₹ 4,200 करोड़ हो गया जबकि प्राथमिक घाटा गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2014-15 में ₹ 179 करोड़ घट गया।

विगत पांच वर्षों में सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों तथा ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों में सरकारी निवेशों का औसतन प्रतिफल 3.81 प्रतिशत था जबकि सरकार ने उधारों पर 7.86 प्रतिशत के औसत ब्याज दर पर भुगतान किया था।

जुलाई 2005 तथा मार्च 2015 के मध्य पूर्णता हेतु नियत दो विभागों की 13 परियोजनाएं अभी भी अपूर्ण पड़ी थी (मार्च 2015)।

राज्य में सकल व्यय के समानुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र का व्यय विशेष श्रेणी राज्यों के वर्ष 2011-12 व 2014-15 के व्यय से क्रमशः 2.92 व 3.06 प्रतिशत कम था।

राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता नहीं दी गई है क्योंकि सकल व्यय पर पूंजीगत व्यय का प्रतिशतता अनुपात 2011-12 में 11.17 व 2014-15 में 10.88 है जो विशेष श्रेणी राज्यों के 2011-12 के 14.02 तथा 2014-15 के 14.22 के औसत अनुपात से कम है।

13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं ₹ 38,192 करोड़ थी तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 214 प्रतिशत थी। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों का हिस्सा 2010-11 में 49.45 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 59.06 प्रतिशत हो गया। 2017-18 तथा 2018-19 वर्षों के दौरान बकाया ऋण के क्रमशः 13.48 प्रतिशत तथा 13.83 प्रतिशत ऋणमुक्ति पर सार्थक दबाव सहित परिपक्व राशि आगामी सात वर्षों की तुलना में बकाया बाजार ऋणों की औसतन 9.53 प्रतिशत थी।

## अध्याय II

### वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदान/विनियोजन के अंतर्गत दर्ज ₹ 74.79 करोड़ का समग्र आधिक्य ₹ 1,510.90 करोड़ की बचतों द्वारा प्रतिसंतुलित ₹ 1,585.69 करोड़ के आधिक्य का निवल परिणाम था। 2009-14 वर्षों के ₹ 5,055.89 करोड़ के अतिरिक्त 2014-15 के ₹ 1,585.69 करोड़ के अधिक व्यय का राज्य विधान मण्डल द्वारा नियमन अपेक्षित है।

16 मामलों में वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 1,648.74 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक अभ्यर्पित) अभ्यर्पित किये गए थे। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के दृष्टान्त भी थे जिनके परिणामस्वरूप 54 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ एक करोड़ से अधिक का आधिक्य/बचतें हुईं।

बजट अनुदान को परहस्तगत होने से बचाने के लिए ₹ 58.79 करोड़ की राशि की निधियां आहत की गईं तथा सिविल जमाओं के अंतर्गत रखी गईं। 6 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक)

में प्राप्त किया गया कुल ₹ 343.99 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि इन मामलों में मूल प्रावधान व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त थे।

### अध्याय III

#### वित्तीय रिपोर्टिंग

31 मार्च 2015 तक ₹ 2,387.39 करोड़ की राशि के ऋणों एवं अनुदानों के सम्बंध में 15,539 प्रयुक्ति प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।

राज्य सरकार ने दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के ₹ 78.70 लाख सरकारी धन राशि से अन्तर्ग्रस्त 47 मामलों को प्रतिवेदित किया जिन पर जून 2015 तक अंतिम कार्रवाई लम्बित थी। इनमें से 41 मामले पांच वर्ष से पुराने थे।

2014-15 के दौरान ₹ 2,680 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 15.02 प्रतिशत) तथा ₹ 878 करोड़ (कुल व्यय का 3.94 प्रतिशत) राशि की प्राप्तियां 2014-15 के दौरान बहुप्रयोजन लघु-शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत की गई थी जिसने राज्य के लेखाओं को उस सीमा तक अपारदर्शी बना दिया।



# अध्याय-I

## राज्य सरकार के वित्त





## अध्याय - I

### राज्य सरकार के वित्त

#### 1.1 परिचय

यह अध्याय चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृश्य दर्शाता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों के दृष्टिगत विगत वर्ष से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय योगों में मुख्य परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। वर्ष 2013-14 में ₹ 1,641 करोड़ का राजस्व घाटा 2014-15 के दौरान ₹ 1,944 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2013-14 में ₹ 4,011 करोड़ का राजकोषीय घाटा बढ़कर 2014-15 के दौरान ₹ 4,200 करोड़ (परिशिष्ट 1.3) हो गया जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.39 प्रतिशत था। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (वर्ष 2011 में संशोधित) में निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। भारत सरकार द्वारा किये गये राज्यों के वर्गीकरण के आधार पर हिमाचल प्रदेश एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। जहां बिना विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता का अनुपात 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण है, वहीं हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार के रूप में वित्तीय सहायता का अनुपात 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण है।

#### राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र (55,673 वर्ग कि०मी०) की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह 20वां सबसे बड़ा राज्य है। जैसाकि परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या 2001 में 0.61 करोड़ से बढ़कर 2014 में 0.70 करोड़ हो गई, जिसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 11 प्रतिशत थी, जो अखिल भारतीय औसत (30 प्रतिशत) से कम थी। राज्य में विगत दशक में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तथा इसके राज्य सकल घरेलू उत्पाद<sup>1</sup> की मिश्रित विकास दर 2005-06 से 2014-15 की अवधि के लिए 15.02 प्रतिशत (परिशिष्ट 1) रही है।

चालू मूल्यों पर 2014-15 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 95,587 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 76.50 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 82.80 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गयी। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,04,943<sup>2</sup> थी।

#### सकल राज्य घरेलू उत्पाद

चालू मूल्यों पर राज्य तथा भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में इंगित किए गए हैं।

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत का सकल राज्य उत्पाद (करोड़ में)	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807	उपलब्ध नहीं
सकल राज्य उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.66	15.77	11.88	11.54	उपलब्ध नहीं
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ में)	56,980	66,448	76,259	85,841	95,587
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	18.24	16.62	14.76	12.57	11.35

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

चालू मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2010-15 की अवधि के दौरान अन्तः वर्षीय ह्रासोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाती है।

<sup>1</sup> परिशिष्ट-4 में शब्दावली का संदर्भ लें।

<sup>2</sup> अग्रिम आंकड़ा

### 1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 विगत वर्ष (2013-14) की तुलना में चालू वर्ष (2014-15) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है जबकि परिशिष्ट 1.4 विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण तथा समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

तालिका 1.2: राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

( ₹ करोड़ )

प्राप्तियां	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
	कुल	कुल		कुल	आयोजनेतर	योजनागत	योग
<b>प्रवर्ग -क: राजस्व</b>							
राजस्व प्राप्तियां	15,711	17,843	राजस्व व्यय	17,352	16,583	3,204	19,787
कर राजस्व	5,121	5,940	सामान्य सेवाएं	7,046	7,534	70	7,604
कर-भिन्न राजस्व	1,785	2,081	सामाजिक सेवाएं	6,706	5,734	1,717	7,451
संघीय करों/शुल्कों का भाग	2,491	2,644	आर्थिक सेवाएं	3,591	3,305	1,418	4,723
भारत सरकार से अनुदान	6,314	7,178	सहायता अनुदान व अंशदान	9	--	9	9
<b>प्रवर्ग -ख: पूंजीगत तथा अन्य</b>							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	650	पूंजीगत परिव्यय	1,856	42	2,431	2,473
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	17	41	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	531	--	--	474
लोक ऋण प्राप्तियां	4,050 <sup>3</sup>	10,877	लोक ऋण की चुकौती	1,704	--	--	8,260
आकस्मिकता निधि	--	--	आकस्मिकता निधि	--	--	--	--
लोक लेखा प्राप्तियां#	10,300	10,575	लोक लेखा संवितरण#	9,227	--	--	8,844
अथ रोकड़ शेष	(-) 295	(-) 887	अन्तिम रोकड़ शेष	(-) 887	--	--	(-) 739
योग	29,783	39,099	योग	29,783			39,099

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

# अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के शुद्ध आंकड़े राज्य संसाधनों के विश्लेषणार्थ लिए गए हैं।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

राजस्व प्राप्तियां	₹ 2,132 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़ीं। यह वृद्धि सहायता अनुदान (₹ 864 करोड़), कर राजस्व (₹ 819 करोड़), कर-भिन्न राजस्व (₹ 296 करोड़) तथा संघीय करों/शुल्कों में अंश (₹ 153 करोड़) में वृद्धि का शुद्ध परिणाम थी।
राजस्व व्यय	₹ 2,435 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़ गया। आयोजनेतर व्यय तथा योजनागत व्यय में यह वृद्धि क्रमशः ₹ 1,618 करोड़ तथा ₹ 817 करोड़ थी।
राजस्व घाटा	परिणामतः राजस्व घाटा ₹ 303 करोड़ (18 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 1,944 करोड़ हो गया। इससे यह भी इंगित है कि राज्य इस घाटे को पूरा करने के लिए उत्तरोत्तर उधार का आश्रय ले रहा था जो कि चिन्ताजनक है।
पूंजीगत व्यय	₹ 617 करोड़ (33 प्रतिशत) बढ़ गया।
लोक ऋण प्राप्तियां	प्राप्तियां ₹ 6,827 करोड़ (169 प्रतिशत) बढ़ गयीं जबकि लोक ऋण चुकौतियां ₹ 6,556 करोड़ (385 प्रतिशत) बढ़ीं।
लोक लेखा प्राप्तियां	₹ 275 करोड़ (तीन प्रतिशत) बढ़ीं तथा संवितरण ₹ 383 करोड़ (चार प्रतिशत) घटे।
अन्तिम नकद शेष	₹ 148 करोड़ बढ़ गया।

<sup>3</sup> वास्तविक मूल्य ₹ 4,050.70 करोड़

### 1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों के प्रति मुख्य राजकोषीय परिवर्तनों पर राज्य सरकार का निष्पादन निम्नवत् तालिका 1.3 क एवं ख में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3 ( क ): मुख्य राजकोषीय परिवर्तन

राजकोषीय परिवर्तन	2014-15				
	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट/ एम0टी0एफ0पी0एस0 <sup>#</sup> में प्रस्तावित/प्रक्षिप्त लक्ष्य	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत परिवर्तन	
				राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्य	बजट/ एम0टी0एफ0पी0एस0 <sup>#</sup> में प्रस्तावित/प्रक्षिप्त लक्ष्य
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) ( करोड़ में )	राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण	(-)3,262	(-)1,944	राजस्व घाटा	लक्ष्य लब्ध
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद ( प्रतिशत में )	(-) 3.00 या कम	(-)5.74	(-) 4.39	(-) 1.39	लक्ष्य लब्ध
सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर सरकार के कुल बकाया ऋण* का अनुपात ( प्रतिशत में )	40.10	37.58	39.96	लक्ष्य लब्ध	(-)2.38

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

#मीडियम टर्म फिस्कल प्लान स्टेटमेण्ट

\*इसमें राज्य सरकार के लोक ऋण तथा अन्य उत्तरदायित्व शामिल हैं।

उपर्युक्त तालिका से निम्नोक्त महत्वपूर्ण तथ्य उद्भूत हुए:

- एफ0आर0बी0एम0 एक्ट के प्रक्षेप/निर्धारण के अनुसार राज्य सरकार ने एम0टी0एफ0पी0एस0 के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए।
- एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्धारित राजस्व अधिशेष पर कायम रहने के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में राजस्व घाटा ₹ 1,944 करोड़ था।
- एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्धारित 3.00 प्रतिशत या कम लक्ष्य के सापेक्ष राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.39 प्रतिशत था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर कुल बकाया ऋण का अनुपात एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में उल्लिखित लक्ष्य के अर्न्तगत था।

तालिका 1.3 ( ख ): वर्ष 2010-15 के लिए राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राजकोषीय घटक	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15				
	ल	प्र	वा	ल	प्र	वा	ल	प्र	वा	ल	प्र	वा	ल	प्र	वा		
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) ( करोड़ में )	*	--	(-) 1,235	*	--	645	*	355	(-) 576	*	(-)	(-) 1,810	1,641	*	(-)	(-) 3,262	1,944
राजकोषीय घाटा ( जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में )	3.5	5.08	4.83	3.00	2.70	2.59	3.00	2.88	4.13	3.00	2.85	4.86	3.00	5.74	4.39		
जी0एस0डी0पी0 पर सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात ( प्रतिशत में )	49.70	56	58	47.00	44.00	31	44.40	40.10	39.70	42.10	37.95	41.03	40.10	37.58	39.96		

ल: तेरहवें वित्त आयोग/एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्धारित लक्ष्य

प्र: एम0टी0एफ0पी0एस0 में प्रस्तावित प्रक्षेप/लक्ष्य

वा: वास्तविक आंकड़े


\*: राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण

- तालिका 1.3 (ख) में यथाप्रदर्शित पाँच वर्षों की अवधि के लिए एम0टी0एफ0पी0एस0 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की जाँच से स्पष्ट है कि उन्हें तेरहवें वित्त आयोग/एफ0आर0बी0एम0 एक्ट की अपेक्षाओं की पूर्ण अनदेखी करके निर्धारित किया गया था।
- 31 मार्च 2015 को समाप्त पांच वर्षों में 2011-12 को छोड़कर किसी भी वर्ष में जी0एस0डी0पी0 के तीन प्रतिशत या कम राजकोषीय घाटे व राजस्व अधिशेष कायम रखने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया था।

### 1.1.3 बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रलेख एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के प्रक्षेपों का विवरण अथवा आय तथा व्यय के अनुमान उपलब्ध करवाते हैं। समूचे आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के संदर्भ में राजस्व तथा व्यय के प्राक्कलन की शुद्धता का महत्व व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। 2014-15 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े चार्ट 1.1 में दर्शाए गये हैं:

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय मापदंड: वास्तविक आंकड़ों की तुलना में बजट प्राक्कलन



बजट प्राक्कलन	5,338	1,389	16,522	19,784	2,750	1,952	(-) 3,262	(-) 5,355	(-) 2,605
वास्तविक आंकड़े	5,940	2,081	17,843	19,787	2,849	2,473	(-) 1,944	(-) 4,200	(-) 1,351

स्रोत: आय तथा व्यय (जनवरी 2015) तथा वित्त लेखे 2014-15/वार्षिक वित्तीय विवरण 2014-15 की समीक्षा

जैसा कि चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, अनेक मापदंडों के मामले में बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक आंकड़ों में बहुत भिन्नताएं थी।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि राजस्व, प्राथमिक व राजकोषीय घाटे में वैविध्य मूलतः प्राक्कलनों की तुलना में अधिक राजस्व वसूली से हुआ जो कि सराहनीय था लेकिन इससे यह भी प्रश्न पैदा होता है कि बजट प्राक्कलन अवास्तविक थे और उन्हें राजस्व की वसूली प्रवृत्ति की बेहतर सूचना व समझ पर आधारित होना चाहिए था।

### 1.1.4 लिंग बजटीकरण

14 नवम्बर 2008 को सामाजिक, न्याय तथा अधिकारिता विभाग में लिंग बजटीकरण कक्ष का गठन किया गया था, किन्तु सामाजिक, न्याय तथा अधिकारिता विभाग का दो विभागों अर्थात् महिला एवं बाल विकास और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले में विभाजन के उपरांत वर्ष 2013 में महिला तथा बाल विकास विभाग में लिंग बजटीकरण कक्ष का गठन किया गया था। महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु 100 प्रतिशत की आवंटन सीमा तक 19 स्कीमें थीं तथा वर्ष 2014-15 के दौरान पांच स्कीमें आंशिक आवंटन की थीं, जिनके अन्तर्गत परिव्यय किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में उल्लेख किया गया है। इन स्कीमों में ₹ 282.13 करोड़ के कुल परिव्यय के प्रति वर्ष 2014-15 के अन्त तक ₹ 13.51 करोड़ के अधिक व्यय सहित ₹ 295.64 करोड़ की राशि खर्च की गयी थी।

### 1.1.5 हाल के वर्षों के बजटों में मुख्य नीतियां बनाने के लिए पहल

2014-15 का बजट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार ने मुख्य रूप से निर्धन तथा दलित को ध्यान में रखते हुए राज्य तथा समाज के क्रमशः सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास की प्रतिबद्धता की थी। 2014-15 के दौरान सरकार की कुछ मुख्य नीतियों के अन्तर्गत इन स्कीमों पर बजट प्रावधान एवं किये गये वास्तविक व्यय को तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: मुख्य नीतियां बनाने के लिए पहल, बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़)




क्रमांक	स्कीम का नाम	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्त बजट	व्यय	प्राप्त वास्तविक बजट पर व्यय प्रतिशत
1	एकीकृत शिशु विकास सेवाएँ	200.97	254.73	254.73	243.38	95.54
2	शुक्राणु स्टेशन पालमपुर में तरल नाइट्रोजन गैस संयन्त्र लगाना	4.00	4.21	4.30	4.21	97.91
3	डा0 वाई0एस0 परमार किसान स्वरोजगार योजना	20.00	13.45	13.45	13.45	100
4	एकीकृत जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम	17.00	-	-	59.38*	-

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

\*गत वर्षों के अथशेष से व्यय किया गया।

यद्यपि एकीकृत जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम के संचालनार्थ राज्य के बजट में ₹ 17 करोड़ का प्रावधान था लेकिन सरकार द्वारा बजट नहीं दिया गया। इसके अलावा लोक निजी भागीदारी कक्ष की स्थापना के लिए बजट भाषण में घोषणा के बावजूद भी सितम्बर 2015 तक इस कक्ष का शुभारम्भ नहीं हुआ क्योंकि इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार ने कोई बजट उपलब्ध नहीं करवाया।

## 1.2 राज्य के संसाधन




### 1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

प्राप्तियों के राजस्व तथा पूंजीगत दो भाग हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करते हैं। राजस्व प्राप्तियां कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्वों, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं। पूंजीगत प्राप्तियां विनिवेशों से आगमों, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंतर्निष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त संवितरण के बाद लोक लेखों में उपलब्ध निधि का भी सरकार द्वारा घाटे को पोषित करने हेतु उपयोग

किया जाता है। **तालिका 1.2** वार्षिक वित्त लेखों में अभिलिखित वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाती है, जबकि **चार्ट 1.2**, 2010-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है। उपर्युक्त फ्लोचार्ट वर्ष 2014-15 के संसाधनों के संघटक तथा उप-संघटक दर्शाता है।

जैसाकि उपर्युक्त फ्लोचार्ट से स्पष्ट है, 2014-15 के दौरान ₹ 31,142 करोड़ की कुल प्राप्तियां 57 प्रतिशत की राजस्व प्राप्तियों, 37 प्रतिशत की पूंजीगत प्राप्तियों तथा छः प्रतिशत की निवल लोक लेखा प्राप्तियों से समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश, कर राजस्व, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्य का अंश तथा कर-भिन्न राजस्व क्रमशः 40 प्रतिशत, 33 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत था।

(₹ करोड़)



विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां 49 प्रतिशत बढ़ कर ₹ 20,851 करोड़ से ₹ 31,142 करोड़ हो गईं। वर्ष 2013-14 में ₹ 4,067 करोड़ से ₹ 7,501 करोड़ (184 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 11,568 करोड़ हुई वृद्धिकारी ऋण प्राप्तियों (बाजार ऋण, अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष) से प्रेरित पूंजीगत प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि से मुख्यतः कुल प्राप्तियों में उत्प्लावकता आई।

उपर्युक्त चार्ट 1.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान राजस्व एवं निवल लोक लेखा प्राप्तियों ने काफी एकरूप वृद्धि प्रदर्शित की जबकि गत वर्ष की अपेक्षा पूंजीगत प्राप्तियाँ महत्वपूर्ण रूप से बढ़ीं। उधारों (पूंजीगत प्राप्तियाँ) में 184 प्रतिशत की अत्याधिक वृद्धि के कारण राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का अंश वर्ष 2013-14 के 75 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2014-15 में 57 प्रतिशत हो गया।

राजस्व प्राप्तियां 2010-11 के ₹ 12,711 करोड़ से 40 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 17,843 करोड़ हो गईं, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां बढ़ कर (270 प्रतिशत) 2010-11 में ₹ 3,130 करोड़ से वर्ष 2014-15 में ₹ 11,568 करोड़ हुईं। निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ 2010-11 के ₹ 1,345 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 711 करोड़ रह गईं तथापि 2010-11 से 2014-15 की पंचवर्षीय अवधि में वृद्धि ₹ 386 करोड़ (29 प्रतिशत) थी।



### 1.2.2 भारत सरकार द्वारा राज्य बजट के बाहर के राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियां

सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को काफी मात्रा में निधियों का अंतरण किया जा रहा है जो कि राज्य बजट/कोषागार के माध्यम से नहीं होता है।


अब इन निधियों को बजट के माध्यम से देने के केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार ये निधियाँ वर्ष 2013-14 के ₹ 1,671.30 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 में ₹ 278.55 करोड़ रह गयीं। इन्हें मुख्यतः एन0आई0टी0, हमीरपुर (₹ 60 करोड़) व आई0आई0टी0 मण्डी (₹ 51 करोड़), परिवहन उपदान स्कीम (एच0पी0एस0आई0डी0सी0) (₹ 16.24 करोड़) व अन्य विविध अभिकरणों (₹ 151.31 करोड़) को हस्तान्तरित किया गया था ( परिशिष्ट 1.6 )।

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 2014-15 के दौरान ₹ 278.55 करोड़ सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए जाने से राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹ 39,986 करोड़ से बढ़ कर ₹ 40,265 करोड़ हो गई। इन निधियों का अनुश्रवण करने के लिए राज्य में अभी तक कोई अलग अभिकरण नहीं है और यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से तैयार कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि एक विशेष वर्ष में वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई।

### 1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखों के विवरण संख्या-14 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है। राजस्व प्राप्तियां राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्वों, केन्द्रीय कर अंतरणों तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं। 2010-15 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति का परिशिष्ट 1.3 में उल्लेख किया गया है तथा इन्हें चार्ट 1.3 में भी दर्शाया गया है।

(₹ करोड़)



- राजस्व प्राप्तियां 12 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि की दर पर 2010-11 में ₹ 12,711 करोड़ से 2014-15 में निरंतर बढ़कर ₹ 17,843 करोड़ हो गई, किन्तु 2014-15 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- 2014-15 के दौरान 45 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां करें तथा कर भिन्न राजस्व से समाविष्ट राज्य के अपने संसाधनों से आई तथा शेष 55 प्रतिशत केन्द्रीय करें तथा शुल्कों (15 प्रतिशत) में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (40 प्रतिशत) से समाविष्ट केन्द्रीय अन्तरण के रूप में आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.5 में प्रस्तुत है।

तालिका 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व प्राप्तियां ( ₹ करोड़ में )	12,711	14,543	15,598	15,711	17,843
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर ( प्रतिशत )	22.86	14.41	7.25	0.72	13.57
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ( ₹ करोड़ में )	56,980	66,448	76,259	85,841	95,587
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ( प्रतिशत )	18.24	16.62	14.76	12.57	11.35
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद( प्रतिशत )	22.31	21.89	20.45	18.30	18.67
<b>उत्प्लावकता अनुपात<sup>1</sup></b>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.25	0.87	0.49	0.06	1.20
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर की उत्प्लावकता	2.28	0.77	0.85	0.85	1.41

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2010-11 के 18.24 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 11.35 प्रतिशत हो गई।
- राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2010-11 के 22.86 प्रतिशत से निरन्तर घटकर 2013-14 में 0.72 प्रतिशत रह गयी लेकिन मुख्यतः 2014-15 में बजट के माध्यम से भारत सरकार के केन्द्रीय अन्तरण देने व अपने संसाधनो से राजस्व में 16.14 प्रतिशत वृद्धि से गत वर्ष की तुलना में 13.57 प्रतिशत की वृद्धि से वर्तमान वर्ष (2014-15) में इसने सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित की।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 2010-14 के दौरान लगातार 1.25 से 0.06 तक घटती राजस्व उत्प्लावकता राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि व सकल राज्य घरेलू उत्पाद की ह्रासोन्मुखी दर के कारण 2014-15 में 1.20 तक बढ़ गई।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर की उत्प्लावकता जो 2010-11 के 2.28 से घटकर 2011-12 में 0.77 रह गई थी तत्पश्चात् 2014-15 में निरन्तर बढ़कर 1.41 हो गयी।

### 1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करें तथा सहायता अनुदान में राज्य के शेयर का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधनों की गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निर्धारण अपने करें तथा कर-भिन्न स्रोतों से समाविष्ट अपने संसाधनों के संदर्भ में किया गया।

तेरहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों द्वारा किये गये निर्धारण की तुलना में वर्ष 2014-15 के राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.6 में दी गयी हैं।

तालिका 1.6: प्रक्षेपों/प्राक्कलनों से सम्बन्धित वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशत भिन्नता

( ₹ करोड़ )

	13वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आधिक्य का प्रतिशत परिवर्तन	
				13वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप
कर राजस्व	5,406	5,338	5,940	9.88	11.28
कर भिन्न राजस्व	1,744	1,389	2,081	19.32	49.82

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

<sup>4</sup> परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

वास्तविक कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपों से क्रमशः 9.88 प्रतिशत तथा 19.32 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2014-15 के बजट आकलनों/एम0टी0एफ0पी0एस0 की तुलना में कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व दोनों ही 11.28 तथा 49.82 प्रतिशत अधिक थे। यह भी इंगित है कि कर-भिन्न राजस्व सम्बन्धी एम0टी0एफ0पी0एस0 प्रक्षेप अधोगामी थे।

### 1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़)

राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,101 (41)	2,477 (18)	2,728 (10)	3,141(15)	3,661(17)
राज्य आबकारी	562 (12)	707 (26)	810 (15)	952 (18)	1,044(10)
वाहन कर	163 (22)	176 (8)	196 (11)	208 (6)	220 (6)
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	133 (18)	155 (17)	173 (12)	188 (9)	190(1)
विद्युत कर एवं शुल्क	302(241)	185(-39)	262(42)	191(27)	333 (74)
भू-राजस्व	5 (- 67)	18 (260)	24 (33)	10 (-58)	17(70)
माल तथा यात्री कर	93 (4)	94 (1)	101 (7)	105 (4)	110(5)
अन्य कर	284 (44)	296 (4)	332 (12)	326 (-2)	365(12)
<b>योग</b>	<b>3,643 (42)</b>	<b>4,108 (13)</b>	<b>4,626(13)</b>	<b>5,121 (11)</b>	<b>5,940 (16)</b>

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि इंगित करते हैं।

कर राजस्व 2010-15 के दौरान ₹ 2,297 करोड़ (63 प्रतिशत) बढ़ गया और गत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान ₹ 819 करोड़ (16 प्रतिशत) बढ़ा। मुख्यतः (क) वैट के अन्तर्गत कर संग्रहण में वृद्धि के कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर में ₹ 520 करोड़ (17 प्रतिशत); (ख) मुख्यतः नए पावर प्रोजेक्टों से मुफ्त विद्युत अंश की प्राप्ति के कारण राज्य आबकारी में ₹ 92 करोड़ (10 प्रतिशत) तथा (ग) विद्युत कर एवं शुल्क में ₹ 142 करोड़ (74 प्रतिशत) की वृद्धि से कर राजस्व में सभी मुख्य करों एवं शुल्कों में वृद्धि दर्ज की गयी।

### 1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व की स्थिति तालिका 1.8 में दी गई है।

तालिका 1.8: कर-भिन्न राजस्व के संघटक

(₹ करोड़)

राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ब्याज प्राप्तियां	70 (-9)	115 (64)	70 (-39)	119 (70)	101(-15)
लाभांश तथा लाभ	64 (-14)	86 (34)	100 (16)	103 (3)	171(66)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां, जिनमें से	1,561 (-4)	1,714 (10)	1,207 (-30)	1,563 (29)	1,809(16)
विविध सामान्य सेवाएं	2 (50)	40 (1900)	9(-78)	6(-33)	3(-50)
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	82 (-2)	104(27)	112(8)	157(40)	161(3)
वानिकी तथा वन्य जीवन	65 (-10)	107(65)	64(-40)	358(459)	116(-68)
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	31 (82)	26(-16)	46(77)	26(-43)	36(38)
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	114(34)	120(5)	148(23)	111(-25)	162(46)
विद्युत	1,093(-10)	1,146(5)	637(-44)	696(9)	1,122(61)
अन्य	174 (9)	171(-2)	191(12)	209(9)	209(-)
<b>योग</b>	<b>1,695 (-5)</b>	<b>1,915 (13)</b>	<b>1,377 (-28)</b>	<b>1,785 (30)</b>	<b>2,081(-17)</b>

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/घाटा इंगित करते हैं।

कर-भिन्न राजस्व गत वर्ष की अपेक्षा 2014-15 में ₹ 296 करोड़ (17 प्रतिशत) बढ़ गया। 2014-15 में अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों ने 16 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई। कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि मुख्यतः विद्युत क्षेत्र में ₹ 426 करोड़ (61 प्रतिशत), अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग में ₹ 51 करोड़ (46 प्रतिशत) व लाभांश एवं लाभ में ₹ 68 करोड़ (66 प्रतिशत) के अन्तर्गत थी जो वानिकी एवं वन्य जीवन में ₹ 242 करोड़ (68 प्रतिशत) तथा ब्याज प्राप्तियों में ₹ 18 करोड़ (15 प्रतिशत) के हास से प्रतिसंतुलित हुई।

### 1.3.1.3 संग्रहण लागत

2014-15 के दौरान बिक्री, व्यापार पर कर के संग्रहण पर व्यय ₹ 2.98 करोड़, राज्य आबकारी पर ₹ 3.91 करोड़, माल तथा यात्री कर पर व्यय ₹ 33.98 करोड़, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस पर ₹ 1.69 करोड़, वाहन कर ₹ 2.97 करोड़ तथा विद्युत पर व्यय ₹ 1.82 करोड़ था। राजस्व के सकल संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत क्रमशः 0.08, 0.37, 30.88, 0.89, 1.35 तथा 0.55 था। माल व यात्री कर (30.88) में संग्रहण प्रभारों की प्रतिशतता राजस्व के अन्य शीर्षों की तुलना में अधिक थी।

### 1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 1.9: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर-योजना अनुदान	2,634	2,647	2,526	2,025	1,199
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	2,680	3,342	4,179	3,765	4,333
केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	1	27	28	17	31
केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	343	505	580	507	1,615
<b>योग</b>	<b>5,658</b>	<b>6,521</b>	<b>7,313</b>	<b>6,314</b>	<b>7,178</b>
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	10.36	15.25	12.15	(-)13.66	13.68
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	45	45	47	40	40

2010-13 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल सहायता अनुदान ₹ 5,658 करोड़ से बढ़ कर ₹ 7,313 करोड़ (तालिका 1.9) हो गए किन्तु वर्ष 2013-14 के दौरान यह ₹ 999 करोड़ घटकर ₹ 6,314 करोड़ हो गए जो कि मुख्यतः तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों में ₹ 554 करोड़ तथा राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदानों में ₹ 414 करोड़ की कमी के कारण हुआ था। चालू वर्ष (2014-15) के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 864 करोड़ बढ़ गए जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। 2010-15 की अवधि के दौरान इसकी राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिशतता 40 तथा 47 प्रतिशत के मध्य थी। 2014-15 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल अनुदानों में गैर-योजना अनुदानों, राज्य एवं केन्द्रीय योजना स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों का अंशदान क्रमशः 17, 60 तथा 23 प्रतिशत था।

### 1.3.3 केन्द्रीय कर अंतरण

केन्द्रीय कर अन्तरण 2013-14 के ₹ 2,491 करोड़ से ₹ 153 करोड़ (छ:प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 2,644 करोड़ हो गए जैसा कि तालिका 1.10 में दिया गया है।

तालिका 1.10: वर्ष 2013-14 व 2014-15 के दौरान केन्द्रीय कर अन्तरण

(₹ करोड़)

कर	तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति	2013-14 के वास्तविक आँकड़े	2014-15 के वास्तविक आँकड़े	भिन्नता
निगम कर	केन्द्रीय करों की शेर करने योग्य राशि का 32 प्रतिशत राज्यों को	837.99	923.41	85.42
आय कर		551.79	659.41	107.62
सम्पत्ति कर		2.30	2.50	0.20
सीमा शुल्क		406.54	427.66	21.12
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		287.13	241.48	(-) 45.65
सेवा कर		405.77	389.69	(-) 16.08
आय व व्यय पर अन्य कर		-	0.02	0.02
योग			2,491.52	2,644.17

### 1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति तालिका 1.11 में दी गई है।

तालिका 1.11: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पूंजीगत प्राप्तियां	3,130	2,009	3,392	4,067	11,568
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर ( प्रतिशत)	20.99	(-) 35.81	68.84	19.89	184.44
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	646	-	-	-	650
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	73	25	21	17	41
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर ( केवल ऋण व अग्रिम )	114.71	(-) 65.75	(-) 16.00	(-) 19.05	141.18
लोक ऋण प्राप्तियां	2,411	1,984	3,371	4,050	10,877
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 5.56	(-) 17.71	69.91	20.14	168.57

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि पूंजीगत प्राप्तियां 2010-11 में ₹ 3,130 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 11,568 करोड़ हो गई। वर्ष 2014-15 के दौरान विगत वर्ष (2013-14) की तुलना में पूंजीगत प्राप्तियों में 184 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ ₹ 7,501 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली ₹ 24 करोड़ बढ़ गई, जबकि लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 6,827 करोड़ (168.57 प्रतिशत) बढ़ गई। पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोतों के ब्यौरे अनुवर्ती पैरों में विवेचित किए गए हैं।

#### 1.4.1 विनिवेश से लाभ

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 650 करोड़ की विविध पूंजीगत प्राप्तियां पूंजीगत विनिवेश से प्राप्त शुद्ध लाभ थीं।

#### 1.4.2 ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश एग्री उद्योग निगम, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगमों, आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए थे। 31 मार्च, 2015 तक कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹ 2,346 करोड़ थे। इसमें से राज्य सरकार ने केवल 2013-14 के दौरान ₹ 17 करोड़ तथा 2014-15

के दौरान ₹ 41 करोड़ वसूल किए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के रूप में ₹ 65 करोड़ प्राप्त किए गए। ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत स्थिति पैरा 1.8.3 में वर्णित है।

### 1.4.3 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां

आन्तरिक स्रोतों अर्थात् बाजार ऋण/विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार से ऋण प्राप्तियाँ 2010-11 से 2014-15 तक निरन्तर राज्य सरकार की प्राप्तियों के स्रोत बने रहे। तालिका 1.12 से स्पष्ट है कि आन्तरिक ऋण के रूप में ₹ 10,752 करोड़ प्राप्त किए गए जो कि गत वर्ष से ₹ 6,761 करोड़ (169 प्रतिशत) अधिक थे। इसमें से ऋण दायित्व हेतु ₹ 8,193 करोड़ की चुकौती की गई।

तालिका 1.12: आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बाजार ऋण	645(27)	1,325 (70)	2,359 (73)	2,367 (59)	2,345 (22)
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	761 (32)	279(14)	471(15)	617(15)	1,102 (10)
अर्थोपाय अग्रिम ( अधिविकर्ष सहित )	-	-	-	629(16)	6,860 (64)
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	300(13)	300(16)	400(12)	350(9)	400(4)
अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण	666(28)	--	9(--)	28(1)	45(--)
आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ	2,372	1,904	3,239	3,991	10,752
आन्तरिक ऋण चुकौतियाँ	808	1,034	2,056	1,639	8,193

कोष्ठकों के आंकड़े आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं

विगत पाँच वर्षों में आन्तरिक ऋण के मुख्य घटक बाजार ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि व राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे। वर्ष 2014-15 में गत वर्ष की अपेक्षा राष्ट्रीय लघु बचत निधि से ऋणों की राशि ₹ 485 करोड़ (79 प्रतिशत) बढ़ गयी। आन्तरिक ऋण प्राप्ति में बेतहाशा वृद्धि वर्ष के दौरान लिए गए अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष में तीव्र वृद्धि से उत्पन्न हुई। वर्ष 2013-14 में अर्थोपाय अग्रिम और अधिविकर्ष के माध्यम से ₹ 629 करोड़ का उधार लिया गया। वर्ष 2014-15 में यह 10 गुना से भी अधिक बढ़कर ₹ 6,860 करोड़ हो गया।

### 1.4.4 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

विगत पाँच वर्षों के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.13 में दी गई है।

तालिका 1.13: भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिमों की स्थिति

(₹ करोड़)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अथ शेष	984	961	947	1,018	1,012
वर्ष के दौरान जोड़	39	80	132	59	125
वर्ष के दौरान निस्तारण	62	94	61	65	67
अंत शेष	961	947	1,018	1,012	1,070
कुल व्यय की प्रतिशतता	6	6	5	5	5

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 125.31 करोड़ राज्य योजनागत स्कीमों के लिए ऋण व अग्रिम के रूप में दिए।

## 1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचंत, जमाओं, आदि जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं, के संदर्भ में प्राप्तियों तथा संवितरणों को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत संस्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मत की शर्ताधीन नहीं हैं। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरणों के बाद बकाया वह उपलब्ध निधि होती है, जिसका सरकार उपयोग कर सकती है। वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति तालिका 1.14 में दी गयी है।

तालिका 1.14: 2013-14 और 2014-15 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा संवितरण		संवितरणों पर प्राप्ति आधिक्य	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	2,772	3,153	1,886	1,968	886	1,185
आरक्षित निधि	153	161	151	159	02	02
जमा तथा अग्रिम	1,973	2,222	1,766	1,718	207	504
उचंत तथा विविध	499	487	498	459	01	28
प्रेषण	4,903	4552	4,926	4,540	(-)23	12
<b>कुल</b>	<b>10,300</b>	<b>10,575</b>	<b>9,227</b>	<b>8,844</b>	<b>1,073</b>	<b>1,731</b>

निवल लोक लेखा प्राप्तियां= लोक लेखा प्राप्तियां- लोक लेखा संवितरण

जैसा कि उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निवल लोक लेखा प्राप्तियां (संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य) 2013-14 के ₹ 1,073 करोड़ से ₹ 658 करोड़ बढ़कर 2014-15 में ₹ 1,731 करोड़ हो गयीं। विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 में लघु बचतों, भविष्य निधि, आदि के अंतर्गत निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 299 करोड़ बढ़ गयीं, जबकि इसी अवधि के दौरान जमा तथा अग्रिम ₹ 297 करोड़ बढ़े।


## 1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उनके द्वारा सौंपे जाते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के कार्य ढांचे में घाटों अथवा उधारों के माध्यम से वित्तपोषित सार्वजनिक व्यय उठाने में बजट बाधाएं आती हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय शुद्धता तथा समेकन प्रक्रिया व्यय की लागत पर नहीं है, विशेषतः जब व्यय सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किया गया हो।

### 1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

**चार्ट-1.4** विगत पांच वर्षों (2010-15) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन प्रस्तुत करता है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' व 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' की दृष्टि से इसका संघटन क्रमशः **चार्ट 1.5** तथा **चार्ट 1.6** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4 : कुल व्यय: प्रवृत्ति एवं संघटन (2010-15) (₹ करोड़)





- **राज्य का कुल व्यय** 12 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2010-11 में ₹ 15,962 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 22,734 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान वृद्धि ₹ 2,995 करोड़ (15 प्रतिशत) थी। कुल व्यय में वृद्धि, राजस्व व्यय में ₹ 2,435 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय में ₹ 617 करोड़ की वृद्धि के कारण थी, जबकि ऋण तथा अग्रिम ₹ 57 करोड़ घट गए।
- **राजस्व व्यय:** राजस्व व्यय वर्ष 2013-14 में ₹ 2,435 करोड़ (14.03 प्रतिशत) बढ़कर 2014-15 में ₹ 19,787 करोड़ हो गया। वर्ष 2010-15 के दौरान राजस्व व्यय लगातार कुल व्यय के प्रभावी अनुपात (86 से 88 प्रतिशत) में बना रहा और 12 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा। वर्ष 2014-15 के दौरान यह कुल व्यय का 87 प्रतिशत रहा। व्यय वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर ₹ 557 करोड़ (8 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं पर ₹ 745 करोड़ (11 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाओं पर ₹ 1,133 करोड़ (32 प्रतिशत) थी। समग्र वृद्धि सामान्य शिक्षा (₹ 526 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 368 करोड़), स्वास्थ्य व परिवार कल्याण (₹ 236 करोड़) शीर्षों के अन्तर्गत प्रमुख वृद्धि की परिणामी थी।

योजनागत राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 2014-15 में ₹ 817 करोड़ (34 प्रतिशत) बढ़ गया और उसने कुल राजस्व व्यय में केवल 11 से 16 प्रतिशत का अंशदान किया। आयोजनेतर राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 2014-15 में ₹ 1,618 करोड़ (11 प्रतिशत) बढ़ गया और 2010-15 के वर्षों के दौरान उसका 83 से 88 प्रतिशत का प्रभावी अंश रहा। आयोजनेतर राजस्व व्यय में 2010-15 वर्षों में राजस्व प्राप्तियों के 84 से 97 प्रतिशत के प्रभावी अनुपात (परिशिष्ट 1.3) की प्रयुक्ति हुई। 2014-15 में यह 93 प्रतिशत था जिससे द्योतित हुआ कि औसतन 92 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियाँ आयोजनेतर राजस्व व्यय की पूर्ति में खप गईं। आयोजनेतर राजस्व व्यय तेरहवें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक निर्धारण (₹ 10,621 करोड़) को भी पार कर 56 प्रतिशत बढ़ गया।

चालू वर्ष में राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 18.67 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय उसका 20.70 प्रतिशत रहा। राज्य का राजस्व घाटा ₹ 1,944 करोड़ था जो कि चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.03 प्रतिशत था।



- **पूँजीगत व्यय:** पूँजीगत व्यय 2010-13 के वर्षों में ₹ 1,789 करोड़ से ₹ 166 करोड़ बढ़कर ₹ 1,955 करोड़ हो गया लेकिन 2013-14 में ₹ 99 करोड़ घटकर ₹ 1,856 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान यह ₹ 617 करोड़ (33 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 2,473 करोड़ हो गया। शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति (₹ 131 करोड़), सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 310 करोड़), आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाएं (₹ 308 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण (₹ 506 करोड़) तथा परिवहन (₹ 893 करोड़) प्रमुख लाभकारी क्षेत्र थे जिनमें 2014-15 के दौरान पूँजीगत व्यय किया गया था। कुल व्यय के संदर्भ में पूँजीगत व्यय का शेयर 2013-14 के 9.40 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 10.88 प्रतिशत हो गया।
- **ऋण तथा अग्रिम:** 2014-15 में कुल व्यय का ₹ 474 करोड़ (दो प्रतिशत) था, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ 57 करोड़ घट गया।



व्यय के इन संघटनों के सापेक्ष शेयर ने इंगित किया कि व्यय के मुख्य संघटकों में अंतः वर्षीय भिन्नताएं थीं। सामान्य सेवाओं (ब्याज अदायगियों सहित) पर व्यय जिसे गैर-विकासात्मक माना जाता है 2010-11 में 33.53 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 36.11 प्रतिशत हो गया, किन्तु 2014-15 में घटकर 33.81 प्रतिशत रह गया। सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत व्यय मुख्य रूप से ब्याज अदायगियों (37 प्रतिशत)

और पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (38 प्रतिशत) पर था। दूसरी ओर, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं दोनों पर विकासात्मक व्यय<sup>5</sup> 2013-14 के 61.15 प्रतिशत के प्रति 2014-15 में 64.07 प्रतिशत था।

### 1.6.2 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार का राजस्व लेखा पर प्रतिबद्ध व्यय ब्याज भुगतानों, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय, पेंशनों तथा उपदानों से समाविष्ट था। जैसे तालिका 1.15 से स्पष्ट है कि राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। गत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 1,634 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि थी। 2010-15 के वर्षों में इसका राजस्व व्यय के क्रमशः 75, 79, 80, 77 व 76 प्रतिशत का महत्वपूर्ण शेर था। चार्ट 1.7 वर्ष 2010-15 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.15: प्रतिबद्धित व्यय के संघटक


(₹ करोड़)

प्रतिबद्धित व्यय के संघटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वेतन तथा मजदूरियां, जिनमें से	5,951 (47)	6,215 (43)	7,255 (47)	7,545 (48)	8,418* (47)
आयोजनेतर शीर्ष	5,784	5,981	6,999	7,289	8,159
योजनागत शीर्ष	167	234	256	256	259
ब्याज भुगतान	1,950 (15)	2,130 (15)	2,370 (15)	2,481 (16)	2,849 (16)
पेंशन	2,105 (17)	2,217 (15)	2,747 (18)	2,855 (18)	2,914 (16)
उपदान	439 (4)	465 (3)	567 (4)	467 (3)	801 (4)
<b>योग</b>	<b>10,445</b>	<b>11,027</b>	<b>12,939</b>	<b>13,348</b>	<b>14,982</b>
राजस्व व्यय पर प्रतिशतता	75	79	80	77	76

\* वेतन: ₹ 8,195 करोड़; मजदूरी: ₹ 223 करोड़

कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिशतता इंगित करते हैं।

(₹ करोड़)



<sup>5</sup> परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

### वेतन एवं मजदूरी

2014-15 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 47 प्रतिशत से भी अधिक था। वेतन व्यय मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹ 7,647 करोड़) के प्रक्षेपों से ₹ 548 करोड़ बढ़ गया जिस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

### पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय 2010-11 में ₹ 2,105 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 2,914 करोड़ तथा गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान ₹ 59 करोड़ (दो प्रतिशत) तक बढ़ गया। वेतन एवं पेंशन भुगतानों पर व्यय राजस्व प्राप्तियों का 64 प्रतिशत था। चालू वर्ष हेतु पेंशन भुगतानों पर वास्तविक व्यय तेरहवें वित्त आयोग में किये गये प्रक्षेपणों (₹ 2,116 करोड़) से ₹ 798 करोड़ (38 प्रतिशत) बढ़ गया।

### ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतानों में 2010-11 में ₹ 1,950 करोड़ से 2014-15 में ₹ 2,849 करोड़ तक 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा गत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान ₹ 368 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। चालू वर्ष हेतु ब्याज भुगतान तेरहवें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक निर्धारण (₹ 2,378 करोड़) तथा राज्य सरकार द्वारा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों के प्रक्षेपणों (₹ 2,750 करोड़) से क्रमशः 20 व चार प्रतिशत बढ़ गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ब्याज भुगतान का वृद्धिकारी निर्गमन बढ़े हुए वाणिज्यिक उधार के कारण था जैसे कि पैरा 1.9.2 में विवरण दिया गया है।

### उपदान

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/निकायों/निगमों आदि को उपदानों का भुगतान कर रही है। उपदान 2010-11 में ₹ 439 करोड़ से 2012-13 में ₹ 567 करोड़ तक 29 प्रतिशत बढ़ गए और 2013-14 के दौरान ₹ 100 करोड़ तक घट गए। 2014-15 में उपदान ₹ 334 करोड़ बढ़ गए जो कि राजस्व प्राप्तियों का लगभग चार प्रतिशत था। उपदानों के मुख्य संघटक उद्यान (₹ 70 करोड़); परिवहन (₹ 135 करोड़) तथा ऊर्जा (₹ 330 करोड़) थे।

### 1.6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं को जारी किये गये सहायता अनुदानों की विस्तृत स्थिति तालिका 1.16 में दी गई है।

तालिका 1.16: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अवमुक्त किए गए सहायता अनुदानों का विवरण (₹ करोड़)

क्रमांक	संस्था का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाएं	311.25 (35)	314.89 (1)	405.62 (29)	451.55 (11)	601.03(33)
2.	नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	92.26 (-20)	122.94 (33)	174.09 (42)	282.33 (62)	211.65 (-25)
3.	पंचायती राज संस्थाएं	256.28 (18)	263.95(3)	282.09 (7)	353.54 (25)	810.37(129)
4.	विकास अभिकरण	52.14 (7)	46.72(-10)	38.72 (-17)	65.96 (70)	63.52(-4)
5.	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	48.11 (17)	69.70 (45)	87.77 (26)	94.63 (8)	216.24 (129)
6.	अन्य संस्थाएं	89.35 (41)	162.89 (82)	214.82 (32)	189.87 (-12)	253.37 (33)
	योग	849.39(18)	981.09 ( 16 )	1,203.11 ( 23 )	1,437.88 ( 20 )	2,156.18 ( 50 )
	राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	6.09	7.06	7.43	8.28	10.90

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा संकलित आंकड़े कोष्ठकों के आंकड़े गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि/ह्रास दर्शाते हैं।

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को 2010-15 की अवधि में दिये गए अनुदानों में लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। यह विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष (2014-15) के दौरान ₹ 718.30 करोड़ (49.96 प्रतिशत) तक बढ़ गया। वर्ष 2014-15 के दौरान सहायता अनुदानों में वृद्धि मुख्यतः पंचायती

राज संस्थाओं (₹ 456.83 करोड़) (129 प्रतिशत), विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं (₹ 149.48 करोड़) (33 प्रतिशत), अस्पतालों व अन्य दातव्य संस्थाओं (₹ 121.61 करोड़) (129 प्रतिशत) को अधिक अनुदान जारी करने के कारण थी।

### निधि प्रवाह: शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के स्रोत, अभिरक्षण एवं निधि प्रयोज्यता

संसाधन आधार में राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, अनुरक्षण/विकास प्रयोजनों तथा स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य और केन्द्रीय सरकारें समाविष्ट हैं। विभिन्न स्रोतों से आवंटित निधियां बैंकों में रखी जाती हैं। यह पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित निधियाँ उनके कार्यदायी अभिकरणों द्वारा वास्तविक प्रयुक्ति के बिना ही व्ययित प्रदर्शित की जा रही है। इन निकायों द्वारा किए गए व्यय के वास्तविक आँकड़े विभाग के पास नहीं थे।

वर्ष 2014-15 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों ने विभिन्न स्रोतों से ₹ 221.11 करोड़ की निधि/अनुदान प्राप्त किए और राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग निदेशालय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित ये सभी निधियाँ व्ययस्वरूप प्रदर्शित की गईं। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त ₹ 840.05 करोड़ में से कार्यदायी अभिकरणों को अवमुक्त ₹ 809.63 करोड़ भी व्ययित दर्शाए गए हैं।

कुल 3,332 पंचायती राज संस्थाओं और 50 शहरी स्थानीय निकायों में से वर्ष के दौरान क्रमशः 100 व 14 की लेखापरीक्षा की गयी। 2014-15 के दौरान संचालित शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा में निम्नोक्त व्यवस्थागत कमियाँ पायी गयीं:

#### (क) बैंक समाधान विवरणियाँ तैयार न करना

शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं की नियमावली में उपबन्ध है कि सामान्य रोकड़ बही की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक दिन मदवार जाँच की जाएगी, उसका संवरण किया जाएगा और वह हस्ताक्षरित होगी। रोकड़ बही और बैंक की पास बुक के शेषों के अन्तर का प्रत्येक माह समाधान किया जाना अपेक्षित है।

अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर ₹ 9.35 करोड़ (शहरी स्थानीय निकाय: ₹ 1.54 करोड़ तथा पंचायती राज संस्थाएं: ₹ 7.81 करोड़) का समाधान जनवरी-मार्च 2015 तक नहीं किया गया था। इस प्रकार बैंक समाधान विवरणी के अभाव में इन शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं ने बताया कि शीघ्र ही अन्तर का समाधान कर दिया जाएगा। ये उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि नियमावली के उपबन्धों की अनुपालना कड़ाई से की जानी चाहिए थी।

#### (ख) रजिस्ट्रों का रखरखाव न किया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 31 में नियत है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था महत्वपूर्ण अभिलेख, रजिस्टर, प्रपत्र आदि का रखरखाव करेगी जैसे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 में विवरण दिया गया है।

यह पाया गया कि 2014-15 के दौरान नमूना जांच की गई 35 ग्राम पंचायतों में स्टॉक रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, मस्टर रोल रजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। अभिलेखों का रखरखाव न किए जाने के कारण वित्तीय लेनदेनों की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। सम्बन्धित पंचायत सचिवों ने तथ्य स्वीकार किए (जून 2014-मार्च 2015) व भविष्य में इन अभिलेखों के रखरखाव का आश्वासन दिया तथापि तथ्य यह है कि सम्बद्ध पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखाओं के रखरखाव पर समुचित निगरानी का अभाव था।

### (ग) परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 73 (i) के अन्तर्गत छः मास में कम से कम एक बार व प्रत्येक वर्ष अपरिवर्तनीय रूप से अप्रैल में ग्राम पंचायत प्रधान व पंचायती समिति या जिला परिषद् के सम्बन्धित सचिव द्वारा यथास्थिति सभी भण्डारों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाएगा। इस सत्यापन के परिणाम लिखित रूप से दर्ज किए जाएंगे। अप्रैल में सत्यापन के समय प्रत्येक सामग्री की अवस्था/दशा स्टॉक रजिस्टर में उस सामग्री के सम्मुख अंकित की जाएगी।

16 पंचायती राज संस्थाओं (एक जिला परिषद्, दो पंचायत समितियां, 13 ग्राम पंचायतें) के अभिलेखों की जांच से उद्घाटित हुआ कि भण्डार/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके अभाव में यह निश्चित नहीं हो पाया कि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक सामग्री भैतिकरूपेण विद्यमान है या नहीं। उत्तरस्वरूप सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (जून 2014-मार्च 2015) कि शीघ्र ही भण्डारों/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया जाएगा।

### (घ) ₹ 7.57 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना

अभिलेखों की जांच से उद्घाटित हुआ कि 2013-14 में गृह कर: ₹ 4.98 करोड़ (शहरी स्थानीय निकाय: ₹ 4.79 करोड़ व पंचायती राज संस्थाएं: ₹ 0.19 करोड़); 2005-06 से 2014-15 की अवधि में दुकानों का किराया: ₹ 2.05 करोड़ (शहरी स्थानीय निकाय: ₹ 1.86 करोड़ व पंचायती राज संस्थाएं: ₹ 0.19 करोड़); 2012-14 की अवधि में मोबाइल टॉवरों के प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभार: ₹ 0.25 करोड़ (शहरी स्थानीय निकाय: ₹ 0.18 करोड़ व पंचायती राज संस्थाएं: ₹ 0.07 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत उपकरण की वसूली न होने (शहरी स्थानीय निकाय: ₹ 0.29 करोड़) के कारण ₹ 7.57 करोड़ (शहरी स्थानीय निकाय: ₹ 7.12 करोड़ व पंचायती राज संस्थाएं: ₹ 0.45 करोड़) की राशि बकाया पड़ी थी/वसूल नहीं हुई थी। इससे द्योतित होता है कि शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं ने राजस्व संग्रहण प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जिससे उनकी कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और वे राज्य वित्त पर अधिकाधिक आश्रित हो जाएंगे। सम्बद्ध शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं ने बताया कि बकाया राजस्व की वसूली हेतु आवश्यक प्रयास किए जाएंगे/कदम उठाए जाएंगे। ये उत्तर तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि राजस्व की वसूली हेतु समय पर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

## 1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं प्रदान करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय- निष्कर्ष सम्बन्धों का निर्धारण) में सम्मिलित है।

### 1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को समनुदेशित सामाजिक क्षेत्र व आर्थिक मूलाधार से सम्बद्ध व्यय दायित्व अधिकांशतः राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। मानवीय विकास स्तर की वृद्धि हेतु राज्यों से अपेक्षा है कि वे मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपना व्यय बढ़ाएं। यदि किसी विशेष व्यय शीर्ष को प्रदत्त प्राथमिकता उस वर्ष में विशेष श्रेणी वाले राज्यों के औसत से न्यून है तो उस सेक्टर को न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (सकल व्यय पर व्यय श्रेणी अनुपात) से सम्बद्ध किया कहा जा सकता है।

**तालिका 1.17 (क)** वर्ष 2011-12 व चालू वर्ष 2014-15 में विशेष श्रेणी राज्यों के सापेक्ष विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताएं विश्लेषित करती है।

**तालिका 1.17 (क): 2011-12 व 2014-15 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता**

(प्रतिशत)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स.व./ स.रा.घ.उ.	वि.व./ स.व.	सा.क्षे.व/ स.व.	आ.क्षे.व/ स.व.	प.व./ स.व.	शि./ स.व.	स्वा./ स.व.
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2011-12	26.39	61.26	37.02	28.37	14.02	18.86	5.40
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2011-12	24.38	64.32	34.10	30.21	11.17	19.10	5.10
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15	उपलब्ध नहीं	63.51	38.14	28.89	14.22	19.31	5.49
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2014-15	23.78	66.15	35.08	31.07	10.88	18.81	5.71

स.व.: सकल व्यय, स.रा.घ.उ.: सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वि.व.: विकास व्यय, सा.क्षे.व.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, आ.क्षे.व.: आर्थिक क्षेत्र व्यय, प.व.: पूंजीगत व्यय, शि.: शिक्षा, स्वा.: स्वास्थ्य

# विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय व संवितरित ऋण व अग्रिम शामिल है।

स्रोत: असम, हि0प्र0, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा व उत्तराखण्ड जैसे 11 विशेष श्रेणी राज्यों में से 9 विशेष श्रेणी राज्यों पर आधारित

राजकोषीय प्राथमिकता से तात्पर्य राज्य द्वारा किसी विशेष श्रेणी के व्यय को दी गई प्राथमिकता है। 2014-15 व 2011-12 के व्यय के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि:

- 2011-12 के 24.38 की तुलना में 2014-15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानुपात में सरकार का सकल व्यय 23.78 है जो कि थोड़ा कम अर्थात् 0.6 प्रतिशत तक कम है।
- विकास व्यय में आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र दोनों के ही व्यय निहित है। हि0प्र0 में सकल व्यय की प्रतिशतता के रूप में विकास व्यय 66.15 है जो कि विशेष श्रेणी राज्यों के 63.51 से अधिक है और वांछनीय है।
- राज्य में सकल व्यय के समानुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र व्यय विशेष श्रेणी राज्यों के 2011-12 व 2014-15 में क्रमशः 2.92 व 3.06 प्रतिशत से कम था।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुपात 2011-12 में विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से कम था लेकिन 2014-15 में थोड़ा अधिक था।
- राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता नहीं दी है क्योंकि सकल व्यय पर पूंजीगत व्यय का प्रतिशतता अनुपात 2011-12 में 11.17 व 2014-15 में 10.88 है जो कि विशेष श्रेणी राज्यों के 2011-12 के 14.02 व 2014-15 के 14.22 के औसत अनुपात से कम है।

### 1.7.2 व्यय उपयोग की दक्षता व इसकी प्रभावोत्पादकता

**तालिका 1.17 (ख)** के अनुसार, विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन एवं मजदूरी में क्रमशः ₹ 575 करोड़ (13 प्रतिशत) एवं ₹ 163 करोड़ (नौ प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि सामाजिक सेवाओं में परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय में ₹ 159 करोड़ (27 प्रतिशत) की वृद्धि तथा आर्थिक सेवाओं में ₹ 107 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2014-15 की अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में कुल व्यय के अनुपात में पूंजीगत व्यय क्रमशः 0.02 तथा 0.08 रहा जो कि खेद का विषय है।

तालिका 1.17 ( ख ): विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय

( ₹ करोड़ )

वर्ष	कुल व्यय	क्षेत्र	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	कुल व्यय पर पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय	
						वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण
2013-14	19,739	सामाजिक सेवाएं	6,706	478	0.02	4,307	585
		आर्थिक सेवाएं	3,590	1,297	0.07	1,843	1,059
2014-15	22,734	सामाजिक सेवाएं	7,451	522	0.02	4,882	744
		आर्थिक सेवाएं	4,723	1,868	0.08	2,006	1,166

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय से वाऊचर स्तर कम्प्यूटरीकरण

## 1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

अनुवर्ती राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन के कार्य ढांचे में राज्य से इसके राजकोषीय घाटे (तथा उधार) को न केवल निम्न स्तरों पर रखने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि इसके पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने के लिए तथा उधार निधियों की लागत को वसूल करने के लिए अपेक्षित पग उठाने की आवश्यकता है, न कि इसे अन्तर्निहित उपदान के रूप में बजट से वहन किया जाए तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित पग उठाएं। यह प्रवर्ग विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गए निवेशों तथा अन्य पूँजीगत व्ययों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रदर्शित करता है।

### 1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2015 तक अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.18 में दी गई है। मात्र वे परियोजनाएं जिनमें कार्य समापन की निर्धारित तिथि 31 मार्च 2015 तक पूर्ण हो चुकी थी, अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं।

तालिका 1.18: अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

( ₹ करोड़ )

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	31 मार्च 2015 तक कुल व्यय
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	10	58.84	76.18	83.05
भवन एवं सड़कें ( लोक निर्माण कार्य )	03	62.03	--	58.22
योग	13	120.87		141.27

स्रोत: वित्त लेखे

अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बंध में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की केवल सात परियोजनाओं की संशोधित लागतें उपलब्ध थी, जहां ₹ 41.61 करोड़ की लागत वृद्धि थी। ये परियोजनाएं जुलाई 2005 तथा मार्च 2015 के मध्य पूरी की जानी थीं। विलम्ब विश्लेषणों से 10 वर्षों तक की समय वृद्धि का पता चला। कार्यों की भौतिक प्रगति के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 8 स्कीमों का 75 से 99 प्रतिशत के मध्य कार्य पूर्ण हुआ था। शेष के सम्बन्ध में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की दो स्कीमों<sup>6</sup> का कार्य मार्च 2012 तक पूर्ण किया जाना था लेकिन वर्ष 2014-15 के अंत तक मात्र 38 से 43 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया था।

<sup>6</sup> सिवरेज स्कीम, मेहतपुर तथा सन्तोखगढ़

### 1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2015 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹ 2,732 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.19 (क))। निवेश पर औसत प्रतिफल 3.81 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2010-15 के दौरान अपने उधारों पर 7.86 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

तालिका 1.19 (क): निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़)

निवेश/प्रतिफल/उधार लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	औसत 2010-15
वर्षांत में निवेश	2,864	2,448	2,767	3,025	2,732	--
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज)	64.11	85.65	100.09	103.42	171.00	--
प्रतिफल (प्रतिशत)	2.24	3.50	3.62	3.42	6.26	3.81
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.78	7.80	8.08	7.71	7.91	7.86
ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	5.54	4.30	4.46	4.29	1.65	4.05

स्रोत: वित्त लेखे

यद्यपि गत वर्ष 2013-14 की तुलना में सरकारी निवेश 2014-15 में 9.69 प्रतिशत घटे लेकिन निवेशों के प्रतिफल 2010-15 में लगातार वृद्धि दर्शाते हुए 2010-11 में ₹ 64.11 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 171 करोड़ हो गये। इसमें मुख्य अंशदाता सतलुज जल विद्युत निगम था जिसने विगत पांच वर्षों (2010-15) में लगातार 99 प्रतिशत अंशदान दिया। सरकारी कम्पनियों में, जिन्होंने नवीनतम अन्तिम रूप से दिए गए लेखों के अनुसार हानियां संचित की थी वे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 1,738.63 करोड़), हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 847.67 करोड़), हिमाचल प्रदेश वित्त निगम (₹ 145 करोड़), हिमाचल प्रदेश एग्री इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया सीमित (₹ 78.23 करोड़), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (₹ 70.36 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम लिमिटेड (₹ 44.94 करोड़) थे।

#### 1.8.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

##### राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति निर्मित की थी (अगस्त 1982) जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी पर तीन प्रतिशत न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना था। मन्त्रि-परिषद् ने 8 अप्रैल 2011 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया कि लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम (कल्याण एवं यूटिलिटी क्षेत्र को छोड़कर) वित्त वर्ष 2009-10 से अनुगामी वर्षों में करोपरान्त लाभ के 50 प्रतिशत सीमांकन की शर्त पर सरकारी इक्विटी पर 5 प्रतिशत प्रतिफल की अदायगी कर सकते हैं। यह राशि नवीनतम रूप से अनुवर्ती वर्ष के जून माह के अन्त तक सरकारी कोषागार में जमा की जानी थी तथा विहित था कि लाभ अर्जित करने वाले सभी उपक्रम निर्धारित प्रतिफल भविष्य में भी भुगतान करते रहेंगे। 31 मार्च 2014 को सार्वजनिक क्षेत्र के 21 उपक्रमों (619-ख की कम्पनियों सहित) में राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 1,897.86 करोड़ थी।

तालिका 1.19 (ख): प्रदत्त शेयर पूंजी में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़)

निवेश की प्रकृति	सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम (संख्या)	सकल योग (संख्या)
	कार्यशील कम्पनियां (संख्या)	अकार्यशील कम्पनियां (संख्या)		
प्रदत्त शेयर पूंजी	1,262.23 (17)	16.75 (2) <sup>7</sup>	618.88 (2)	1,897.86 (21)

<sup>7</sup> दो कम्पनियों (एग्री पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड व हिमाचल वर्स्टेड मिल्ल लिमिटेड) में से हिमाचल वर्स्टेड मिल्ल लिमिटेड कम्पनी परिसमापनाधीन थी।



31 मई 2015 तक नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार सात कम्पनियों ने ₹ 14.30 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 12 कंपनियों में ₹ 480.48 करोड़ की हानि हुई। एक<sup>8</sup> कार्यशील सरकारी कम्पनी ने अपने लाभ एवं हानि के लेख तैयार नहीं किये हैं जबकि एक कार्यशील सरकारी कम्पनी (हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित) के सम्बंध में आय पर व्यय आधिक्य राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के योग्य था। लाभ अर्जित करने वाली सात कम्पनियों में से चार कम्पनियों<sup>9</sup> से इक्विटी पर प्रतिफल की अदायगी अपेक्षित नहीं थी क्योंकि ये कम्पनियां कल्याणकारी व यूटिलिटी सेक्टर की कम्पनियां थी, दो कम्पनियों<sup>10</sup> (प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 10.76 करोड़) ने कोई भी प्रतिफल/लाभांश की अदायगी नहीं की थी और मात्र एक कम्पनी (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित) ने राज्य सरकार को ₹ 3.51 करोड़ के इक्विटी के 10 प्रतिशत की दर पर ₹ 0.35 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया था।

अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2014 तक निवेशित ₹ 1,897.86 करोड़ की इक्विटी पर इसने मात्र ₹ 0.35 करोड़ का प्रतिफल अर्जित किया जो कि मई 2015 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार ₹ 1,897.86 करोड़ की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 0.02 प्रतिशत था।

### 1.8.2.2 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश

सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एवं संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं के शीघ्र वितरण में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु अपूर्व एवं नवीन पद्धति प्रस्तुत करती हैं। मार्च 2015 तक आरम्भ की गई 16 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में से सात सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं पूर्ण तथा प्रचालनाधीन थी और नौ परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन थी जैसा कि परिशिष्ट 1.7 में वर्णित है।

### 1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति, पशुपालन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। तालिका 1.20 में 31 मार्च 2015 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों, विगत पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.20: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अथशेष	329	483	951	1,399	1,913
वर्ष के दौरान दी गई राशि	227	493	469	531	474
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	73	25	21	17	41
अंत शेष	483	951	1,399	1,913	2,346
निवल वृद्धि	154	468	448	514	433
ब्याज प्राप्तियां	11	21	14	15	65
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	2.28	2.21	1.19	0.78	2.77
विगत वर्ष के बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियां	8.22	8.06	8.39	8.15	8.41
प्राप्त ब्याज एवं प्रदत्त ब्याज की औसत दर के मध्य अंतर ( प्रतिशत)	(-) 5.94	(-) 5.85	(-) 7.20	(-) 7.37	(-) 5.64

स्रोत: वित्त लेखे

<sup>8</sup> ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित

<sup>9</sup> हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हि0प्र0 राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित व हि0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

<sup>10</sup> हि0प्र0 राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित व हि0प्र0 सामान्य उद्योग निगम सीमित

31 मार्च 2015 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹ 2,346 करोड़ थी। अग्रिम दिए गए ₹ 474 करोड़ के प्रति चालू वर्ष के दौरान केवल ₹ 41 करोड़ लौटाए गए, जिससे विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 24 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई। विगत वर्ष की तुलना में सरकार ने 2014-15 के दौरान संस्थाओं/संगठनों को ₹ 57 करोड़ (11 प्रतिशत) कम दिए। 2014-15 के दौरान ऋणों के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में विद्युत क्षेत्र कम्पनियां (₹ 404.11 करोड़) थीं। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता की तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किए जा रहे ब्याज की औसत दर में भारी अन्तर था। 2012-13 के दौरान कमी 7.20 प्रतिशत थी जो 2013-14 में बढ़कर 7.37 प्रतिशत हो गयी। चालू वर्ष के दौरान यह 1.73 प्रतिशत अंक घटकर 5.64 प्रतिशत रही। 2014-15 के दौरान बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में सरकार ने ब्याज प्राप्तियों का प्रतिफल 2.77 प्रतिशत प्राप्त किया तथापि, इस अवधि के दौरान उसने उधारों पर औसत 8.41 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया।

वर्ष 2014-15 के दौरान दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.21 में दी गई है।

तालिका 1.21: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़)

ऋणी-इकाइयां	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि	शर्तें एवं निबंधन	
			ब्याज की दर	ऋण स्थगन अवधि अगर कोई है
हिमाचल प्रदेश निजी संस्थागत नियामक आयोग	1	2.00	ब्याज मुक्त	--
साख निगम (एकीकृत बाल विकास परियोजना)	2	20.29	12.5 प्रतिशत	3 वर्ष
हिमाचल प्रदेश सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ	1	24.00	12.5 प्रतिशत	--
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	17	304.36	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	10	99.75	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम	3	16.53	--	--
सरकारी कर्मचारी	--	7.27	--	--
<b>योग:-</b>	<b>34</b>	<b>474.19</b>		

स्रोत: वित्त लेखे

₹ 474.19 करोड़ में से ₹ 2.00 करोड़ की राशि के ऋण ब्याज मुक्त, ₹ 44.29 करोड़ के ऋण 12.5 प्रतिशत की दर पर तथा ₹ 404.11 करोड़ के ऋण 10 प्रतिशत की दर पर प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त ₹ 7.27 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिए गए। राज्य सरकार की ऋण स्थगन अवधि तीन से पांच वर्षों के मध्य थी।

### 1.8.3.1 शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिये बिना ऋणों को संस्वीकृत करना/देना

2006-07 से 2014-15 की अवधि के दौरान शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिये बिना ₹ 26.57 करोड़ की राशि ऋण रूप में स्वीकृत की गई थी। ब्यौरे तालिका 1.22 में दिये गए हैं।

तालिका 1.22: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण जिनके लिए शर्तें एवं निबंधनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है

(₹ करोड़)

क्रमांक	ऋणी-इकाई	ऋणों की संख्या	कुल राशि	आरंभिक अवधि जिससे बकाया सम्बंधित है
1.	हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम	1	2.54	2013-14
2.	नगर निगम शिमला	1	2.00	2008-09
3.	हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम सीमित	1	0.50	2006-07
4.	प्रधान सचिव, बहु-उद्देशीय परियोजना एवं विद्युत, हिमाचल प्रदेश	2	5.00	2008-09
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम	3	16.53	2014-15
	<b>योग</b>	<b>8</b>	<b>26.57</b>	

31 मार्च 2014 में समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यह सूचित किए जाने पर अवलोकित हुआ कि राज्य सरकार ने ऋणग्राहियों/समूहों को नए ऋण व अग्रिम देना जारी रखा। वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार ने शर्तों एवं निबन्धनों को अन्तिम रूप दिए बिना हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम को ₹ 16.53 करोड़ के नए ऋण दे दिए।

### 1.8.3.2 ऋणों की वसूली में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न ऋणग्राहियों/समूहों को दिए गए 26 ऋणों व अग्रिमों के सम्बन्ध में ₹ 79.86 करोड़ के ऋणों की वसूली का उल्लेख 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के राज्य वित्त पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पैरा 1.8.3.2 में किया गया था।

इस विषय में सूचित किए जाने पर भी यह देखा गया कि ये ऋण व अग्रिम अभी भी लम्बित थे और 2014-15 वर्ष के दौरान भी इनकी वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए। ये वसूलियां वर्ष 1987-88 से 2010-11 से नहीं की गईं। परिशिष्ट 1.8 के अनुसार ऋणों के वसूल न होने की अवधि 4 से 28 वर्ष तक थी।

### 1.8.3.3 रुग्ण/अकार्यशील कम्पनियां

रुग्ण/अकार्यशील कम्पनियों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के राज्य वित्त पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पैरा 1.8.2.1 में उल्लेख किया गया था। पुनः यह उल्लिखित है कि ऐग्रो इण्डस्ट्रियल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड (ए.आई.पी.आई.एल.) कम्पनी के नवीनतम अन्तिम रूप प्रदत्त वर्ष 2013-14 के लेखाओं के अनुसार उसे इस वित्त वर्ष में ₹ 0.04 करोड़ की हानि हुई और उसकी संचित हानियां ₹ 78.24 करोड़ थीं। कम्पनी का नकारात्मक निवल मूल्य ₹ 60.52 करोड़ था।

संयन्त्र व मशीनरी के निपटारे के पश्चात् राज्य सरकार ने ए0आई0पी0आई0एल0 को निष्प्रभावी कम्पनी घोषित कर दिया (अप्रैल 2012) तथा प्रबन्धन से कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार इस निर्णय को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया जिसके लिए प्रकरण कम्पनी, राज्य सरकार व कम्पनी रजिस्ट्रार के विचाराधीन था। प्रबन्धन ने अभी (मई 2015) तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।

### 1.8.4 नकद शेष और नकद शेष का निवेश

तालिका 1.23 नकद शेष और वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकद शेष में से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 1.23: नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल 2014 तक	31 मार्च 2015 तक	वृद्धि (+) / कमी (-)
<b>(क) सामान्य नकद शेष</b>			
कोषागारों में नकद	-	-	-
स्थानीय-पारगमन में प्रेषण	-	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 887.49	(-) 739.51	147.98
नकद शेष निवेश लेखा में किया निवेश	-	-	-
<b>(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश</b>			
विभागीय कार्यालयों अर्थात् लोक निर्माण विभाग आदि के पास नकद	0.16	0.16	-
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	-
<b>योग (क+ख)</b>	<b>(-) 887.30</b>	<b>(-) 739.32</b>	<b>147.98</b>
<b>(ग) नकद शेषों से निवेश</b>			
भारत सरकार के कोषागार बिल	-	-	-
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	5,772.09	6,675.64	903.55
<b>(घ) नैमित्तिक शेषों से निवेश का निधिवार ब्यौरा</b>			
<b>(ङ) वसूल किया गया ब्याज</b>	<b>24.28</b>	<b>9.90</b>	<b>(-) 14.38</b>

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष अनुरक्षित करना होता है। यदि किसी भी दिन शेष सम्मत न्यूनतम से नीचे जाता है तो यह कमी समय-समय पर साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार की साधारण अर्थोपाय अग्रिम के लिए सीमा 11.11.2013 से ₹ 285 करोड़ थी। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के रेहन के प्रति विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने के लिए भी सहमत हो चुका है।

वित्त लेखे की विवरण संख्या 2 का अनुबंध व 17 के अनुसार वर्ष 2013-14 के अन्त में अर्थोपाय अग्रिम और अधिविकर्षों पर ₹ 456.09 करोड़ लम्बित थे। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार 240 दिन तक ही न्यूनतम दैनिक नकद शेष रख पायी। उसे भारतीय रिजर्व बैंक से 77 अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम (₹ 4,192.80 करोड़) व 48 अवसरों पर अधिविकर्ष (₹ 2,667.50 करोड़) लेने पड़े। इसमें से ₹ 533.77 करोड़ के शेष को छोड़कर वर्ष के दौरान ₹ 6,782.62 करोड़ की चुकौती कर ली गयी थी। वर्ष 2014-15 के दौरान इन गिरावटों/अधिविकर्षों पर ₹ 14.80 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पता चला कि चालू वर्ष के अंत में राज्य सरकार का नकद शेष 2013-14 में ₹ (-) 887.30 करोड़ से ₹ 147.98 करोड़ बढ़कर 2014-15 में ₹ (-) 739.32 करोड़ हो गया। गत वर्ष की तुलना में 2014-15 में ब्याज आय ₹ 14.38 करोड़ घट गयी।

## 1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

### 1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संयोजन

सरकार की विद्यमान लेखाकरण प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 (भाग ख)** 31 मार्च 2015 तक ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का 31 मार्च 2014 को उनकी तदनुरूपी स्थिति की तुलना में सार को दर्शाता है। यद्यपि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है तथापि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

वर्ष 2014-15 में परिसम्पत्तियां गत वर्ष की तुलना में ₹ 2,404.51 करोड़ (10.25 प्रतिशत) बढ़ीं जबकि दायित्व ₹ 4,348.11 करोड़ (12.65 प्रतिशत) बढ़ गए। वित्तीय परिसम्पत्तियों/दायित्वों का अनुपात 2011-12 के 70 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 में 67 प्रतिशत हो गया जो कि 2013-14 में 68 प्रतिशत था।

### 1.9.2 राजकोषीय देयताएं



राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की स्थिति 2010-11 से 2014-15 तक के पांच वर्षों के लिए **परिशिष्ट 1.3 व तालिका 1.24** में प्रस्तुत है। विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन **चार्ट 1.8** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.24: राजकोषीय देयताएं - मूल मापदण्ड

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजकोषीय देयताएं ( ₹ करोड़ )	26,415	28,228	30,442	33,884	38,192
वृद्धि दर ( प्रतिशत )	11.39	6.86	7.84	11.31	12.71
<b>का राजकोषीय देयताओं का अनुपात</b>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद* ( प्रतिशत )	46.36	42.48	39.92	39.47	39.96
राजस्व प्राप्तियां ( प्रतिशत )	207.81	194.10	195.17	215.67	214.04
अपने संसाधन ( प्रतिशत )	494.85	468.67	507.11	490.65	476.15
<b>का राजकोषीय दायित्वों की उत्प्लावकता</b>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद ( अनुपात )	0.62	0.41	0.53	0.90	1.12
राजस्व प्राप्तियां ( अनुपात )	0.50	0.48	1.08	15.71	0.94
अपने संसाधन ( अनुपात )	0.51	0.53	(-) 23.76	0.75	0.79

\*आधार वर्ष 2004-05 पर संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2010-11 में ₹ 26,415 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 38,192 करोड़ हो गई। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं एवं लोक लेखा देयताएं समाविष्ट हैं। समेकित निधि देयता ( ₹ 25,729 करोड़ ) में बाजार ऋण ( ₹ 15,196 करोड़ ), भारत सरकार से ऋण ( ₹ 1,071 करोड़ ) तथा अन्य ऋण ( ₹ 9,462 करोड़ ), जिनमें भारत सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूति पर ₹ 6,676 करोड़ समाविष्ट हैं।



लोक लेखा देयताओं ( ₹ 12,463 करोड़ ) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां ( ₹ 9,922 करोड़ ), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसे निक्षेप ( ₹ 2,313 करोड़ ) एवं आरक्षित निधियां ( ₹ 228 करोड़ ) समाविष्ट हैं।

2014-15 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि की दर 13 प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2010-11 में 46.36 प्रतिशत से निरन्तर घटकर 2013-14 में 39.47 प्रतिशत हो गया लेकिन 2014-15 में मामूली रूप से बढ़कर 39.96 प्रतिशत हो गया। ये देयताएं 2014-15 के अन्त तक राजस्व प्राप्तियों के 2.14 गुणा व अपने राजस्व संसाधनों का 4.76 गुणा थी।

2014-15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर राजकोषीय दायित्वों का उत्प्लावकता अनुपात 1.12 रहा। यह राजकोषीय दायित्वों की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से अधिक होने का सूचक है।

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि वे बकाया दायित्वों के ऋण शोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासी एक समेकित ऋण शोधन निधि सृजित करें ताकि वे मुक्त बाजार से लिए गए ऋणों की किश्तें चुका सकें। राज्य सरकार से अपेक्षित है कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में पड़े बकाया दायित्वों के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान करे तथापि राज्य सरकार ने एक समेकित ऋण शोधन निधि सृजित नहीं की है। 31 मार्च 2015 को हि0प्र0 सरकार के बकाया दायित्व ₹ 38,192 करोड़ थे। यदि समेकित ऋण शोधन निधि होती तो राज्य सरकार की वर्ष 2014-15 में इस निधि में देयता ₹ 191 करोड़ (बकाया दायित्वों का 0.5 प्रतिशत) हुई होती।

### 1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

31 मार्च 2015 तक आरक्षित निधि में अंतशेष ₹ 228.48 करोड़ (जमा) था। इसमें से ब्याज वाली आरक्षित निधि ₹ 8.95 करोड़ (जमा) थी तथा इस निधि का ब्याजरहित अंश ₹ 219.53 करोड़ (जमा) था। प्रचालित किये जा रहे मुख्य शीर्ष 8115-अवमूल्यन/आरक्षित निधि नवीकरण (₹ 0.01 करोड़) तथा 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि (₹ 8.94 करोड़) थे। ब्याजरहित आरक्षित निधियों के लिए 8226-अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधि (₹ 1.53 करोड़), 8229-विकास एवं कल्याण निधि (₹ 217.91 करोड़) तथा 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि (₹ 0.09 करोड़) लेखा शीर्ष प्रचालित किये गये थे जिससे राजस्व व राजकोषीय घाटा न्यूनोक्त रहा।

#### 1.9.3.1 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की अल्प अवमुक्ति व अनिवेश

तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया है ताकि दैवीय आपदाओं के प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान की जा सके तथा इस निधि के प्रशासनार्थ कुछ दिशा-निर्देश निर्गत किए थे। दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकार को 90:10 के अनुपात में अंशदान करना होता है। इसके अतिरिक्त, यदि राज्य के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत पर्याप्त शेष नहीं है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में से भारत सरकार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाती है। दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में से प्राकृतिक आपदाओं के लिए वास्तविक व्यय मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं पर राहत से सम्बन्धित लघु शीर्षों के अन्तर्गत पुस्तंकित किये जाने चाहिए। राज्य सरकार द्वारा लोक लेखा से प्रत्यक्ष व्यय नहीं किया जाना चाहिए। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्राप्त होने पर राज्य सरकार के लिए जरूरी होता है कि आवश्यक पुस्तंकित समायोजन करे ताकि निधि को व्यय के वर्ष में ही प्रयुक्त किया जा सके।

2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 147.06 करोड़ (₹ चार करोड़ क्षमता निर्माण हेतु और ₹ 143.06 करोड़ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में केन्द्रीय सरकार के 90 प्रतिशत अंशदान के रूप में) प्राप्त किए। ₹ 15.89 करोड़ के इसके अपने भाग के प्रति राज्य सरकार ने ₹ 11.87 करोड़ अवमुक्त किए। ₹ 167.98 करोड़ के संग्रह के प्रति राज्य सरकार ने 31 मार्च 2015 तक निधि में पड़े ₹ 8.94 करोड़ के शेष को छोड़कर वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में व्यय के प्रति ₹ 159.04 करोड़ समायोजित किए जोकि निवेशित नहीं किए गए थे। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से निहित मुख्य शीर्ष 8121-के अंतर्गत लोक लेखा 'ब्याज वाली आरक्षित निधि' वर्ग से सम्बंधित है और राज्य सरकार से अनिवेशित शेष पर ₹ 0.72 करोड़ ब्याज (अर्थोपाय अग्रिमों पर लागू आठ प्रतिशत पर आकलित) अदायगी अपेक्षित थी, जोकि नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इतनी ही राशि के राजस्व व राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई।

### 1.9.3.2 अप्रचालनीय आरक्षित निधियां

इन निधियों के सम्बन्ध में राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लेख था कि दो आरक्षित निधियां अर्थात् मुख्य शीर्ष 8115-अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधियां-103-अवमूल्यन आरक्षित निधियां-सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम (₹ 0.01 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8226-अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधि-101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की अवमूल्यन आरक्षित निधियां (₹ 1.53 करोड़) वर्ष 1971 से अप्रचालित रहीं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने इन निधियों के प्रचालनार्थ कोई कार्रवाई नहीं की थी।

### 1.9.4 आकस्मिक देयताएं

#### 1.9.4.1 गारंटियों की प्रास्थिति

यदि ऋणी जिसकी गारंटी दी गई है, कोई चूक करता है तो राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटियां<sup>11</sup> आकस्मिक देयतायें हैं।

वित्त लेखे के विवरण-20 के अनुसार विगत तीन वर्षों की बकाया गारंटियां तालिका-1.25 में दी गई हैं।

तालिका 1.25: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़)

गारंटियां	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गारंटियों की बकाया राशि	3,910	3,316	3,353	4,333	4,281
पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति गारंटियों की बकाया राशि की प्रतिशतता	38	26	23	28	27

चालू वर्ष के दौरान गारंटियों की बकाया ₹ 4,281 करोड़ की राशि विद्युत क्षेत्र (₹ 2,455 करोड़), तीन सांविधिक बोर्डों/निगमों (₹ 1,462 करोड़), सात सरकारी कम्पनियों (₹ 115 करोड़), एक सहकारी बैंक (₹ 212 करोड़), राज्य वित्त निगम (₹ 32 करोड़) और एक स्थानीय/स्वायत्त निकाय (₹ पांच करोड़) से सम्बंधित है। ₹ 0.01 करोड़ की राशि गारंटी फीस/कमीशन के रूप में प्राप्त की गई थी। चालू वर्ष के दौरान गारंटी जारी नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने 2014-15 के दौरान कंफर्ट पत्र जारी करने के सम्बंध में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई थी।

प्रदत्त गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिए सरकार से तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत विगत वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया देयताओं की 0.50 प्रतिशत की दर पर न्यूनतम वार्षिक अंशदान सहित गारंटी विमोचन निधि स्थापित की जानी अपेक्षित थी तथापि, राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी किसी भी निधि को स्थापित नहीं किया है। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 तक राजस्व तथा राजकोषीय घाटा ₹ 21.66 करोड़ तक कम बताया गया था।

### 1.10 ऋण प्रबंधन

राजकोषीय घाटे को राज्य द्वारा सामान्यतः उधारों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। लोक ऋण प्राप्तियां 2011-14 के दौरान ₹ 1,984 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,050 करोड़ हो गई तथा वर्तमान वर्ष में ₹ 6,827 करोड़ बढ़कर ₹ 4,050 करोड़ से ₹ 10,877 करोड़ हो गयी। लोक ऋण चुकौती 2010-11 में ₹ 870 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2,117 करोड़ हो गई लेकिन 2013-14 में ₹ 413 करोड़ घटकर ₹ 1,704 करोड़ हो गई। 2014-15 में यह महत्वपूर्ण रूप से ₹ 6,556 करोड़ बढ़कर गत वर्ष के

<sup>11</sup> परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

₹ 1,704 करोड़ से ₹ 8,260 करोड़ हो गयी। राज्य को 2014-15 के दौरान ₹ 1,944 करोड़ का राजस्व घाटा व ₹ 4,200 करोड़ का राजकोषीय घाटा वहन करना पड़ा, जिसे चालू वर्ष के दौरान ₹ 10,877 करोड़ का लोक ऋण उठाकर वित्तपोषित किया गया।

### 1.10.1 ऋण रूपरेखा

तालिका 1.26: ऋण की वृद्धि दर व परिपक्वता रूप रेखा

(₹ करोड़)

क्रमांक	ज्यौरे	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	आन्तरिक ऋण	17,694 (95)	18,564 (95)	19,747 (95)	22,099 (96)	24,658 (96)
	(i) बाजार ऋण	9,224 (49)	10,147 (52)	11,809 (57)	13,565 (59)	15,196 (59)
	(ii) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	285 (1)	285 (1)
	(iii) अधिविकर्ष	-	-	-	171 (1)	249 (1)
	(iv) वित्तीय संस्थाओं से ऋण	3,534 (19)	3,354 (17)	2,589 (12)	2,306 (10)	2,252 (9)
	(v) एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	4,936 (26)	5,063 (26)	5,349 (26)	5,772 (25)	6,676 (26)
2.	भारत सरकार से ऋण	960 (5)	947 (5)	1,018 (5)	1,012 (4)	1,071 (4)
कुल लोक ऋण:		18,654	19,511	20,765	23,111	25,729
राज्य ऋण की परिपक्वता रूप-रेखा (वर्षों में)						
	0 - 1	952.61(5)	1,496.44(8)	1,533(8)	1,923(8)	2,046 (8)
	1 - 3	3,121.30(17)	3,408.68(17)	2,946(14)	3,514(15)	4,837(19)
	3 - 5	3,346.47(18)	2,853.82(15)	4,349(21)	5,470(24)	4,929(19)
	5 - 7	3,087.09(16)	4,291.81(22)	4,380(21)	3,162(14)	3,192(12)
	7 या उससे ऊपर	8,146.89(44)	7,459.94(38)	7,557(36)	9,042(39)	10,725(42)

कोष्ठकों के आंकड़े कुल लोक ऋण की प्रतिशतता इंगित करते हैं।

कुल लोक ऋण 2010-11 के ₹ 18,654 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 25,729 करोड़ हो गया जिसमें वार्षिक औसत वृद्धि दर 8.41 प्रतिशत दर्ज की गयी। कुल लोक ऋण में बाजार से उधारों का अंश 2010-11 के 49 प्रतिशत से लगातार बढ़ते हुए 2014-15 में 59 प्रतिशत हो गया। चालू वर्ष (2014-15) के दौरान कुल लोक ऋण गत वर्ष से 11.33 प्रतिशत बढ़ गया।

राज्य ऋण की परिपक्वता रूप रेखा इंगित करती है कि आठ प्रतिशत (₹ 2,046 करोड़) लोक ऋण आगामी वर्ष में चुकता करने योग्य है। अड़तीस प्रतिशत (₹ 9,766 करोड़) आगामी 1-5 वर्षों में चुकता किए जाने हैं जबकि शेष 54 प्रतिशत (₹ 13,917 करोड़) पांच वर्षोंपर अवधि में चुकता करने अपेक्षित हैं जो उस अवधि के सरकारी बजट पर बोझ डालेंगे।

विगत चार वर्षों के समय अनुक्रम में प्रति व्यक्ति ऋण को दर्शाने वाला विश्लेषण तालिका 1.27 में दिया गया है।

तालिका 1.27: प्रति व्यक्ति ऋण

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
जनसंख्या (करोड़ में)	0.6901	0.6971	0.7042	0.7113
कुल ऋण (₹ करोड़ में)	28,228	30,442	33,884	38,192
प्रतिव्यक्ति ऋण (₹ में)	40,904	43,669	48,117	53,693

स्रोत: वित्त लेखे व आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

उपर्युक्त तालिका प्रति व्यक्ति ऋण की 2011-12 में ₹ 40,904 करोड़ से 2014-15 में ₹ 53,693 करोड़ की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है (चार वर्षीय अवधि में 31 प्रतिशत वृद्धि)।



### 1.10.2 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता राज्य की ऋण निर्वहन दक्षता सूचित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त उन विभिन्न सूचकों, जो राज्य की ऋण धारणीयता<sup>12</sup> को निश्चित करते हैं, का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2010-11 से आरम्भ करते हुए पांच वर्षों की अवधि हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण तालिका 1.28 में दिया गया है।

तालिका 1.28: ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवाह

ऋण धारणीयता के सूचक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर ऋणानुपात (%)	46.36	42.48	39.92	39.47	39.96
राजस्व प्राप्तियों पर ऋणानुपात (%)	207.81	194.10	195.17	215.67	214.04
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल) <sup>13</sup>	252	899	(-) 1,346	(-) 1,032	(-) 189
उधार निधियों की निवल उपलब्धता (करोड़)	752	(-) 317	(-) 155	978	1,500
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.153	0.146	0.152	0.158	0.160

उपर्युक्त तालिका 1.28 से प्रकट होता है कि

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर ऋण ने 2010-11 से 2013-14 के वर्षों के दौरान क्रमिक सुधार प्रदर्शित किया और यह गत वर्ष की अपेक्षा 2014-15 में थोड़ा सा बढ़ा। अपनी राजस्व प्राप्तियों से वार्षिक ऋण भुगतान करने की सरकार की सामर्थ्य को इंगित करने वाले राजस्व प्राप्ति अनुपात पर ऋण का 2010-11 से 2014-15 के पांच वर्षों के दौरान अन्तर 194.10 प्रतिशत से 215.67 प्रतिशत रहा।
- ऋणात्मक संसाधन अन्तराल ऋण की अधारणीयता इंगित करता है जबकि धनात्मक ऋण वहन करने की क्षमता का सूचक है। राज्य द्वारा 2010-12 में पश्चानुभूत धनात्मक संसाधन अन्तराल 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में ऋणात्मक होकर क्रमशः ₹ 1,346 करोड़, ₹ 1,032 करोड़ व ₹ 189 करोड़ हो गया।
- चुकौतियों (ब्याज शामिल करते हुए) का प्रावधान करने के पश्चात् ऋण से उपलब्ध शुद्ध निधियां 2011-12 में ₹ 317 करोड़ व 2012-13 में ₹ 155 करोड़ की ऋणात्मक निधि उपलब्धता के प्रति धनात्मक होकर 2013-14 में ₹ 978 करोड़ व 2014-15 में ₹ 1,500 करोड़ हो गयी।

### 1.10.3 भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुद्ध उधार सीमा से अधिक ऋण जुटाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) में अन्य बातों के साथ-साथ उपबन्ध है कि कोई राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं जुटा सकती।

भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, व्यय विभाग ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की शुद्ध उधार सीमा ₹ 2,786 करोड़ निर्धारित की थी और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेशित किया कि उसके वृद्धिकारी उधार इस सीमांकन के अन्दर रहें। इस सीमांक में वित्त लेखे की विवरण संख्या 6 में यथाप्रदर्शित राज्य सरकार के उधार के सभी स्रोत शामिल हैं।

<sup>12</sup> परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

<sup>13</sup> परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

वित्त लेखे की विवरण संख्या 6 अर्थात् उधार एवं अन्य दायित्व के अनुसार राज्य सरकार के वृद्धिकारी उधार वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 4,307.79 करोड़ थे जोकि शुद्ध उधार सीमा से ₹ 1,521.79 करोड़ (55 प्रतिशत) अधिक के उल्लंघन में परिणत हुए।

### 1.10.3.1 एच.पी.एफ.आर.बी.एम.एक्ट के उपबन्धों का उल्लंघन

एच.पी.एफ.आर.बी.एम.एक्ट, 2005 में नियत है कि उधार स्वधारणीय विकास क्रियाकलापों या पूंजीगत परिसम्पत्तियों के संवर्धन पर प्रयुक्त किए जाने हैं उन्हें चालू व्यय के वित्त पोषणार्थ प्रयुक्त नहीं किया जाना है। सरकार ने प्रत्येक ऋण पर यह लक्ष्य अधिसूचित किया कि ऋण की राशि विकास स्कीमों जैसे विद्युत, कृषि, सिंचाई, परिवहन, उद्योग आदि के वित्त पोषणार्थ प्रयुक्त की जाएगी जोकि विशेष रूप से राज्य के कमजोर वर्गों व पिछड़े क्षेत्रों के हित में है और जिसका लोगों की आजीविका व सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर प्रमुख दीर्घकालिक प्रभाव होगा। सरकार ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए उपर्युक्त लक्ष्य से जो उधार बाजार से जुटाए उनकी वर्षबद्ध स्थिति तालिका 1.29 में प्रदत्त है:

तालिका-1.29: वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा जुटाए गए बाजार ऋणों व चुकौती के ब्यौरे (₹ करोड़)

वर्ष	बाजार ऋण की राशि				
	जुटाए गए	चुकौती के प्रयोजन हेतु		व्यय के प्रयोजन हेतु	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
2010-11	645	256	40	389	60
2011-12	1,25	403	30	922	70
2012-13	2,360	698	30	1,622	70
2013-14	2,367	611	26	1,756	74
2014-15	2,345	714	30	1,631	70

स्रोत: सम्बद्ध वर्षों के वित्त लेखे

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि सरकार ने परिपक्व बाजार ऋणों की चुकौती के लिए नवीन उधारों (2010-11 से 2014-15) पर औसतन 31.20 प्रतिशत प्रयुक्त किया जबकि सम्बद्ध वर्षों में पूंजीगत व्यय हेतु औसतन 68.80 प्रतिशत प्रयुक्त किया। नवीन ऋणों से परिपक्व बाजार ऋणों का भुगतान इन ऋणों के लक्ष्यों को विफल करने के अलावा एफ.आर.बी.एम.एक्ट के उपबन्धों के विपरीत था।

### 1.10.4 बाजार उधारों की समीक्षा

#### 1.10.4.1 परिचय

राजकोषीय घाटा वर्ष के दौरान सरकार की उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। उधारों का लेखांकन समेकित निधि (ई-लोक ऋण) के अंतर्गत किया जाता है। राज्य सरकार के आंतरिक ऋण तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम मुख्य विभाजन हैं। आंतरिक ऋणों का पुनः बाजार ऋणों तथा परक्राम्य ऋणों में विभाजन किया जाता है।

बाजार उधारों को केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की सहमति बिना कोई ऋण नहीं उठा सकती, यदि वे केन्द्र सरकार की ऋणी हैं। राज्य सरकारें दिनांकित प्रतिभूतियां, विभिन्न अवधियों के राज्य विकास ऋणों को जारी करती हैं। बाजार उधारों की वर्तमान समीक्षा का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2010-15 की अवधि के दौरान जुटाए गए बाजार ऋणों की आवश्यकता और प्रयुक्ति का निर्धारण करना है।

### 1.10.4.2 बाजार उधारों की स्थिति

2010-11 से 2014-15 की अवधि के बाजार उधारों की वर्षवार स्थिति तालिका 1.30 में दी गई है।

तालिका 1.30: बाजार ऋणों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	बाजार ऋणों का अथशेष	वर्ष के दौरान उठाये गये बाजार ऋण	वर्ष के दौरान चुकाये गये बाजार ऋण	अंत शेष	अथशेष के सम्बन्ध में निवल वृद्धि	विगत वर्ष से सम्बन्धित प्रतिशत वृद्धि
2010-11	8,835	645	256	9,224	389	4.40
2011-12	9,224	1,325	403	10,147	923	10.00
2012-13	10,147	2,360	698	11,809	1,662	16.37
2013-14	11,809	2,367	611	13,565	1,756	14.87
2014-15	13,565	2,345	714	15,196	1,631	12.02

स्रोत: वित्त लेखे/वित्त विभाग

बाजार उधार 2010-11 के आरम्भ में ₹ 8,835 करोड़ से 72 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 के अंत तक ₹ 15,196 करोड़ हो गये।

### 1.10.4.3 ऋण धारणीयता सूचक

राज्य सरकार के ऋण धारणीयता सूचक तालिका 1.31 में दिये गये हैं।

तालिका 1.31: ऋण धारणीयता सूचक

(₹ करोड़)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कुल देयताएं	26,415	28,228	30,442	33,884	38,192
लोक ऋण दायित्व*	18,654	19,511	20,765	23,111	25,729
अन्य दायित्व	7,761	8,717	9,677	10,773	12,463
कुल बाजार ऋण	9,224	10,147	11,809	13,565	15,196
कुल देयताओं के प्रति बाजार ऋणों की प्रतिशतता	34.92	35.95	38.79	40.03	39.79
लोक ऋण के प्रति बाजार ऋण की प्रतिशतता	49.45	52.01	56.87	58.69	59.06
बाजारी ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर-वित्तीय वर्षवार	8.45	8.87	8.77	8.71	8.91
बाजार ऋणों पर भुगतान किया गया ब्याज	678.40	706.56	849.54	974.03	1,183.46
चालू मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	56,980	66,448	76,259	85,841	95,587
प्रतिशत में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर	18.24	16.62	14.76	12.57	11.35
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर एवं ब्याज दर अनुपात	2.16	1.87	1.68	1.44	1.27
राजस्व प्राप्ति अनुपात के प्रति सकल ब्याज भुगतान	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16
प्राथमिक अधिशेष (+)/ घाटा (-)	(-)582.77	(+)496.65	(-)608.51	(-)1,530.72	(-)1,351
राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-)	(-)1,235.44	(+)644.89	(-)576.13	(-)1,641.42	(-)1,944
राजकोषीय घाटा	2,532.54	1,633.05	2,978.41	4,011.58	4,200
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल देयताओं की प्रतिशतता	46.36	42.48	39.92	39.47	39.96
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति लोक ऋण की प्रतिशतता	32.74	29.36	27.23	26.92	26.92
बकाया गारंटियां	3,909.90	3,316.43	3,353.36	4,332.86	4,281
विगत वित्तीय वर्ष की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां	10,346.36	1,2710.61	14,542.86	15,598.12	15,711.07
राजस्व प्राप्तियों के प्रति बकाया गारंटियों की प्रतिशतता	37.79	28.45	24.29	27.78	27.24

\* आन्तरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल देयताओं की प्रतिशतता 2010-11 में 46.36 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 39.96 प्रतिशत हो गई थी जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति लोक ऋण की प्रतिशतता 2010-11 में 32.74 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 26.92 प्रतिशत हो गई। 2014-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल देयताओं की 39.96 प्रतिशतता राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन के 40.10 प्रतिशत के लक्ष्य के अंतर्गत थी। कुल लोक ऋण में बाजार ऋण का शेयर 2010-11 में 49.45 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 59.06 प्रतिशत हो गया।

इसके अतिरिक्त 2010-11 के अंत तक विद्यमान ₹ 9,924 करोड़ का बाजार ऋण 2014-15 में 65 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 15,196 करोड़ हो गया। विगत पांच वर्षों में बाजार ऋणों में निरन्तर वृद्धि से सरकार की अपने वित्तों के प्रबंधन हेतु बाजार ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता दृष्टिगोचर होती है।

#### 1.10.4.4 बाजार ऋण की रूपरेखा

विगत पांच वर्षों के दौरान जुटाए गये बाजार ऋणों की रूपरेखा तालिका 1.32 में दी गई है।

तालिका 1.32: बाजार ऋण की रूपरेखा

(₹ करोड़)

ऋण की अवधि	जुटाए गये ऋण की राशि				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
3-5 वर्ष	--	--	600	440	--
5-7 वर्ष	--	--	400	--	--
>7 वर्ष	645	1,325	1,360	1,927	2,345
वर्ष के दौरान उठाये गये कुल ऋण	645	1,325	2,360	2,367	2,345
31 मार्च तक कुल बकाया	9,224	10,147	11,809	13,565	15,196
कुल बकाया ऋण के प्रति वर्ष के दौरान जुटाए गये ऋण की प्रतिशतता	6.99	13.06	19.98	17.45	15.43

स्रोत: वित्त विभाग एवं वित्त लेखे

2010-15 के दौरान ₹ 9,042 करोड़ के कुल बाजार उधारों में से 84.07 प्रतिशत ऋण 7 से 10 वर्षों की परिपक्वता अवधि के थे। कम परिपक्वता अवधि (3-7 वर्ष) के ₹ 1,440 करोड़ के ऋण 2012-13 और 2013-14 के दौरान ही जुटाए गये हैं।

#### 1.10.4.5 बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति

2016-23 की अवधि के बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति की वर्षवार स्थिति तालिका 1.33 में दी गई है।

तालिका 1.33: बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवाह (31 मार्च 2015 तक)

(₹ करोड़)

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता राशि	बकाया बाजार ऋणों की प्रतिशतता के रूप में
2016-17	1,237	8.14
2017-18	2,049	13.48
2018-19	2,102	13.83
2019-20	1,420	9.34
2020-21	645	4.24
2021-22	1,325	8.72
2022-23	1,360	8.95

मार्च 2015 तक बकाया बाजार ऋण = ₹ 15,196 करोड़

वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान बकाया ऋणों के क्रमशः 13.48 प्रतिशत तथा 13.83 प्रतिशत के विमोचन पर विशेष दबाव सहित आगामी सात वर्षों में बकाया बाजार ऋणों की औसतन 9.53 प्रतिशत की परिपक्वता राशि अंतर्विष्ट थी।

#### 1.10.4.6 बाजार ऋणों की ब्याज दर रूपरेखा

वर्षवार औसत ब्याज दरें जिन पर सरकार द्वारा 2010-15 की अवधि के दौरान बाजार ऋण प्राप्त किये गये थे तालिका 1.34 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.34: बाजार ऋणों की ब्याज दर रूपरेखा

(₹ करोड़)

ब्याज दर ( प्रतिशत)	वर्ष के दौरान जुटाए गये बाजार ऋण					
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
7-7.99	-	-	-	600	-	600
8-8.99	645	1,120	2,360	603	1,445	6,173
9-9.99	-	205	-	1,164	900	2,269
भारित औसतन ब्याज दर ( प्रतिशत)	8.45	8.87	8.77	8.71	8.91	-

स्रोत: वित्त विभाग

बाजार ऋणों पर भारित औसतन ब्याज दर 2010-11 में 8.45 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 8.87 प्रतिशत हो गई तथा फिर 2012-13 में गिर कर 8.77 प्रतिशत तथा 2013-14 में 8.71 प्रतिशत हो गई व 2014-15 में मामूली सी बढ़कर 8.91 प्रतिशत हो गयी। 10 वर्षों की परिपक्वता अवधि की तुलना में भारित औसतन ब्याज दर में वृद्धि मुख्यतः 3 से 5 वर्षों की परिपक्वता वाले कम अवधि के बाजार ऋण जुटाने के कारण थी।

#### 1.10.4.7 राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान

तालिका 1.35 विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतानों के अनुपात को प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.35: राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के प्रति ब्याज भुगतान

(₹ करोड़)

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सकल ब्याज भुगतान					
विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ब्याज भुगतान	1,950	2,130	2,370	2,481	2,849
राजस्व प्राप्तियां	12,711	14,543	15,598	15,711	17,843
राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	15.34	14.65	15.19	15.79	15.97

स्रोत: वित्त लेखे

2010-12 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 15.34 प्रतिशत से गिरकर 14.65 प्रतिशत हो गई, परन्तु 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में लगातार बढ़कर क्रमशः 15.19 प्रतिशत, 15.79 प्रतिशत व 15.97 प्रतिशत हो गई। राज्य की समग्र ऋण वहन क्षमता में 2010-15 की अवधि में (2011-12 को छोड़कर) गिरता प्रवाह प्रदर्शित हुआ।

## 1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय प्राचल-राजस्व, राजकोषीय एवं मूल घाटा एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा का प्रदर्शन करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को प्रस्तुत करता है। घाटे का स्वरूप सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का सूचक है। इसके अतिरिक्त, विधि जिसमें घाटे को वित्तपोषित किया जाता है तथा जुटाये गये साधनों का उपयोग किया जाता है, इसकी राजकोषीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। यह शाखा इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा एवं विधि तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व के वास्तविक स्तर तथा राजकोषीय घाटे के निर्धारण को भी प्रस्तुत करती है।

### 1.11.1 घाटों का प्रवाह


एफ.आर.बी.एम.एक्ट, 2005 के अनुसार राजस्व घाटा 2011-12 में कम करके शून्य पर लाना अपेक्षित था व तत्पश्चात राजस्व अधिशेष बरकरार रखना था। 2010-15 की अवधि के लिए घाटे के सूचकों के प्रवाह (राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक) को तालिका 1.36 व चार्ट 1.9 एवं 1.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.36: घाटों का प्रवाह


(₹ करोड़)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
<b>घाटे</b>					
राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)	(-)1,235	(+) 645	(-) 576	(-) 1,641	(-)1,944
राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+)	(-)2,532	(-) 1,633	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-)582	(+) 497	(-) 609	(-) 1,530	(-) 1,351
<b>राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन (प्रतिशत)</b>					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.17	(+) 0.97	(-) 0.76	(-)1.91	(-) 2.03
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 4.44	(-) 2.46	(-) 3.91	(-) 4.67	(-) 4.39
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.02	(+) 0.75	(-) 0.80	(-) 1.78	(-) 1.41

चार्ट 1.9: घाटे के सूचकों का प्रवाह  
(₹ करोड़)



चार्ट 1.10: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में घाटे के सूचकों का प्रवाह  
(सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आंकड़े)



2011-12 के दौरान राजस्व घाटे की शून्य स्थिति की प्राप्ति और तदुपरांत राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित था जिसे लब्ध नहीं किया जा सका। वर्ष 2011-12 के अतिरिक्त जब राज्य ने क्रमशः ₹ 645 करोड़ एवं ₹ 497 करोड़ का राजस्व एवं मूल अधिशेष पाया, 2010-15 के दौरान राजस्व, राजकोषीय एवं मूल सभी लेखों में भारी घाटे की स्थिति का अनुभव किया गया। 2011-12 में राजस्व अधिशेष की स्थिति से राज्य को 2012-13, 2013-14 व 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 576 करोड़, ₹ 1,641 करोड़ व ₹ 1,944 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ।

राजकोषीय घाटा 2013-14 में ₹ 4,011 करोड़ से ₹ 189 करोड़ बढ़कर 2014-15 के दौरान ₹ 4,200 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.39 प्रतिशत था, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये प्रक्षेपणों (अर्थात् 3 प्रतिशत) से सार्थक रूप से अधिक था। मूल घाटा 2013-14 में ₹ 1,530 करोड़ से ₹ 179 करोड़ घटकर 2014-15 में ₹ 1,351 करोड़ हो गया।

### 1.11.2 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तीय स्वरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीय ढांचे में एक रचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि तालिका 1.37 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.37: राजकोषीय घाटे का संघटन तथा इसका वित्तीय ढांचा

(₹ करोड़)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
<b>राजकोषीय घाटे के संघटक</b>					
1 राजस्व घाटा/अधिशेष	(-)1,235 ((-) 2.17)	(+) 645 (0.97)	(-) 576 ((-) 0.76)	(-) 1,641 ((-) 1.91)	(-) 1,944 ((-) 2.03)
2 शुद्ध पूंजीगत व्यय	1,143(2.00)	1,810(2.72)	1,955(2.56)	1,856(2.16)	1,823(1.91)
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	154(0.27)	468(0.70)	448(0.59)	514(0.60)	433(0.45)
4 सकल राज्य घरेलू उत्पाद	56,980	66,448	76,259	85,841	95,587
<b>राजकोषीय घाटे का वित्तीय ढांचा*</b>					
1 बाजार उधार	389	922	1,662	1,757	1,631
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 23	(-) 13	71	(-) 6	59
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	650	127	286	424	904
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	526	(-) 180	(-) 764	173	24
5 लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	888	636	1,112	887	1,185
6 निक्षेप एवं अग्रिम	333	178	(-) 156	207	504
7 उचन्त एवं विविध	137	(-) 119	756	267	28
8 प्रेषण	48	(-) 127	(-) 174	(-) 23	12
9 अन्य	(-)416	209	186	325	(-) 147
10 समग्र अधिशेष/घाटा	(-) 2,532	(-) 1,633	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200

कोष्ठकों के आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रतिशत इंगित करते हैं।

\*ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरणों/बाह्य प्रवाह का निवल हैं।

स्रोत: वित्त लेखे

उपर्युक्त तालिका 1.37 दर्शाती है कि 2014-15 के दौरान ₹ 4,200 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार के उधारों (₹ 1,631 करोड़), लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि (₹ 1,185 करोड़), राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियों (₹ 904 करोड़) व जमा एवं अग्रिम (₹ 504 करोड़) के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शुद्ध पूंजीगत व्यय 2011-12 के 2.72 से घटकर चालू वर्ष में 1.91 प्रतिशत हो गया जो प्रदर्शित करता है कि उधार ली गई राशि का उपयोग परिसम्पत्तियों के सृजनार्थ करने की बजाय राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु किया गया।

विगत पांच वर्षों में राज्य सरकार द्वारा उधार ली गई राशि की प्रयुक्ति के ब्यौरे तालिका 1.38 में प्रदत्त है।

तालिका 1.38: उधारों की प्रयोज्यता

(₹ करोड़)

वर्ष	कुल उधार	पहले लिए गए उधारों की चुकौती ( मूलांश )	शुद्ध पूंजीगत व्यय	शेष
1	2	3	4	5 ( 2-( 3+4 ) )
2010-11	2,411	870 (36)	1,143 (47)	398 (17)
2011-12	1,984	1,128 (57)	1,810 (91)	(-) 954 (-48)
2012-13	3,371	2,117 (63)	1,955 (58)	(-) 701 (-21)
2013-14	4,050	1,704 (42)	1,856 (46)	490 (12)
2014-15	10,877	8,260 (76)	1,823 (17)	794 (7)

(कोष्ठकों के आंकड़े कुल उधारों की प्रतिशतता इंगित करते हैं)

स्रोत: वित्त लेखे

**तालिका 1.38** स्पष्टतः दर्शाती है कि अधिकांश उधार पूर्व में लिए गए उधारों की चुकौती हेतु प्रयुक्त किए गए। विगत दायित्वों की चुकौती हेतु उधारों की प्रयुक्ति प्रतिशतता वर्षानुवर्ष बढ़ रही है और पूंजीगत व्यय हेतु उपलब्ध राशि घट रही है। चुकौती हेतु उधारों की प्रयुक्ति 2011-12 के 36 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 76 प्रतिशत हो गयी जबकि पूंजीगत व्यय हेतु 2011-12 के 91 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 17 प्रतिशत रह गई। कुल उधारों की शेष राशि राजस्व प्राप्ति व राजस्व व्यय के अन्तराल के वित्त पोषणार्थ प्रयुक्त की गयी थी।

वित्त लेखे की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि 2010-15 के दौरान 36 से 76 प्रतिशत उधार पुराने ऋणों की चुकौती हेतु प्रयुक्त होती है जिसका तात्पर्य है कि नए उधार पुराने उधारों के वित्त पोषण व बढ़ते राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चूंकि उधार एफ.आर.बी.एम. ऐक्ट में निर्धारित सीमा तक पहुंच गए हैं और निवेशों से उधार ली गई राशि पर प्रदत्त ब्याज से अतीव न्यून प्रतिफल मिल रहा है जैसे कि पैरा 1.8.2 में दिया गया है, अतः नए उधारों से राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

### 1.11.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात सूचित करता है कि किस सीमा तक उधार ली गई निधियां चालू उपभोग हेतु प्रयुक्त की गईं। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटे के संदर्भ में राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर कम हो रहा था तथा उधारों (राजकोषीय देयताएं) का कोई परिसम्पत्ति पृष्ठ पोषण नहीं है। प्राथमिक घाटे का द्विभाजन वह सीमा इंगित करता है जिस पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा था जो कि राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के सुधारार्थ वांछनीय है। 2010-14 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात 0.19 से 0.49 तक था। 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात महत्वपूर्ण रूप से अधिक 0.46 था (परिशिष्ट 1.3)।

2010-15 (तालिका 1.39) के दौरान सरकार के प्राथमिक घाटे या अधिशेष में परिणत कारकों के द्विभाजन से उद्घाटित हुआ कि इस अवधि में प्राथमिक व्यय की तुलना में प्राथमिक घाटा ऋणोत्तर प्राप्तियों की धीमी वृद्धि के कारण था। अतएव राज्य की ऋणोत्तर प्राप्तियां प्राथमिक व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी पर्याप्त नहीं थीं। यदि यह प्रवाह निरन्तर रहा तो ऋण वहनीयता गंभीर संकट में होगी क्योंकि प्रत्येक वर्ष आदर्शात्मक वृद्धिकारी ऋणोत्तर प्राप्तियां न केवल वृद्धिकारी प्राथमिक व्यय को थामती हैं अपितु वृद्धिकारी ऋण बोझ को भी संबल देती है।



तालिका 1.39: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल मूलभूत व्यय (3+4+5)	प्राथमिक राजस्व अधिशेष (2-3)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (2-6)
2010-11	13,430	11,996	1,789	227	14,012	1,434	(-) 582
2011-12	14,568	11,768	1,810	493	14,071	2,800	(+) 497
2012-13	15,619	13,804	1,955	469	16,228	1,815	(-) 609
2013-14	15,728	14,871	1,856	531	17,258	857	(-) 1,530
2014-15	18,534	16,938	2,473	474	19,885	1,596	(-) 1,351

राज्य ने 2011-12 में अपने वित्तीय संसाधनों में सुधार अवलोकित किया क्योंकि 2010-11 का (-) ₹ 582 करोड़ का प्राथमिक घाटा ₹ 497 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया लेकिन राज्य ने 2012-13 में ₹ 609 करोड़ के प्राथमिक घाटे की अनुभूति की जो 2013-14 में पुनः बढ़कर ₹ 1,530 करोड़ हो गया। 2014-15 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 1,351 करोड़ था जो गत वर्ष से ₹ 179 करोड़ कम था। यह गत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान ₹ 2,607 करोड़ (15 प्रतिशत) के कुल प्राथमिक व्यय के सापेक्ष ऋणोत्तर प्राप्ति में ₹ 2,806 करोड़ (18 प्रतिशत) की वृद्धि का विशुद्ध प्रभाव था। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे पर ब्याज भुगतान 68 प्रतिशत था।

### 1.12 राज्य वित्त के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य के वित्त पर वर्ष 2008-09 से अनुगामी वर्षों का पृथक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है और राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित टिप्पणी/स्वतः उत्तर प्रस्तुत कर दिए थे। लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है।

### 1.13 निष्कर्ष व संस्तुतियां

राज्य ने 2011-12 में राजस्व घाटा खत्म करने के लक्ष्य की लब्धि कर ली क्योंकि उस वर्ष राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 645 करोड़ हो गया लेकिन वर्ष 2011-12 के पश्चात् उसने निरन्तर 2012-13 (₹ 576 करोड़), 2013-14 (₹ 1,641 करोड़) व 2014-15 (₹ 1,944 करोड़) राजस्व घाटे की अनुभूति की। इस प्रकार 2010-11 से 2014-15 (2011-12 को छोड़कर) के दौरान राजस्व लेखा तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपों व राजस्व अधिशेष के अनुश्रवण के एफ.आर.बी.एम. लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त एफ.आर.बी.एम. एक्ट में नियत लक्ष्य व तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपों (3 प्रतिशत) के सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा 2014-15 में 4.39 प्रतिशत होकर काफी अधिक था। गत वर्ष के ₹ 1,530 करोड़ के प्राथमिक घाटे में सुधार होकर यह 2014-15 में ₹ 1,351 करोड़ हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत के रूप में राज्य का कुल बकाया ऋण 2014-15 में 39.96 था जो एफ.आर.बी.एम. एक्ट के लक्ष्य (40.10) के अन्तर्गत था लेकिन एम.टी.एफ.पी.एस. में 37.58 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

2014-15 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्ति (₹ 17,843 करोड़) ₹ 2,132 करोड़ (13.57 प्रतिशत) बढ़ गई। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व (33 प्रतिशत) व भारत सरकार से सहायता अनुदान (40 प्रतिशत) का अंश पूर्ववत् बना रहा लेकिन कर-भिन्न राजस्व (12 प्रतिशत) गत वर्ष की तुलना में 2014-15 में एक प्रतिशत बढ़ गया।

कर एवं कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण में सुधारार्थ तथा राजस्व व्यय के नियन्त्रणार्थ राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए ताकि निधि उधार लेने के आश्रय पर कम निर्भर रहा जाए।

यद्यपि राजस्व व्यय 2013-14 में ₹ 17,352 करोड़ से ₹ 2,435 करोड़ (14.03 प्रतिशत) बढ़कर 2014-15 में ₹ 19,787 करोड़ हो गया व इसी अवधि में कुल व्यय में इसका अंश (87 प्रतिशत) तीन प्रतिशत घट गया लेकिन आयोजनेतर राजस्व व्यय 2010-15 में राजस्व व्यय का 84-88 प्रतिशत था। वेतन, ब्याज भुगतानों, पेंशनों एवं उपदानों पर हुआ व्यय 2010-11 में ₹ 10,455 करोड़ से निरन्तर वृद्धि दर्शाते हुए 2014-15 में वह ₹ 14,982 करोड़ पहुंच गया। इसके अतिरिक्त शुद्ध पूंजीगत व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत 2011-12 के 2.72 से घटकर चालू वर्ष में 1.91 हो गया जिससे यह सिद्ध होता है कि उधार ली गई राशि परिसम्पत्तियों के सृजन की बजाय राजस्व व्यय की पूर्ति में प्रयुक्त की गई।

यद्यपि आयोजनेतर राजस्व व्यय अधिकतर तनख्वाहों, ब्याज भुगतानों व पेंशनों पर है जो कि नियन्त्रण मुक्त है लेकिन राज्य सरकार आयोजनेतर राजस्व व्यय को नियन्त्रणाधीन करने के लिए उपयुक्त पगों की संभावना पर विचार कर सकती है ताकि परिसम्पत्तियों के सृजन व राज्य के धारणीय विकास हेतु राजस्व घाटा समाप्त किया जा सके।

2014-15 के दौरान भारत सरकार ने राज्य की विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को राज्य के बजट से बाहर रखकर सीधे ₹ 278.55 करोड़ हस्तान्तरित किए। इन निधियों के अनुश्रवणार्थ राज्य में कोई पृथक ऐजेन्सी नहीं है।

इन निधियों की लेखाबद्धता के लिए कोई व्यवस्था बनानी चाहिए व इनकी प्रभावी प्रयुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा वैधीकृत अद्यतन सूचना होनी चाहिए।

सरकार ने 31 मार्च 2015 को सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों व सहकारी समितियों में ₹ 2,732 करोड़ निवेशित किए। विगत पांच वर्षों में सरकारी निवेशों पर औसत प्रतिफल 3.81 प्रतिशत था और उसने अपने उधारों पर 7.86 प्रतिशत औसत ब्याज का भुगतान किया।

राज्य सरकार को ऋण के वित्त पोषणार्थ समर्थकारी होने के लिए विभिन्न एकाकों में अपने निवेश की उत्पादकता में सुधार करना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा 26 विभिन्न संस्थाओं/एकाकों को प्रदत्त ₹ 79.86 करोड़ के ऋण व अग्रिमों की वसूली अभी बकाया थी और इन्हे वसूल करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए। बकाया पड़े ऋण 4 से 28 वर्ष पुराने थे। पुनः 2006-07 से 2014-15 तक ₹ 26.57 करोड़ का ऋण विभिन्न ऋणियों/एकाकों को स्वीकृत किया गया था जिसकी शर्तें निर्धारित नहीं की गई थी।

राज्य सरकार प्रदत्त ऋणों की शर्तों को सुनिश्चित करें और पहले के ऋणों की वसूली किए बिना आगामी ऋण व अग्रिमों की स्वीकृति की परिपाटी पर पुनर्विचार करें।

2011-12 व 2014-15 में राज्य के सामाजिक क्षेत्र में सकल व्यय के सापेक्ष कुल व्यय का अनुपात विशेष श्रेणी राज्यों से क्रमशः 2.92 व 3.06 प्रतिशत कम था।

राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता नहीं दी है क्योंकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय अनुपात प्रतिशतता 2011-12 में 11.17 है और 2014-15 में 10.88 है। यह विशेष श्रेणी राज्यों के 2011-12 के 14.02 व 2014-15 के 14.22 के औसत अनुपात से न्यून है।

सरकार को सामाजिक क्षेत्र में व्यय बढ़ाने के कदम उठाने चाहिए व साथ-साथ राज्य में पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिए।

चालू वर्ष के अन्त में गत वर्ष की तुलना से 13 प्रतिशत की वृद्धि वाले ₹ 38,192 करोड़ के राजकोष दायित्व थे जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद व राजस्व प्राप्तियों के क्रमशः 40 व 214 प्रतिशत थे। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों के अन्तिम शेष का हिस्सा 2010-11 के 49.45 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 59.06 प्रतिशत हो गया। आगामी सात वर्षों में बकाया बाजार ऋणों की परिपक्वता राशि औसतन 9.53 प्रतिशत थी जिससे 2017-18 में बकाया ऋणों के 13.48 प्रतिशत व 2018-19 में 13.83 प्रतिशत ऋणशोधन का दबाव है। 2010-15 में 36 से 76 प्रतिशत उधार पुराने ऋणों को चुकाने में खपे जिससे सिद्ध है कि नए उधार पुरानों को चुकाने व बढ़े राजस्व व्यय में खर्च हुए। चूंकि उधार एफ.आर.बी.एम. ऐक्ट में निर्धारित सीमा तक पहुंच गए हैं, इसलिए नए उधारों से राज्य सरकार की राजकोष व्यवस्था पर प्रतिकूलता आएगी।

राज्य सरकार आवश्यकता आधारित उधार लेने पर विचार करे व इन उधारों को बढ़ते राजस्व व्यय को पूरा करने की बजाय पूंजीगत व्यय हेतु खर्च करें।

**अध्याय-II**  
**वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण**



## अध्याय-II

### वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

#### 2.1 परिचय

2.1.1 विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे विनियोजन लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्षणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखा वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं इसलिए ये वित्त लेखा के सम्पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय वास्तविक रूप में विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अंतर्गत प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के अनुसार प्रभारित किया गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आई बजट एवं व्यय प्रबंधन तथा बजट नियमावली के उल्लंघन से सम्बंधित कमियों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

#### 2.2 विनियोजन लेखे का सारांश

वर्ष 2014-15 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है।

तालिका 2.1: 2014-15 के मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

	व्यय स्वरूप	मूल अनुदान/विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत <sup>1</sup> (-)/आधिक्य (+)	प्रत्यर्पित राशि	31 मार्च को प्रत्यर्पित राशि	31 मार्च को प्रत्यर्पित बचतों का प्रतिशत ( कॉलम 7/कॉलम 6 )
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
दत्तमत	I राजस्व	18,878.33	1,298.82	20,177.15	19,214.26	(-)962.89	1,660.90	1,660.90	172
	II पूंजी	1,992.58	565.58	2,558.16	2,506.41	(-)51.75	35.28	35.28	68
	III ऋण एवं अग्रिम	367.03	81.33	448.36	474.19	25.83	60.78	60.78	-
<b>कुल दत्तमत</b>		<b>21,237.94</b>	<b>1,945.73</b>	<b>23,183.67</b>	<b>22,194.86</b>	<b>(-)988.81</b>	<b>1,756.96</b>	<b>1,756.96</b>	<b>177.68</b>
प्रभारित	IV राजस्व	2,794.71	2.36	2,797.07	2,894.20	97.13	60.94	60.94	-
	V पूंजी	-	23.49	23.49	23.12	(-)0.37	- <sup>2</sup>	- <sup>3</sup>	-
	V लोक ऋण-चुकोती	1,510.96	5,782.02	7,292.98	8,259.82	966.84	-	-	-
<b>कुल प्रभारित</b>		<b>4,305.67</b>	<b>5,807.87</b>	<b>10,113.54</b>	<b>11,177.14</b>	<b>1,063.60</b>	<b>60.94</b>	<b>60.94</b>	<b>-</b>
	आकस्मिक निधि ( अगर कोई है ) से विनियोजन		-		-	-	-	-	-
<b>सकल योग</b>		<b>25,543.61</b>	<b>7,753.60</b>	<b>33,297.21</b>	<b>33,372.00</b>	<b>74.79</b>	<b>1,817.90</b>	<b>1,817.90</b>	<b>-</b>

स्रोत: विनियोजन लेखे

<sup>1</sup> निधियों के उपयोग में कमी

<sup>2</sup> ₹ 16,000/- केवल

<sup>3</sup> ₹ 16,000/- केवल

वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत दर्ज ₹ 74.79 करोड़ का समस्त व्यय आधिक्य, पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत चार अनुदानों व एक विनियोजन तथा राजस्व प्रवर्ग के छः अनुदानों व पांच विनियोजनों में ₹ 1,585.69 करोड़ (संदर्भ: विनियोजन लेखा का सारांश) में आधिक्य के परिणामस्वरूप था जो पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत 21 अनुदानों तथा दो विनियोजनों तथा राजस्व प्रवर्ग के 26 अनुदानों तथा चार विनियोजनों में ₹ 1,510.90 करोड़ की बचतों (संदर्भ: विनियोजन लेखा का सारांश) द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।

वर्ष के दौरान अनुदान जिनके प्रति ₹ 25 करोड़ से अधिक की सार्थक बचतें पाई गईं वे भूमि राजस्व तथा जिला प्रशासन राजस्व-दत्तमत शिक्षा (राजस्व-दत्तमत), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व-दत्तमत), ग्रामीण विकास (राजस्व-दत्तमत), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (राजस्व-दत्तमत), श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण (राजस्व-दत्तमत) तथा वित्त (राजस्व-दत्तमत) थे। इसी प्रकार अनुदान/विनियोजन जिनके प्रति वर्ष 2014-15 के दौरान आवंटनों की तुलना में सार्थक व्यय आधिक्य पाया गया वे कृषि (राजस्व-दत्तमत), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व-दत्तमत), वित्त (राजस्व-प्रभारित), विद्युत विकास (पूंजीगत-दत्तमत) एवं वित्त (पूंजीगत-प्रभारित) थे।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा संबन्धित नियंत्रण अधिकारियों से 205 उप-शीर्षों (आधिक्य: 93 उप-शीर्ष; बचत: 112 उप-शीर्ष) के संबन्ध में बचतों/आधिक्यों के लिए कारण मांगे गये थे (जुलाई 2015)। कारण प्रतीक्षित थे (सितंबर 2015)।

## 2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

### 2.3.1 अधिक व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (3) के अनुसार इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुरूप विधि द्वारा निर्मित विनियोगों को छोड़कर राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त उपबन्धों के बावजूद भी बजट प्रावधान से भी अधिक व्यय 2013-14 के ₹ 474.84 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 1,585.69 करोड़ हो गया। सकल व्यय (₹ 14,670.30 करोड़) के अनुमोदित प्रावधान से ₹ 1,585.05 करोड़ बढ़े हुए उस व्यय के ब्यौरे **परिशिष्ट 2.1** में दिये गये हैं जिनमें से प्रत्येक नौ मामलों में व्यय ₹ एक करोड़ से अधिक व कुल प्रावधान (एक) के 20 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया। विभागों से अधिक व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2015)।

दोषी विभागों के अधिक व्यय से परिहार हेतु सुदृढ़ उपाय करने की आवश्यकता है। अधिक व्यय की अपरिहार्यता का कोई ठोस कारण नहीं है जबकि सरकार को किसी भी वर्ष में विधान मण्डल के तीन सत्रों के दौरान अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत करने के अवसर प्राप्त होते हैं। बजट आकलनों पर व अनुपूरक अनुदान मांगों पर भी अनुचित आयोजना, दूरदर्शिता के अभाव व अप्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप बजट अनुदान आधिक्य पूर्ण हो जाता है।

#### 2.3.1.1 प्रावधानों पर आधिक्य नियमन हेतु अपेक्षित

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए अनुदान/विनियोजन के आधिक्य को राज्य विधायिका से नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमन हेतु अनुच्छेद के अंतर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों पर परिचर्चा पूर्ण होने के उपरांत अधिक व्यय का नियमन किया जाता है। तथापि, 2009-10 से 2013-14 तक के वर्षों का ₹ 5,055.89 करोड़ (**परिशिष्ट 2.2**) का अधिक व्यय सितम्बर 2015 तक नियमित किया जाना बाकी था। वर्ष 2014-15 के दौरान 10 अनुदानों तथा छः विनियोजनों में हुए ₹ 1,585.69 करोड़ (**परिशिष्ट 2.3**) के व्यय आधिक्य को भी नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

### 2.3.1.2 निरंतर व्यय आधिक्य

अनुदान संख्या 13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता में राजस्व-दत्तमत्त में 2010-11 (₹ 586.72 करोड़), 2011-12 (₹ 350.71 करोड़), 2012-13 (₹ 285.21 करोड़), 2013-14 (₹ 255.33 करोड़) एवं 2014-15 (₹ 474.07 करोड़) के दौरान निरन्तर व्यय आधिक्य था।

निरन्तर व्यय आधिक्य यह दर्शाता है कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में ठोस प्रयास की कमी थी और वर्षानुवर्ष अधिक व्यय को रोकने के लिए निधियां आवंटित करते समय गत वर्ष की प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखा गया।

### 2.3.1.3 प्रावधानरहित व्यय

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार निधियों के प्रावधान के बिना स्कीम/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया जैसाकि **परिशिष्ट 2.4** में ब्यौरा दिया गया है कि 20 मामलों में मूल आकलनों/अनुपूरक मांग में बिना किसी प्रावधान तथा इस आशय के किन्हीं पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 35.80 करोड़ का व्यय किया गया।

विनियोजन के आधिक्य में या विनियोजनरहित व्यय बजट नियन्त्रण तन्त्र में चूक का द्योतक है और अनियमित भी है क्योंकि राज्य विधान-मण्डल से अनुमोदन के बिना व्यय किया गया है।

### 2.3.1.4 अधिक व्यय में परिणत अपर्याप्त/अनावश्यक/अधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान छः मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक, प्राप्त समग्र ₹ 343.99 करोड़ (**परिशिष्ट 2.5**) का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं गया। सात मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) प्राप्त ₹ 5,967 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान ₹ 1,011.84 करोड़ (**परिशिष्ट 2.6**) के कुल अनावृत्त आधिक्य व्यय को छोड़ते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुआ। वित्त विभाग द्वारा अनावृत्त आधिक्य में से ₹ 966.83 करोड़ (96 प्रतिशत) अनुदान संख्या 29-वित्त (पूंजीगत-प्रभारित) में खर्च किया गया।

### 2.3.2 निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई से जहां बचतें प्रत्याशित हैं, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, अनुदान के अन्तर्गत निधियों का अंतरण है। अविवेकी पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप 54 उप-शीर्षों (**परिशिष्ट 2.7**) में ₹ एक करोड़ से अधिक बचतें/आधिक्य हुआ। इनमें से, 13 उप-शीर्षों में ₹ 10 करोड़ से अधिक का आधिक्य/बचतें हुईं। इसके अतिरिक्त शीर्ष 2415-01-004-02 (हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान हेतु अनुदान) के अंतर्गत अनुदान संख्या 11-कृषि के तहत ₹ 9.14 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ था जहां ₹ 16.34 करोड़ का पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

### 2.3.3 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार व्यय के तीव्र प्रवाह से विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन मास में बचना चाहिए।

इसके विपरीत 23 उप-शीर्षों (**परिशिष्ट 2.8**) के सम्बन्ध में वर्ष हेतु कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक से समावेशित ₹ 10 करोड़ से अधिक का व्यय मार्च 2015 मास में किया गया था। मुख्य शीर्षों,



जहां व्यय 50 प्रतिशत से अधिक या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही अथवा अंतिम मास के दौरान किया गया, का ब्यौरा तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (दत्तमत/प्रभारित)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2015 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता		
1.	2245 (दत्तमत) - प्राकृतिक आपदाओं पर राहत	164.35	92.76	56	12.33	8
2.	2801 (दत्तमत) - विद्युत	403.78	330.00	82	330.00	82
3.	4216 (दत्तमत) - आवासीय पर पूंजीगत परिव्यय	16.52	11.05	67	11.05	67
4.	4701 (दत्तमत) - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	22.91	22.81	99	22.81	99
5.	4705 (दत्तमत) - कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	18.74	15.29	82	15.29	82
6.	5054 (प्रभारित) - सड़कों व पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	21.49	16.08	75	16.08	75
योग		647.79	487.99	75	407.56	63

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना।

### 2.3.4 आवंटित प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम से उद्घाटित हुआ कि 30 मामलों में बचतें प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ तक बढ़ गईं तथा तीन मामलों में कुल प्रावधान से 20 प्रतिशत अधिक रही (परिशिष्ट 2.9)। ₹ 1,510.90 करोड़ की कुल बचतों में से चार अनुदानों से संबन्धित मात्र चार मामलों में ₹ 1,228.60 करोड़ (81 प्रतिशत) की बहुत अधिक बचतें थीं जहां बचत प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक थी जैसा कि तालिका 2.3 में इंगित किया गया है।

तालिका 2.3: ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें/प्रतिशतता	बहुत अधिक बचतों की स्कीमें
राजस्व दत्तमत					
1.	08-शिक्षा	4,086.12	3,700.75	385.37(9)	पूर्व-माध्यमिक विद्यालय: 221.64 माध्यमिक विद्यालय: 38.21
2.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,247.36	1,095.47	151.89(12)	शहरी स्वास्थ्य: 38.36 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान: 46.72
3.	20-ग्रामीण विकास	948.43	838.57	109.86(12)	मगनरेगस: 20.17
4.	29-वित्त	3,546.79	2,965.31	581.48 (16)	से सेवानिवृत्ति 01-11-1966: 92.37 से भुगतान 01-11-1966: 57.00 से भुगतान 01-11-1966 से उपदान भुगतान: 129.96
योग		9,828.70	8,600.10	1,228.60	

स्रोत: विनियोजन लेखे  
कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान संख्या 09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 20-ग्रामीण विकास तथा 29- वित्त में अधिक मात्रा में बचतों (उपयोग में कमी) के कारण नहीं बताए गए थे (सितम्बर 2015)।

**2.3.4.1 निरंतर बचतें**

गत पांच वर्षों के दौरान आठ मामलों में प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें थी, जैसा कि तालिका 2.4 में वर्णित किया गया है।

तालिका 2.4: 2010-15 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	बचत की राशि				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
<b>राजस्व दत्तमत्त</b>						
1.	03-न्याय प्रशासन	16.51	15.96	14.78	16.71	4.52
2.	08-शिक्षा	33.53	205.11	119.99	342.46	385.37
3.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	7.78	9.43	6.89	13.44	11.61
4.	20-ग्रामीण विकास	4.06	75.07	72.69	60.04	109.86
<b>पूँजीगत-दत्तमत्त</b>						
5.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	1.58	51.22	45.41	77.21	11.83
6.	29-वित्त	1.84	1.67	5.07	4.52	5.49
7.	31-जनजातीय विकास	1.67	12.55	8.54	45.42	7.17
8.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	18.49	2.39	61.22	83.63	9.27

स्रोत: विनियोग लेखे

वर्ष 2012-13 (₹ 81.44 करोड़), 2013-14 (₹ 204.90 करोड़) तथा 2014-15 (₹ 221.64 करोड़) के दौरान अनुदान संख्या 08-शिक्षा के अंतर्गत बचतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्व-माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत था।

**2.3.4.2 अधिक मात्रा में अभ्यर्पण**

स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न करने अथवा धीमें कार्यान्वयन से 34 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.10) के सम्बंध में अधिक मात्रा में अभ्यर्पण (मामले जहां कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) किये गये थे। इन 34 स्कीमों में ₹ 291.30 करोड़ राशि के कुल प्रावधान में से ₹ 215.04 करोड़ (74 प्रतिशत) के अभ्यर्पण किये गये थे जिसमें 17 स्कीमों (₹ 72.23 करोड़) (परिशिष्ट 2.11) में शत-प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित थे। 17 स्कीमों में से 08-शिक्षा के अन्तर्गत 'अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति' (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹ 3.29 करोड़), अनुदान संख्या 10- लोक निर्माण सड़कें, पुल तथा भवनों के अन्तर्गत 'तेरहवें वित्त आयोग अवार्ड के अन्तर्गत सड़कों के रखरखाव पर व्यय' (₹ 41.62 करोड़) तथा अनुदान संख्या 32-अनुसूचित जाति उप-योजना के अन्तर्गत 'विद्युत बोर्ड को सहायता' (₹ 12.59 करोड़) व 'राज्य कला उद्योग के निर्माण पर व्यय' (₹ 3.77 करोड़) के अन्तर्गत अभ्यर्पित किये गए थे।

इसके अतिरिक्त, 16 मामलों में 31 मार्च 2015 तक ₹ 1,648.74 करोड़ से अंतर्विष्ट प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक का अभ्यर्पण था (परिशिष्ट 2.12)। मार्च 2015 के अंतिम कार्य दिवस पर निधियों का अभ्यर्पण जिसके परिणामस्वरूप जरूरतमंद क्षेत्रों में अन्य विकासशील उद्देश्यों के लिए निधियों की प्रयुक्ति नहीं हुई, से अपर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण इंगित होता है।

**2.3.4.3 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न करना**

हिमाचल प्रदेश बजट नियम-पुस्तिका (अध्याय 11 का परिच्छेद 11.2) के अनुसार सभी बचतें, जब कभी प्रत्याशित हों, व्यय करने वाले विभाग द्वारा 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अवश्य अभ्यर्पित की जानी चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि निम्नलिखित अनुदानों में ₹ 651.70 करोड़ की कुल बचतों में से केवल ₹ 474.71 करोड़ अभ्यर्पित किये गये थे जैसाकि तालिका 2.5 में वर्णित है।

तालिका 2.5: अभ्यर्पित न किए गए ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई
<b>राजस्व-दत्तमत्त</b>				
1.	07-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	9.14	8.83	0.31
2.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यकी	6.72	5.45	1.27
3.	18-उद्योग, खनिज पदार्थ, आपूर्ति एवं सूचना तकनीकी	5.20	3.08	2.12
4.	29- वित्त	581.48	428.49	152.99
<b>पूंजीगत-दत्तमत्त</b>				
5.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.44	5.23	1.21
6.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल तथा भवन	11.83	9.95	1.88
7.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	8.96	8.62	0.34
8.	29- वित्त	5.49	5.06	0.43
9.	31- जनजातीय विकास	7.17	-	7.17
10.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	9.27	-	9.27
<b>योग</b>		<b>651.70</b>	<b>474.71</b>	<b>176.99</b>

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, बचतों की बड़ी राशि के बावजूद अनुदान संख्या 18-उद्योग, खनिज पदार्थ, आपूर्ति एवं सूचना तकनीकी: ₹ 2.12 करोड़ (राजस्व-दत्तमत्त) और 29-वित्त: ₹ 152.99 करोड़ (राजस्व-दत्तमत्त) के अंतर्गत पर्याप्त अभ्यर्पण नहीं किये गए थे। इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या 31-जनजातीय विकास (पूंजीगत-दत्तमत्त) और 32-अनुसूचित जाति उप-योजना (पूंजीगत-दत्तमत्त) के अन्तर्गत बड़ी बचतों के बावजूद अभ्यर्पण नहीं किये गये थे।

### 2.3.5 बजट अनुदान के परहस्तगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली के नियम 5.71 (ग) (5) में यह अनुबद्ध है कि कोषागार से तब तक किसी भी राशि का आहरण नहीं किया जाएगा जब तक कि यह अतिशीघ्र संवितरण हेतु आवश्यक न हो। निम्नवत् मामलों के सम्बन्ध में आहृत की गई राशियों को न तो किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों पर व्यय किया गया और न ही 2014-15 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कोषागार में वापिस किया गया।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण कार्य विभागों के छः<sup>4</sup> मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं ने 52 निर्माण कार्यों<sup>5</sup> के निष्पादनार्थ ₹ 58.79 करोड़ आहृत किए (मार्च 2013 एवं मार्च 2014) तथा साथ ही निधियां उनके नियंत्रणाधीन अन्य मण्डलों (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण) तथा उप-मण्डलों<sup>6</sup> (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण) को हस्तांतरित कर दीं। 2014-15 के वित्तीय वर्ष में मई 2013 तथा जून 2014 के बीच मण्डलों (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण) से ₹ 11.79 करोड़ की राशि वापिस प्राप्त की गयी थी तथा जमा शीर्ष के अंतर्गत रखी गयी थी। उप-मण्डलों

<sup>4</sup> हमीरपुर: ₹ 36.50 करोड़; पांवटा साहब: ₹ 6.77 करोड़; संख्या I ऊना (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य): ₹ 5.55 करोड़; डलहौजी: ₹ 1.10 करोड़; धामी: ₹ 6.24 करोड़ एवं हमीरपुर (लो.नि.): ₹ 2.63 करोड़

<sup>5</sup> मध्यम सिंचाई परियोजना नादौन क्षेत्र का निर्माण (एक); बाटा नदी चरण- I का सरणीकरण (एक); एल.आई.एस., एल.डब्ल्यू.एस.एस. व डब्ल्यू.एस.एस. का निर्माण व संवर्धन (10); बाढ़ सुरक्षा व सरणीकरण (दो); हैण्डपम्प प्रतिष्ठापन (एक) (सि. एवं ज.स्वा.) व सड़कों की विशेष मरम्मत/वार्षिक सतहीकरण/वार्षिक मरम्मत व अनुरक्षण/सुधार/उन्नयन (छ:); सड़कों का निर्माण (छ:); कार्यालय/सर्किट हाउस/रेस्ट हाउस/ प्रशिक्षण केन्द्र भवन/ आवास/ पार्किंग (15) तथा अन्य विविध विकास कार्य (10) (लो.नि.)

<sup>6</sup> संख्या II ऊना (सि. एवं ज. स्वा.): ₹ 5.55 करोड़; संख्या III शिमला (लो.नि.): ₹ 6.24 करोड़; माजरा व पांवटा (सिं. एवं ज. स्वा.): ₹ 6.77 करोड़; हमीरपुर (सिं. एवं ज. स्वा.): ₹ 36.50 करोड़; डलहौजी (लो.नि.): ₹ 1.10 करोड़; एवं हमीरपुर (लो.नि.): ₹ 2.63 करोड़

(सिचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण कार्य) ने भी ₹ 47.00 करोड़ की राशि जमा शीर्ष के अंतर्गत रखी (मार्च-मई 2014)।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता सम्पूर्ण राशि प्रयुक्त नहीं कर सके थे तथा ₹ 30.80 करोड़<sup>7</sup> की समग्र निधि उनके पास जमा शीर्ष के अंतर्गत अप्रयुक्त रही (अक्टूबर 2014 तथा मार्च 2015)। अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा निधियां बजट अनुदान को परहस होने से बचाने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में आहृत की गई थी। अधिशासी अभियन्ताओं ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2014-मार्च 2015)।

व्यय के लिए निधियों का आहरण एवं इसे जमा शीर्ष के अंतर्गत रखने से बजटीय नियंत्रण तन्त्र को कमजोर करता है क्योंकि यह राज्य लेखों में व्यय के रूप में पुस्तांकित किया जाता है जबकि राशि को अभी भी खर्च करना बाकी है।

### 2.3.6 सरकारी लेखा के बाहर निधियों को रखना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली का नियम 2.10 (ख) (5) यह अनुबद्ध करता है कि कोषागार से किसी भी राशि का आहरण नहीं किया जाएगा बशर्ते यह अतिशीघ्र संवितरण हेतु आवश्यक है यह स्थायी अग्रिम से पहले की भुगतान किया गया हो एवं ऐसे कार्यों के निष्पादन, जिनके पूर्ण होने में अधिक समय लगने की संभावना हो, के लिए कोषागार से अग्रिम आहरण अनुज्ञेय नहीं है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी किसी भी सामान्य या विशेष नियमों के अन्तर्गत उपयोग में न लाई गई निधियों को बैंक में जमा करने हेतु प्राधिकृत नहीं हैं।

महिला एवं बाल विकास और ग्रामीण विकास विभागों के तीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की जांच में यह पता चला कि इन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बर्तनों, प्राक्शिक्षा विद्यालय किट, पानी की टंकी की खरीद, महिला मण्डलों को प्रोत्साहन अनुदान आदि के लिए 2007-08, 2012-13 एवं 2013-14 में ₹ 1.18 करोड़ आहृत किये गये। विभागों की राशि खर्च करने में असमर्थता के कारण नवम्बर एवं दिसम्बर 2014 तक ₹ 1.18 करोड़ की सम्पूर्ण राशि बैंकों में अप्रयुक्त पड़ी रही जैसा कि परिशिष्ट 2.13 में विवरण दिया गया है। सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने बताया (नवम्बर 2014 तथा जनवरी 2015) कि बैंकों में पड़ी अव्ययित राशि शीघ्र ही उपयोग में लाई जाएगी। ये उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि कुछ निधियां बैंकों में पिछले साढ़े छः वर्षों से पड़ी थीं।

### 2.4 विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में विलंब

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली के नियम 5.74 और 5.75 के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल में प्रमाणित करना होता है कि उस बिल की तिथि से एक मास से अधिक समय से आहृत सार आकस्मिक बिलों के सम्बन्ध में विस्तृत बिलों को कोषाधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उसी वित्तीय वर्ष, जिसमें यह आहृत किए गए हैं, के दौरान अग्रिम को समायोजित करवाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का है एवं एक वित्तीय वर्ष का अग्रिम दूसरे वर्ष तक जाने की संभावना से बचने के लिए मार्च माह में कोई अग्रिम प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। राज्य में 11 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा मार्च 2015 तक सार आकस्मिक बिलों पर आहृत ₹ 47.78 करोड़ में से 31 मई 2015 तक प्राप्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की कुल राशि ₹ 1.83 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45.95 करोड़ का बकाया शेष था जो आहृत

<sup>7</sup> हमीरपुर: ₹ 17.29 करोड़; पांवटा साहब: ₹ 4.38 करोड़; संख्या । ऊना (सिं. एवं ज. स्वा.): ₹ 3.92 करोड़; डलहौजी: ₹ 0.76 करोड़; धामी: ₹ 1.97 करोड़; व हमीरपुर (लो.नि.): ₹ 2.48 करोड़;

सार आकस्मिक बिलों का मार्च 2015 तक 96 प्रतिशत था। वर्षवार एवं विभागवार ब्यौरा परिशिष्ट 2.14 में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सार आकस्मिक/विस्तृत आकस्मिक बिलों की विस्तृत संवीक्षा के लिए चयन किया गया था। एकत्रित की गई (मई 2015) सूचना तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2015) ने दर्शाया कि वर्ष 2012-14 के दौरान, ₹ 11.91 करोड़ की राशि के 25 सार आकस्मिक बिल दवाइयों की खरीद हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित, शिमला के प्रबन्ध निदेशक के पक्ष में आहत किये गए एवं ₹ 13.98 करोड़ के 13 सार आकस्मिक बिल वित्तीय वर्ष 2014-15 के समापन के दिन आहत कर 13 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (इण्टेन्डिंग अधिकारी) को अवमुक्त किये गये। ये सार आकस्मिक बिल 31 अगस्त 2015 तक असमायोजित रहे जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली के विपरीत था। विवरण निम्नवत तालिका 2.6 में हैं।

तालिका 2.6: अगस्त 2015 तक असमायोजित रहे सार आकस्मिक बिल

(₹ करोड़)

क्रमांक	वर्ष	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	सार आकस्मिक बिलों के आहरण की तिथि एवं मास	राशि
1.	2012-13	16	30-03-2013	11.25
2.	2013-14	9	दिसम्बर 2013 एवं फरवरी 2014	0.66
3.	2014-15	13	31-03-2015	13.98
	योग	38		25.89

विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान पहले अग्रिम का समायोजन किये बिना सार आकस्मिक बिलों का आहरण किया गया था जो कि उपर्युक्त नियम के अनुरूप नहीं था।

यह बताये जाने पर विभाग ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (सितम्बर 2015) कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं सम्बन्धित अधिकारियों को दवाइयों के लिए प्रदान किये गए अग्रिमों के संबंध में अंतिम समायोजन प्राप्त न होने के कारण विभाग उनका समायोजन नहीं कर सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा पूरे साल के बाद वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2014-15 के अंत में अग्रिम प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-14 में पहले का अग्रिम समायोजित किए बिना अग्रिम संस्वीकृत किया। अतः विभाग हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली में निर्धारित निर्दिष्ट आन्तरिक नियन्त्रण मण्डलों का अनुसरण करने में विफल रहा।

## 2.5 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन

व्यक्तिगत निक्षेप लेखों को समेकित निधि के डेबिट द्वारा सृजित किया जाता है और उसे समेकित निधि में सम्बद्ध सेवा शीर्षों के शेष के माइनस डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द किया जाना चाहिए। महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय से प्राप्त सूचना से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2014-15 के आरम्भ में 15 जिला कोषों में 109 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे थे। इन 109 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में से वर्ष के दौरान 11 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे बन्द किए गए तथा 15 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे खोले गए। 31 मार्च 2015 तक इन 113 लेखों में पड़े शेष की स्थिति निम्नवत् है:

- वर्ष के दौरान ₹ 360.80 करोड़ के शेष वाले 100 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- चालू वर्ष के दौरान ₹ 0.20 करोड़ की राशि के 13 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में नहीं थे। ये व्यक्तिगत निक्षेप लेखे विगत पांच वर्षों से अधिक से परिचालन में नहीं थे।

व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में पड़े अव्ययित शेष समेकित निधि में वापस किये जाने अपेक्षित हैं। 113 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों (परिशिष्ट 2.15) में ₹ 361 करोड़ अव्ययित शेषों की जांच अपेक्षित है।

## 2.6 चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम

अनुदान संख्या 13<sup>8</sup>-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के सम्बंध में बजट प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की एक समीक्षा परिचालित की गई थी (जुलाई 2015) और समीक्षा के दौरान पाये गये प्रमुख बिन्दुओं का विवरण निम्नवत् है:

### 2.6.1 बजट एवं व्यय

2014-15 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत निधियों के आवंटन एवं किये गये व्यय की पूर्ण स्थिति तालिका 2.7 में दी गई है।

तालिका 2.7: 2014-15 के दौरान निधियों के आवंटन एवं किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग	1,699.84	2,173.90	474.06
पूँजी प्रवर्ग	532.40	523.13	(-) 9.27
योग	2,232.24	2,697.03	464.79

स्रोत: विनियोजन लेखे

### 2.6.2 अवास्तविक आकलनों के कारण बजट प्रावधानों से आधिक्य

2014-15 के दौरान सात मुख्य शीर्षों (तालिका 2.8) के अन्तर्गत ₹ 1,699.84 करोड़ के प्रावधानों पर ₹ 2,173.90 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 474.06 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। यह देखा गया था कि बड़ी मात्रा में आधिक्य मुख्यतः मुख्य शीर्षों 2215 एवं 2711 के अन्तर्गत उच्चत शीर्ष (उच्चत स्टॉक: ₹ 257.70 करोड़, स्टॉक विनिर्माण: ₹ 7.46 करोड़ एवं विविध लोक निर्माण अग्रिम: ₹ 151.63 करोड़) के अन्तर्गत ₹ 416.79 करोड़ के संचयन के कारण हुआ। यह अक्षम योजना एवं अव्यावहारिक आकलन निर्देशित करता है। राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 474.06 करोड़ का व्यय आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।

तालिका 2.8: बजट प्रावधानों पर आधिक्य

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	कुल प्रावधान पर आधिक्य (+)/ बचत (-)
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
राजस्व प्रवर्ग-दत्तमत							
1.	2059-लोक निर्माण	0.64	-	-	0.64	0.62	(-) 0.02
2.	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,152.45	-*	10.74	1,163.19	1,511.89	348.70
3.	2216-आवासीय	0.04	-	-	0.04	0.04	-**
4.	2700-मुख्य सिंचाई	18.66	-	(-) 3.79	14.87	13.69	(-) 1.18
5.	2701-मध्यम सिंचाई	10.76	-	0.71	11.47	11.49	0.02
6.	2702-लघु सिंचाई	512.11	-	(-) 61.23	450.88	465.56	14.68
7.	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जलोत्सारण	5.18	-***	3.79	8.97	170.61	161.64
	योग	1,699.84	-	(-) 49.78	1,650.06	2,173.90	523.84

\* ₹4,000 केवल

\*\* ₹13,130 केवल

\*\*\* ₹1,000 केवल

<sup>8</sup> मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य, 2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता, 2216-आवासीय, 2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2711-राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण एवं जलोत्सारण व 4215-जलापूर्ति व स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4705-कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय व 4711-पूँजी प्रवर्ग में बाढ़ नियंत्रण व जलोत्सारण

सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) ने बताया (जुलाई 2015) कि मुख्य शीर्ष 2215 एवं 2711 के अन्तर्गत व्यय आधिक्य उच्चत शीर्षों के अन्तर्गत सामग्री की बुकिंग के कारण था जिसे शीघ्र विनियमित कर दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बजट प्रावधानों के बिना व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

### 2.6.3 अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

चार मुख्य शीर्षों (तालिका 2.8) के अन्तर्गत ₹ 525.04 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता के लिए विभाग द्वारा नगण्य राशि ₹ पांच हजार का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। यह अव्यावहारिक आकलन का परिचायक है।

विभाग द्वारा अव्यावहारिक आकलन के ठोस कारण नहीं दिये गये थे।

### 2.6.4 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

2014-15 के दौरान, मुख्य शीर्ष (2215 और 2711) के अन्तर्गत ₹ 14.53 करोड़ का पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 1,157.63 करोड़ के मूल प्रावधान में से ₹ 510.34 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ। इसके अतिरिक्त, मुख्य शीर्ष 2702-लघु सिंचाई के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन प्राप्त करके ₹ 61.23 करोड़ का आहरण अविवेकपूर्ण था क्योंकि वहां अन्ततः ₹ 46.55 करोड़ की बचत थी।

सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) ने बताया (जुलाई 2015) कि मुख्य शीर्ष 2215 और 2711 के अन्तर्गत व्यय आधिक्य सामग्री को उच्चत शीर्ष के अन्तर्गत बुक करने के कारण था एवं मुख्य शीर्ष 2702 के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मुख्य शीर्ष 2215 एवं 2711 के अन्तर्गत बजट प्रावधानों के बिना व्यय नहीं किया जाना चाहिए था एवं मुख्य शीर्ष 2702 के अन्तर्गत भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए निधियों का अभ्यर्पण किया जाना चाहिए था।

### 2.6.5 निधियों का अभ्यर्पण

i) 2014-15 के दौरान अनुदान के राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत ₹ 1,699.84 करोड़ के प्रावधान में से ₹ 2,173.90 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 474.06 करोड़ (तालिका 2.7) का व्यय आधिक्य हुआ तथापि विभाग द्वारा ₹ 474.06 करोड़ के व्यय आधिक्य में से गलत ढंग से ₹ 49.78 करोड़ का अभ्यर्पण (मार्च 2015) किया गया।

ii) 2014-15 के दौरान अनुदान के पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत ₹ 532.40 करोड़ के प्रावधान में से ₹ 523.13 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके फलस्वरूप ₹ 9.27 करोड़ (तालिका 2.7) की बचत हुई तथापि विभाग ने ₹ 8.62 करोड़ अभ्यर्पित किये (मार्च 2015) जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.65 करोड़ कम अभ्यर्पित हुए।

₹ 49.78 करोड़ एवं ₹ 0.65 करोड़ का गलत/कम अभ्यर्पण वित्त प्रबन्धन की कमी दर्शाता है।

### 2.6.6 व्यय का प्रवाह

राज्य सरकार ने व्यय करने की तिमाही-वार प्रतिशतता निर्धारित (सितम्बर 1995) की है। 2014-15 के दौरान अनुदान संख्या 13 के मामले में तिमाही-वार निर्धारित व्यय के प्रवाह को नहीं बनाए रखा गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है:

## तालिका 2.9: व्यय का प्रवाह

(₹ करोड़)

माह	व्यय	तिमाही	तिमाही के दौरान व्यय के लिए निर्धारित मानक ( प्रतिशत )	तिमाही में व्यय	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
अप्रैल/2014	18.04	1	20	386.19	14
मई/2014	216.44				
जून/2014	151.71				
जुलाई/2014	137.87	2	25	502.73	19
अगस्त/2014	202.94				
सितम्बर/2014	161.92				
अक्टूबर/2014	212.87	3	30	606.28	22
नवम्बर/2014	188.93				
दिसम्बर/2014	204.48				
जनवरी/2015	217.36	4	25	1,201.83	45
फरवरी/2015	228.75				
मार्च/2015	755.72				
<b>योग</b>	<b>2,697.03</b>			<b>2,697.03</b>	

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, कि विभाग ने व्यय के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया था और वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तिम तिमाही में व्यय तीव्र का प्रवाह 45 प्रतिशत था एवं केवल मार्च 2015 माह के दौरान यह अनुदान के कुल व्यय (₹ 2,697.03 करोड़) का 28 प्रतिशत (₹ 755.72 करोड़) था। यह न केवल निधियों के उपयोग एवं आवंटन के लिए योजना की कमी दर्शाता है बल्कि व्यय नियन्त्रण प्रणाली की अनुपस्थिति भी दिखाता है।

वर्ष के अंत में व्यय का प्रवाह निष्फल, निरर्थक या खराब योजनागत व्यय में परिणित हो सकता है। विभाग को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह को रोकने के लिए निधियों को जहां तक व्यवहार्य हो निर्धारित मानकों के अनुसार पूरे साल में एक समान रूप से खर्च करना सुनिश्चित करना चाहिए।

### 2.6.7 बजटीय विवरण का देरी से प्रस्तुत करना

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष से वित्त विभाग को बजट प्राक्कलन तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पण की विवरणी क्रमशः 25 अक्टूबर एवं 1 दिसम्बर को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है तथापि यह पाया गया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियन्ता द्वारा 2014-15 के लिए बजट आकलन तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी 24 दिसम्बर 2013 एवं 11 फरवरी 2015 को प्रस्तुत की गई थी जिसके फलस्वरूप क्रमशः 60 दिनों एवं 72 दिनों की देरी हुई। यह दर्शाता था कि 2014-15 के दौरान विभाग ने बजट आकलन और आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी को प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सारणी का अनुसरण नहीं किया था।

सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा) ने (जुलाई 2015) देरी का कारण विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयों से व्यय विवरणी की प्राप्ति में लगा समय बताया। उत्तर विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण में कमी दर्शाता है।



## 2.7 कोषों के निरीक्षण के परिणाम

### 2.7.1 पेंशन लाभों की अधिक अदायगी

वर्ष 2013-14 हेतु महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा जिला कोषों/कोषों/उप-कोषों के निरीक्षण के दौरान पेंशन भुगतान अभिलेखों की नमूना जांच दर्शाती है कि छः जिला कोषाधिकारियों तथा दो कोषाधिकारियों ने 17 पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों को ₹ 9.81 लाख तक का अधिक भुगतान किया जैसाकि तालिका 2.10 में विवरण दिया गया है। सम्बन्धित पेंशनरों की पेंशन को कम करने/पेंशन के रूपांतरित भाग की शीघ्र बहाली और स्वर्गवासी सरकारी कर्मचारी के बच्चों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार पारिवारिक पेंशनधारी के विवाह एवं निर्धारित अवधि के बाद पारिवारिक पेंशन का भुगतान के कारण अधिक भुगतान हुआ था।

तालिका 2.10: वर्ष 2013-14 के दौरान (2014-15 में जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन) पेंशन लाभों का अधिक भुगतान (रूपांतरण/पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में)

(₹ लाख)

क्रमांक	जिला कोषागार/कोषागार/उप-कोषागार का नाम	अधिक भुगतान का स्वरूप	मामलों की संख्या	भुगतान		
				बैंक द्वारा	कोषागार द्वारा	कोषागार वार योग
1.	जिला कोषागार, कांगडा	रूपांतरण	3	--	कोषागार द्वारा	1.51
2.	जिला कोषागार, किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	पारिवारिक पेंशन	1	--	कोषागार द्वारा	1.04
3.	जिला कोषागार, कुल्लू	रूपांतरण पारिवारिक पेंशन	2 1	--	कोषागार द्वारा	1.83
4.	जिला कोषागार, केलांग	रूपांतरण	2	--	कोषागार द्वारा	0.49
5.	जिला कोषागार, सोलन	पारिवारिक पेंशन	3	--	कोषागार द्वारा	0.35
6.	जिला कोषागार, ऊना	रूपांतरण	2	--	कोषागार द्वारा	3.52
7.	कोषागार, काजा	पारिवारिक पेंशन पेंशन	1 1	--	कोषागार द्वारा	0.87
8.	उप-कोषागार, डोडरा-क्वार	पारिवारिक पेंशन	1	--	कोषागार द्वारा	0.20
योग			17	--		9.81

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार किया गया वर्ष 2014-15 हेतु हिमाचल प्रदेश में कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन।

### 2.7.2 साख पत्र की तुलना में निधियों का अधिक आहरण

हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली 2007 के नियम 5.121(क) में परिकल्पित प्रावधानों के अनुसार जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा सम्बन्धित बैंक को आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिए कि लोक निर्माण/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों के अधिकारी द्वारा जारी ऐसे किसी चैक को स्वीकार न करें जिन्होंने साख पत्र में निर्धारित सीमा पार कर ली है। साख पत्र धारकों को जैसे ही साख पत्र की और राशि दी जाती है, चैक भुनाने हेतु नये अनुदेश जारी किये जाने अपेक्षित होते हैं।

कोषागारों के स्थानीय निरीक्षणों के दौरान यह देखा गया कि आठ जिला कोषागारों/उप-कोषागारों में 12 चैक आहरण करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा साख पत्र की निर्धारित सीमा से अधिक ₹ 9.45 करोड़ की राशि का आहरण किया गया (तालिका 2.11)। अतः साख पत्र सीमा से अधिक की निधियों के आहरण से बजटीय नियंत्रण प्रणाली अप्रभावी हुई।

तालिका 2.11: निधियों का साख पत्र की अपेक्षा अधिक आहरण ( 2014-15 में जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन )

( ₹ लाख )

क्रमांक	जिला कोष/उप-कोष का नाम	अधिक आहरण राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नाम
1.	जिला कोषागार, कांगडा स्थित धर्मशाला	5.20	अधिकाशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो.नि.वि., नूरपुर
2.	उप-कोषागार, नूरपुर	45.89 2.17	अधिकाशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, नूरपुर अधिकाशासी अभियन्ता, फिना सिंह, एम.आई.पी. मण्डल, सडवां नूरपुर
3.	उप-कोषागार, कसबा कोटला	578.59	अधिकाशासी अभियन्ता, एस.एन.पी.डी., टैरेस, जिला कांगडा
4.	जिला कोषागार, शिमला	0.46	अधिकाशासी अभियन्ता, जल विद्युत निर्माण व अनुरक्षण मण्डल, शिमला
5.	उप-कोषागार, जुब्बल	8.34	अधिकाशासी अभियन्ता, लो.नि.वि., जुब्बल
6.	उप-कोषागार, रोहडू	90.00	अधिकाशासी अभियन्ता, लो.नि.वि., रोहडू
7.	उप-कोषागार, चिरगाँव	12.11	सहायक अभियन्ता, लो.नि.वि., चिरगाँव
8.	जिला कोषागार, सिरमौर स्थित नाहन	62.54 10.67 45.00 84.27	अधिकाशासी अभियन्ता, लो.नि.वि., नाहन अधिकाशासी अभियन्ता, लो.नि.वि., पांवटा साहिब अधिकाशासी अभियन्ता, लो.नि.वि., राजगढ़ अधिकाशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, पांवटा साहिब
योग		945.24 लाख अर्थात् ₹ 9.45 करोड़	12 आहरण एवं संवितरण अधिकारी

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार किया गया वर्ष 2014-15 हेतु हिमाचल प्रदेश में कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन।

### 2.7.3 व्यापकता अवधि की समाप्ति के बाद चैकों का आहरण

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 भाग-1 के नियम 2.16 तथा हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2007 के नियम 5.16.1 में निहित प्रावधानों के अनुसार चैक जारी करने के माह के बाद तीन माह के लिए प्रचलित रहता है। वित्त विभाग के पत्र दिनांक 7 नवम्बर 2008 एवं 12 नवम्बर 2008 के द्वारा साख पत्र की रूपान्तरित प्रणाली अपनाई गई है जिसमें प्रावधान है कि 1 दिसम्बर 2008 को या उसके बाद बैंक में प्रस्तुत किए गए चैक का बैंक भुगतान नहीं करेगा जब तक कि ये कोषागार द्वारा पास न किये जाएं।

जिला कोषागार/ कोषागार की स्थानीय जांच के दौरान यह पाया गया कि दो मामलों में चैकों की व्यापकता अवधि की समाप्ति के बाद ₹ 5.95 लाख की भुगतान राशि तालिका 2.12 में दिये गये विवरणानुसार आहृत की गई थी।

तालिका 2.12: व्यापकता अवधि की समाप्ति के बाद चैकों का आहरण ( 2014-15 में जारी निरीक्षण प्रतिवेदन )

( ₹ )

क्रमांक	जिला कोष/उप-कोष का नाम	चैक की राशि	मामलों की संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम
1.	उप-कोषागार, देहरा	24,300/-	1	सहायक अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, उप-मण्डल, डाडा सिबा
2.	जिला कोषागार, शिमला	5,70,593/-	1	सहायक अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, उप-मण्डल, ठियोग
योग		5,94,893/- अर्थात् ₹ 5.95 लाख		

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार किया गया वर्ष 2014-15 हेतु हिमाचल प्रदेश में कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

## 2.8 निष्कर्ष व संस्तुतियां

2014-15 वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोजन के अंतर्गत दर्ज ₹ 74.79 करोड़ का समग्र आधिक्य ₹ 1,585.69 करोड़ के आधिक्य का शुद्ध परिणाम था जो ₹ 1,510.90 करोड़ की बचत से प्रतिसंतुलित हुआ। 2009-14 वर्षों के ₹ 5,055.89 करोड़ के अतिरिक्त 2014-15 के ₹ 1,585.69 करोड़ के अधिक व्यय का राज्य विधान मण्डल से नियमन अपेक्षित है।

**राज्य सरकार को अधिक व्यय के कारणों को समय पर प्रस्तुत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।**

वर्ष 2014-15 के दौरान छः मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) में प्राप्त कुल ₹ 343.99 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय की पूर्ति हेतु मूल प्रावधान पर्याप्त थे तथा सात मामलों में ₹ 5,967 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) का पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिससे कुल ₹ 1,011.84 करोड़ का अधिक व्यय इसमें शामिल नहीं था।

**राज्य सरकार को अत्यधिक बचतों/आधिक्यों से बचने के लिए बजट आकलनों की तैयारी हेतु तंत्र को चुस्त करना चाहिए।**

16 मामलों में वित्तीय वर्ष (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक के अभ्यर्पण) के अन्त में ₹ 1,648.74 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के दृष्टान्त भी थे जिनके परिणामस्वरूप 54 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ एक करोड़ से अधिक के आधिक्य/बचतें हुईं। वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में तीव्र व्यय प्रवाह से विभागों में बजट नियन्त्रण का अभाव इंगित हुआ। विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत न करने के कारण 2010-15 वर्षों के दौरान आहत ₹ 45.95 करोड़ के सार आकस्मिक बिल मई-जुलाई 2015 तक असमायोजित पड़े रहे। आठ जिला कोषागारों/उप-कोषागारों में चैक आहरण वाले 12 आहरण-संवितरण अधिकारियों ने विहित साख पत्र सीमा से ₹ 9.45 करोड़ अधिक आहत किए।

जरूरतमंद विभागों द्वारा प्रभावी प्रयुक्ति हेतु राज्य सरकार नियत तिथि तक बचतों के अभ्यर्पण को सुनिश्चित कर सकती है। वर्षान्त में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए सुनियोजित ढंग से व्यय किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को विद्यमान नियमों में यथाविहित समय-सीमा के अन्दर सार आकस्मिक बिलों पर आहत राशि के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक बिलों को तुरन्त प्रस्तुत करने हेतु कदम उठाने चाहिए। वित्तीय प्रबंधन में ऐसी विकृतियों से बचने के लिए सख्ती से बजट नियन्त्रण की अनुपालना होनी चाहिए।

**अध्याय-III**  
**वित्तीय विवरण**



## अध्याय - III

### वित्तीय विवरण

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना सहित ठोस आन्तरिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार के कुशल तथा प्रभावी शासन को महत्वपूर्ण सहयोग देता है। इस प्रकार ऐसी अनुपालनाओं की प्रास्थिति पर विवरण की सामयिकता तथा गुणवत्ता के साथ-साथ वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों की अनुपालना सफल शासन के गुणों में से एक है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर विवरण, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक है, राज्य सरकार को अनुकूल योजना तथा निर्णय लेने सहित मूल प्रबंधकता उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों सहित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा स्थिति को उपलब्ध करवाता है।

#### 3.1 प्रयुक्त प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से विशिष्ट उद्देश्यार्थ अनुदानों के प्रयुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रेषित किया जाना चाहिए, जब तक कि अन्य प्रकार से विनिर्दिष्ट हो। तथापि, मार्च 2015 तक ₹ 3,065.48 करोड़ के अनुदानों व ऋणों के सम्बंध में देय 42,642 प्रयुक्त प्रमाणपत्रों में से ₹ 2,387.39 करोड़ (78 प्रतिशत) की कुल राशि के 15,539 (36 प्रतिशत) प्रयुक्त प्रमाणपत्र मार्च 2015 तक लम्बित थे जिनमें से ₹ 0.07 करोड़ का एक प्रयुक्त प्रमाणपत्र नौ वर्षों से अधिक की अवधि से लम्बित था। बकाया प्रयुक्त प्रमाणपत्रों का विभाग-वार ब्यौरा परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है तथा प्रयुक्त प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अवधि-वार विलम्ब तालिका 3.1 में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.1: 31 मार्च, 2015 तक प्रयुक्त प्रमाणपत्रों का अवधि-वार बकाया

(₹ करोड़)

क्रमांक	विलम्बावधि (संख्या वर्षों में)	प्रदत्त कुल अनुदान		बकाया प्रयुक्त प्रमाणपत्र	
		मामलों की संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	0 – 1	25,615	1,437.89	11,674	1,240.88
2.	1 – 3	16,199	1,396.01	3,128	942.06
3.	3 – 5	825	231.26	737	204.45
4.	5 – 7	02	0.25	--	--
5.	7 – 9	--	--	--	--
6.	9 व इससे ऊपर	01	0.07	--	--
	<b>योग</b>	<b>42,642</b>	<b>3,065.48</b>	<b>15,539</b>	<b>2,387.39</b>

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय, हिमाचल प्रदेश

लम्बित प्रयुक्त प्रमाणपत्र मुख्यतः शिक्षा विभाग (9,581 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 250.57 करोड़), ग्रामीण विकास (2,719 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 1,086.85 करोड़), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (1,572 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 77.39 करोड़), कला एवं संस्कृति (329 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 6.35 करोड़), उद्योग (180 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 33.43 करोड़), शहरी विकास (152 प्रयुक्त

प्रमाणपत्र: ₹ 550.34 करोड़), क्रीड़ा एवं युवा सेवाएं (15 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 0.89 करोड़), पर्यटन (47 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 37.77 करोड़), पशुपालन (69 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 62.38 करोड़), आबकारी एवं कराधान (72 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 16.27 करोड़), सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं (सात प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 1.55 करोड़) से सम्बन्धित थे। प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अनुदानों को प्राप्तकर्ताओं द्वारा उस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त कर लिया गया था जिसके लिए ये दिये गये थे।

### 3.2 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के समक्ष रखने में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा बहुत से स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। राज्य में 14 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करने तथा इसको विधानसभा पटल पर रखने की प्रास्थिति को परिशिष्ट 3.2 में इंगित किया गया है।

वर्ष 2013-14 के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला के लेखे 12 महीने तक विलम्बित थे जबकि अन्य निकायों के सम्बंध में विलम्ब आधे से तीन मास के मध्य था। अगस्त 2015 तक वर्ष 2014-15 के लिए 13 निकायों (राज्य पशु चिकित्सा परिषद्, शिमला को छोड़कर) के लेखे उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। लेखों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब करने से वित्तीय अनियमितताओं के न पकड़े जाने का जोखिम रहता है और इसीलिए लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तथा लेखापरीक्षा के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है।

राज्य पशु चिकित्सा परिषद् शिमला के वर्ष 2012-13 व 2013-14 के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी कर दिए गए हैं और उन्हें विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए जारी किए गए शेष 13 स्वायत्त निकायों के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अभी राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। 2014-15 के लिए 13 निकायों के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखाओं के उपलब्ध न करवाने के कारण लम्बित हैं। राज्य पशु चिकित्सा परिषद् शिमला पर 2014-15 के लिए पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी कर दिया गया है जो कि विधानसभा के समक्ष रखा जाना है।

### 3.3 प्रदत्त अनुदानों/ऋणों के ब्यौरे का अप्रस्तुतीकरण

संस्थाओं/संगठनों जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 14 तथा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आकृष्ट करते हैं, को पहचानने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों से प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा को विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता का उद्देश्य तथा संस्थाओं के कुल व्यय से संबंधित विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 में प्रावधान है कि सरकारें तथा विभागाध्यक्ष जो निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण की संस्वीकृति देते हैं, ऐसे निकायों अथवा प्राधिकरणों, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदान और/या ऋण दिए गए थे, का विवरण प्रतिवर्ष जुलाई के अंत में लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजेंगे जिसमें (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी तथा (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित किया गया हो।

अगस्त 2015 तक वर्ष 2014-15 के लिए 15 विभागों/स्वायत्त निकायों<sup>1</sup> (कुल 20 विभागों/स्वायत्त निकायों में से) ने इस तरह का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। इस कारण से शेष मामलों में लेखापरीक्षा विधानसभा/सरकार को उनके द्वारा संस्वीकृत/अदा किए गए अनुदानों के ढंग जिसमें उनका उपयोग किया गया है, विशेष रूप से गैर-विचलन तथा सही उपयोग के मामले पर आश्वासन देने में असमर्थ था।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश के समक्ष उपरोक्त विवरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण निकायों/संस्थाओं की लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए पहचान नहीं की जा सकी थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की समेकित निधि में से दिये गए ऐसे ऋणों एवं अनुदानों में से व्यय की परिशुद्धता एवं औचित्य पर लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने हेतु लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

### 3.4 दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार जून 2015 तक राज्य सरकार ने ₹ 78.70 लाख के सरकारी धन से अन्तर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के 47 मामलों को सूचित किया जिन पर अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। इनमें से 41 मामले पांच साल से अधिक पुराने थे। लम्बित मामलों का विभाग-वार ब्यौरा तथा अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.3** तथा इन मामलों का स्वरूप **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है। लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा तथा प्रत्येक श्रेणी में लम्बित मामलों की संख्या 'चोरी एवं दुर्विनियोजन/हानि' जो इन परिशिष्टों से उजागर हुई को **तालिका 3.2** में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.2: दुर्विनियोजन/हानियों एवं चोरी की रूपरेखा

(₹ लाख)

लम्बित मामलों की अवधि रूपरेखा			लम्बित मामलों का स्वरूप		
वर्षों में अवधि	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि	मामलों का स्वरूप/लक्षण	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि
0 - 5	06	6.08	चोरी	12	12.09
5 - 10	08	19.68			
10 - 15	09	33.77			
15 - 20	09	12.51			
20 - 25	02	3.12			
25 व इससे ऊपर	13	3.54			
<b>योग</b>	<b>47</b>	<b>78.70</b>			
			दुर्विनियोजन/सामग्री की हानि	35	66.61

आगे का विश्लेषण इंगित करता है कि बकाया मामलों के कारणों का वर्गीकरण **तालिका-3.3** में सूचीबद्ध श्रेणियों में किया जा सकता था।

<sup>1</sup> उच्च शिक्षा; सर्व शिक्षा अभियान; प्राथमिक शिक्षा; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक मामले; कला; संस्कृति एवं भाषा; पशुपालन; राज्य बीज एवं ऑरगेनिक उत्पाद प्रमाणन अभिकरण; शहरी विकास; कृषि; हिमफैड; मत्स्य; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन; बागवानी निदेशालय; सहकारिता निदेशालय तथा अरण्यपाल (सी ए टी प्लान)।



तालिका 3.3: दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के बकाया मामलों के कारण

(₹ लाख)

विलम्बन/बकाया मामलों के कारण		मामलों की संख्या	राशि
i)	विभागीय एवं आपराधिक जांच के लिए प्रतीक्षित	15	17.37
ii)	वसूली अथवा बट्टे खाते डालने हेतु आदेशों के लिए प्रतीक्षित	14	8.05
iii)	न्यायालय में लम्बित	06	27.30
iv)	वसूली की गई/बट्टे खाते डाले गए लेकिन लोक लेखा समिति से अंतिम निपटान के लिए प्रतीक्षित	12	25.98
योग		47	78.70

### 3.5 लेखाओं में गलत वर्गीकरण

#### बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का संचालन

समेकित निधि के अंतर्गत सरकार के व्यय को विभिन्न क्रियाशील शीर्षों के अंतर्गत राजस्व एवं पूंजीगत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उपक्रियाशीलताओं/कार्यक्रमों को दर्शाने वाले उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष मुख्य शीर्षों के नीचे खोले जाते हैं। लघु शीर्ष-800 एक बहुप्रयोजन शीर्ष है और यह लेखों में तब खोला जाता है जब व्यय/प्राप्ति की कोई विशेष मद किसी भी उपलब्ध लघु शीर्ष में रखी नहीं जा सकती है। लघु शीर्ष-800 के नियमित संचालन को निरूत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखे को अपारदर्शी करता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 2,680.31 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों (कुल राजस्व प्राप्तियों का 15.02 प्रतिशत) को 48 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। जिन मामलों में प्राप्तियों का महत्वपूर्ण भाग (50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, उन का उल्लेख परिशिष्ट 3.5 (क एवं ख) में किया गया है।

इसी प्रकार 2014-15 के दौरान कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) के 3.94 प्रतिशत से समावेशित ₹ 877.94 करोड़ का समग्र व्यय 41 राजस्व एवं पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय/प्राप्तियों के अन्तर्गत वृहद राशियों का वर्गीकरण वित्तीय विवरण के उचित तथा सही चित्रण को प्रभावित करता है तथा लेखाओं में अधिसूचित निर्णय लेने के लिए पारदर्शिता को जटिल बनाता है।

### 3.6 निष्कर्ष व संस्तुतियां

प्रयुक्त प्रमाण पत्रों के जमा करवाने में बहुत अधिक विलम्ब हुए तथा परिणामस्वरूप अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। वार्षिक लेखाओं की अनुपलब्धता में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या कुछ स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तों) के अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान को आकर्षित किया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी धन के चोरी, दुर्विनियोजन/हानि आदि के मामलों में लम्बी अवधि से विभागीय कार्रवाई लम्बित थी।

2014-15 के दौरान कुल राजस्व का 15.02 प्रतिशत तथा कुल व्यय का 3.94 प्रतिशत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

राज्य सरकार अनुदानग्राही संस्थाओं को अवमुक्त अनुदानों के सम्बन्ध में प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों के समय पर प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा की सुगमता के लिए स्वायत्त निकायों द्वारा समय पर वार्षिक लेखे तैयार करने व उन्हें प्रस्तुत करने को सुनिश्चित कर सकती है। ( i ) चोरी, दुर्विनियोजन, हानि आदि के प्रकरणों और ( ii ) लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' एवं '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत मुख्य स्कीमों की प्राप्तियों एवं व्यय के त्वरित समायोजन को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी व समयबद्ध तन्त्र को निर्मित करने की आवश्यकता है।

शिमला

दिनांक: 11 जनवरी 2016

राम मोहन जौहरी

(राम मोहन जौहरी)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 15 जनवरी 2016

शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



## परिशिष्ट-1

### राज्य रूपरेखा

#### क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्रफल	55,673 वर्ग कि०मी०
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना ( 2001 ) के अनुसार	0.61 करोड़
	ख 2014 (अनुमान )	0.70 करोड़
3	( क ) जनसंख्या की सघनता ( 2001 ) ( अखिल भारतीय सघनता=325 व्यक्ति/वर्ग कि०मी० ) ( ख )जनसंख्या की सघनता ( 2011 ) ( अखिल भारतीय औसत=382 व्यक्ति/वर्ग कि०मी० )	109 व्यक्ति/वर्ग कि०मी० 123 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत= 30%)	10.90%
5	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%) (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 73%)	76.50% 82.80%
6	( क ) शिशु मृत्यु दर ( 2013 ) ( अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 40 ) ( ख ) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ( 2009-13 ) ( अखिल भारतीय औसत = 67.5 )	35 71
7	गिनी गुणांक ( 2009-10 ) ( शहरी-ग्रामीण जनसंख्या ) ( क ) ग्रामीण ( अखिल भारतीय औसत = 0.29 ) ( ख ) शहरी ( अखिल भारतीय औसत = 0.38 )	0.31 0.40
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2014-15	95,587
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर ( 2005-06 से 2014-15 )	15.02

#### ख वित्तीय आंकड़े

संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर		2005-06 से 2013-14		2013-14 से 2014-15	
		सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश
क	राजस्व प्राप्तियां	13.72	11.54	15.34	13.57
ख	कर राजस्व	16.00	16.62	13.19	15.99
ग	कर-भिन्न राजस्व	10.67	12.62	( - ) 6.78	16.58
घ	कुल व्यय	13.86	13.24	20.99	15.17
ड.	पूँजीगत व्यय	11.36	10.73	26.12	33.24
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	16.09	14.84	17.68	14.83
छ:	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	16.70	12.21	23.67	15.11
ज	वेतन एवं मजदूरी	16.40	14.72	4.52	11.57
झ	पेंशन	19.95	19.86	14.94	2.07

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत की जनगणना सूचना (2011), गरीबी की माप के लिए पद्धति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह (रंगाराजन) का प्रतिवेदन, योजना आयोग, एस आर एस बुलेटिन, 2014-15 आर्थिक सर्वे, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

## परिशिष्ट-1.1

### भाग-क

#### सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

**सरकारी लेखों की संरचना:** राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि; (ii) आकस्मिकता निधि; तथा (iii) लोक लेखा।

**भाग I: समेकित निधि:** राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों की चुकौती में प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि होगी।

**भाग II: आकस्मिकता निधि:** संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रियों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रियों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

**भाग III: लोक लेखा:** लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, जमाओं आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

## परिशिष्ट-1.1

## भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा

वर्ष 2014-15 के लिए वित्त लेखे को दो खण्डों-खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखे को बनाने की रूपरेखा निम्नांकित ढंग से की गई है:

रूपरेखा	
<b>खण्ड I</b>	
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि) अनुलग्नक-क: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश
विवरणी 5	प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य देयताओं की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार द्वारा दिए गये निवेशों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी
विवरणी 10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 11	दत्तमत व प्रभारित व्यय की विवरणी
विवरणी 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और उपयोग की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश
	लेखाओं पर टिप्पणी
<b>खण्ड II</b>	
<b>भाग I: विस्तृत विवरणी</b>	
विवरणी 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	लघु शीर्षों एवं उप-शीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	उधारों एवं अन्य देयताओं की विवरणी
विवरणी 18	सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 20	सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 22	चिन्हित निधियों के निवेशों की विस्तृत विवरणी



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भाग II: परिशिष्ट	
I	मुख्य शीर्षों द्वारा वेतन पर तुलनात्मक व्यय
II	उपदान पर तुलनात्मक व्यय
III	सहायता अनुदान/राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता (स्कीमवार व संस्थावार)
IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण
V	योजनागत स्कीम व्यय (केन्द्रीय व राज्य योजनागत स्कीमों)
VI	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर निधियां)
VII	विवरणी 16 एवं 21 में दर्शाये अंत शेष के संबंध में शेषों की स्वीकृति एवं मिलान
VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं-अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची
X	वेतन एवं गैर-वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुरक्षण व्यय
XI	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीति निर्णयों के निहितार्थ या भावी नकद प्रवाह हेतु प्रस्तावित नई स्कीमों
XII	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देयताएं

## परिशिष्ट-1.2

### भाग-क

#### राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2010-15 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्ण योगों की प्रवृत्ति का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनके व्यवहार पर अभ्युक्तियों की गई हैं। राज्य के वित्त की पुनर्संरचना योजना में तेरहवें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय योगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपण भी बनाया। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि को आवृत्त करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई प्रतिबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय योगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ तेरहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक आकलन करने के लिए उपयोग किया गया है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का यह निर्धारण, कि क्या संसाधनों की गतिशीलता, व्यय का तरीका इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय योगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संगणित किया गया है। 2004-05 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार के निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

#### सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

विगत पांच वर्षों हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़)	56,980	66,448	76,259	85,841	95,587
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	18.24	16.62	14.76	12.57	11.35
स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।					

राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)2]* 100
बकाया ऋणों के प्रति प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(अथ शेष + ऋणों तथा अग्रिमों के अंतशेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां घटा मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

## परिशिष्ट-1.2

### भाग-ख

#### राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 ( 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित )

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगामी कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में विवेकशीलता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को खत्म करना तथा उसके पश्चात् राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;
- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत अथवा उससे कम करना तथा उसके पश्चात् राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत स्तर तक अथवा उससे कम पर बनाए रखना;
- वित्तीय वर्ष 2014-15 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40.10 प्रतिशत तक कम करना।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत से कम दीर्घावधि ऋण पर बकाया जोखिम भारित गारण्टियों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक आंकड़े वित्त लेखे के अनुसार उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 को भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुव्यवस्थित राजकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व अनुश्रवण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाएगा।

**परिशिष्ट-1.3**

( संदर्भ: परिच्छेद 1.1, 1.3, 1.9.2 तथा 1.11.3; पृष्ठ: 1, 8, 27 व 39 )

**राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े**

( ₹ करोड़ )

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
<b>भाग-क: प्राप्तियाँ</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>12,711</b>	<b>14,543</b>	<b>15,598</b>	<b>15,711</b>	<b>17,843</b>
( i ) कर राजस्व	3,643(29)	4,108 (28)	4,626 (30)	5,121 (33)	5,940(33)
विक्री, व्यापार आदि पर कर	2,101(58)	2,477 (60)	2,728 (59)	3,141 (61)	3,661(62)
राज्य आबकारी	562(15)	707 (17)	810 (18)	952 (19)	1,044(18)
वाहनों पर कर	163(4)	176 (4)	196 (4)	208 (4)	220(4)
स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	133(4)	155 (4)	173 (4)	188 (4)	190(3)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	302(8)	185 (5)	262 (6)	191 (4)	333(5)
भू-राजस्व	5(0.1)	18 (11)	24 (-)	10 (-)	17(-)
माल व यात्रियों पर कर	93(3)	94 (2)	101 (2)	105 (2)	110(2)
अन्य कर	284(8)	296 (7)	332 (7)	326 (6)	365(6)
( ii ) कर-भिन्न राजस्व	1,695(13)	1,915 (13)	1,377 (9)	1,785 (11)	2,081(12)
( iii ) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	1,715(13)	1999 (14)	2,282(14)	2,491 (16)	2,644(15)
( iv ) भारत सरकार से सहायता अनुदान	5,658(45)	6,521 (45)	7,313 (47)	6,314 (40)	7,178(40)
<b>2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>646</b>	<b>--</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>650</b>
<b>3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियाँ</b>	<b>73</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>41</b>
<b>4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ ( 1+2+3 )</b>	<b>13,430</b>	<b>14,568</b>	<b>15,619</b>	<b>15,728</b>	<b>18,534</b>
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>2,411</b>	<b>1,984</b>	<b>3,371</b>	<b>4,050</b>	<b>10,877</b>
आंतरिक ऋण ( अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर )	2,372 (98)	1,904 (96)	3,239 (96)	3,362(83)	3,892 (36)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	--	-	629(16)	6,860 (63)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	39	80 (4)	132 (4)	59(1)	125(1)
<b>6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ ( 4+5 )</b>	<b>15,841</b>	<b>16,552</b>	<b>18,990</b>	<b>19,778</b>	<b>29,411</b>
<b>7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. लोक लेखा प्राप्तियाँ</b>	<b>8,507</b>	<b>9,237</b>	<b>9,146</b>	<b>10,300</b>	<b>10,575</b>
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ ( 6+7+8 )</b>	<b>24,348</b>	<b>25,789</b>	<b>28,136</b>	<b>30,078</b>	<b>39,986</b>
<b>भाग ख. व्यय/संवितरण</b>					
<b>10. राजस्व व्यय</b>	<b>13,946</b>	<b>13,898</b>	<b>16,174</b>	<b>17,352</b>	<b>19,787</b>
योजनागत	1,652(12)	1,701 (12)	2,079 (13)	2,387 (14)	3,204(16)
आयोजनेतर	12,294(88)	12,197(88)	14,095 (87)	14,965 (86)	16,583(84)
सामान्य सेवाएं ( ब्याज अदायगियों सहित )	5,279(38)	5,690 (41)	6,618 (41)	7,047 (41)	7,604(38)
सामाजिक सेवाएं	4,979(35)	5,147 (37)	6,131 (38)	6,706 (39)	7,451(38)
आर्थिक सेवाएं	3,682(26)	3,049 (22)	3,418 (21)	3,590 (20)	4,723(24)
सहायता अनुदान व अंशदान	6(-)	12 (-)	7 (-)	9 (-)	9(-)
<b>11. पूंजीगत व्यय</b>	<b>1,789</b>	<b>1,810</b>	<b>1,955</b>	<b>1,856</b>	<b>2,473</b>
योजनागत	1,774(99)	1,764 (97)	1,859 (95)	1,815 (98)	2,431(98)
आयोजनेतर	15(1)	46 (3)	96 (5)	41 (2)	42(2)
सामान्य सेवाएं	73(4)	73 (4)	74 (4)	81 (4)	83(3)
सामाजिक सेवाएं	611(34)	372 (21)	436 (22)	478 (26)	522(21)
आर्थिक सेवाएं	1,105(62)	1,365 (75)	1,445 (74)	1,297 (70)	1,868(76)
<b>12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण</b>	<b>227</b>	<b>493</b>	<b>469</b>	<b>531</b>	<b>474</b>
<b>13. योग ( 10+11+12 )</b>	<b>15,962</b>	<b>16,201</b>	<b>18,598</b>	<b>19,739</b>	<b>22,734</b>

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
<b>14. लोक ऋण की चुकौतियाँ</b>	<b>870</b>	<b>1,128</b>	<b>2,117</b>	<b>1,704</b>	<b>8,260</b>
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	808	1,034	2,056	1,467	1,410
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	--	-	172	6,783
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	62	94	61	65	67
<b>15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16. समेकित निधि में से कुल संवितरण ( 13+14+15 )</b>	<b>16,832</b>	<b>17,329</b>	<b>20,715</b>	<b>21,443</b>	<b>30,994</b>
<b>17. आकस्मिकता निधि संवितरण</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18. लोक लेखा संवितरण</b>	<b>7,162</b>	<b>8,526</b>	<b>8,285</b>	<b>9,227</b>	<b>8,844</b>
<b>19. राज्य द्वारा कुल संवितरण ( 16+17+18 )</b>	<b>23,994</b>	<b>25,855</b>	<b>29,000</b>	<b>30,670</b>	<b>39,838</b>
<b>भाग ग. घाटा/अधिशेष</b>					
<b>20. राजस्व घाटा ( - )/राजस्व अधिशेष ( + ) ( 1-10 )</b>	<b>(-1,235)</b>	<b>(+) 645</b>	<b>(-) 576</b>	<b>(-) 1,641*</b>	<b>(-)1,944</b>
<b>21. राजकोषीय घाटा ( - )/राजकोषीय अधिशेष ( + ) ( 4-13 )</b>	<b>(-2,532)</b>	<b>(-) 1,633</b>	<b>(-) 2,979</b>	<b>(-) 4,011</b>	<b>(-) 4,200</b>
<b>22. प्राथमिक घाटा ( - )/अधिशेष ( + ) ( 21+23 )</b>	<b>(-)582</b>	<b>(+) 497</b>	<b>(-) 609</b>	<b>(-) 1,530</b>	<b>(-) 1,351</b>
<b>भाग घ: अन्य आंकड़े</b>					
<b>23. ब्याज अदायगियाँ ( राजस्व व्यय में सम्मिलित )</b>	<b>1,950</b>	<b>2,130</b>	<b>2,370</b>	<b>2,481</b>	<b>2,849</b>
<b>24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता</b>	<b>849</b>	<b>981</b>	<b>1,203</b>	<b>1,438</b>	<b>2,156</b>
<b>25. प्राप्त किए गए ( दिवस )अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-</b>	<b>629</b>	<b>6,860</b>
प्राप्त किए गए ( दिवस )अर्थोपाय अग्रिम	--	--	-	10	77
प्राप्त किए गए ( दिवस )अधिविकर्ष	--	--	-	01	48
<b>26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-</b>	<b>0.11</b>	<b>14.80</b>
<b>27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद<sup>@</sup></b>	<b>56,980</b>	<b>66,448</b>	<b>76,259</b>	<b>85,841</b>	<b>95,587</b>
	<b>(18.24)</b>	<b>(16.62)</b>	<b>(14.76)</b>	<b>(12.57)</b>	<b>(11.35)</b>
<b>28 बकाया राजकोषीय दायित्व ( वर्षान्त )</b>	<b>26,415</b>	<b>28,228</b>	<b>30,442</b>	<b>33,884</b>	<b>38,192</b>
<b>29. बकाया प्रत्याभूतियाँ ( वर्षान्त ) ( ब्याज सहित )</b>	<b>3,910</b>	<b>3,316</b>	<b>3,353</b>	<b>4,333</b>	<b>4,281</b>
<b>30. प्रत्याभूति अधिकतम राशि ( वर्षान्त )</b>	<b>6,232</b>	<b>6,208</b>	<b>9,455</b>	<b>9,316</b>	<b>9316</b>
<b>31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन</b>	<b>86</b>	<b>930</b>	<b>115</b>	<b>130</b>	<b>141</b>
<b>भाग ड : राजकोषीय स्थिरता सूचक</b>					
<b>I संसाधन गतिशीलता ( अनुपात )</b>					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
<b>II व्यय प्रबन्धन ( अनुपात )</b>					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.28	0.24	0.24	0.23	0.24
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.26	1.11	1.19	1.26	1.27
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.87	0.86	0.86	0.88	0.87
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.35	0.34	0.35	0.36	0.35

\* वास्तविक ₹ 1641.42 करोड़ (पूर्णांकन के कारण अन्तर)

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.30	0.27	0.26	0.25	0.29
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11
<b>III राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन ( अनुपात )</b>					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.46	0.42	0.40	0.39	0.40
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	2.07	1.94	1.95	2.16	2.14
मात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा	(-)0.21	0.20	(-)0.30	(-)0.93	(-)1.03
ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	0.88	1.05	1.02	0.89	0.91
<b>IV अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक</b>					
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़)	64.11	85.65	100.09	103.42	170.99
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़)	(-)2,607	(-) 1,529	(-)3,284	(-)3,544	(-) 4,719
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं ( अनुपात )	0.66	0.70	0.70	0.68	0.67
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा ( अनुपात )	0.49	NA	0.19	0.41	0.46
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद ( अनुपात )	0.01	0.04	0.02	0.008	0.008
<b>राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर</b>					
कुल व्यय (₹ करोड़)	15,962	16,201	18,598	19,739	22,734
कुल व्यय की वृद्धि दर ( प्रतिशत )	21.25	1.50	14.80	6.14	15.17
राजस्व व्यय (₹ करोड़)	13,946	13,898	16,174	17,352	19,787
राजस्व व्यय की वृद्धि दर ( प्रतिशत )	25.06	(-) 0.34	16.38	7.28	14.03
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़)	12,294	12,197	14,095	14,965	16,583
आयोजनेतर राजस्व व्यय की वृद्धि दर ( प्रतिशत )	24.01	(-) 0.79	15.56	6.17	10.81
योजनागत राजस्व व्यय (₹ करोड़)	1,652	1,701	2,079	2,387	3,204
योजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर ( प्रतिशत )	33.44	2.97	22.22	14.81	34.23
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद ( प्रतिशत )	21.58	18.36	18.48	17.43	17.35
राजस्व व्यय/कुल व्यय ( प्रतिशत )	87.37	85.78	86.97	87.91	87.04
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	77.02	75.29	75.79	75.81	72.94
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में योजनागत राजस्व व्यय	10.35	10.50	11.18	12.09	14.09
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	96.72	83.87	90.36	95.25	92.94
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	88.15	87.76	87.15	86.24	83.81
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	11.85	12.24	12.85	13.76	16.19
<b>के साथ राजस्व व्यय की उत्पादकता</b>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद ( अनुपात )	1.37	(-) 0.02	1.11	0.58	1.24
राजस्व प्राप्ति ( अनुपात )	1.09	(-) 0.02	2.26	10.11	1.03
आयोजनेतर राजस्व व्यय ( अनुपात )	1.04	(-) 0.43	1.05	1.18	1.30
योजनागत राजस्व व्यय ( अनुपात )	0.75	(-) 0.12	0.74	0.49	0.41

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के कुल की प्रतिशतता ( पूर्णांकित ) दर्शाते हैं।

## परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)

भाग-क

वर्ष 2014-15 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़)

प्राप्तियाँ						संवितरण				
2013-14		2014-15				2013-14	2014-15			
							गैर योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग-क राजस्व										
I-राजस्व प्राप्तियाँ		15,711.07		17,843.45	I-राजस्व व्यय	17,352.49			19,787.05	19,787.05
(i) कर राजस्व	5,120.91		5,940.16		सामान्य सेवाएं	7,046.82	7,534.33	69.32	7,603.65	
(ii) कर-भिन राजस्व	1,784.53		2,081.45		सामाजिक सेवाएं	6,706.12	5,734.51	1,717.01	7,451.52	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का रान्यांश	2,491.53		2,644.17		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3,616.69	3,434.33	709.54	4,143.87	
(iv) गैर योजनागत अनुदान	2,024.82		1,199.03		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,001.30	890.00	347.18	1,237.18	
(v) रान्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	3,764.88		4,332.60		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,075.76	863.13	198.38	1,061.51	
(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	524.40		1,646.04		सूचना एवं प्रसारण	30.35	28.89	0.44	29.33	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	55.65	11.19	43.94	55.13	
					श्रम एवं श्रम कल्याण	65.59	79.35	13.16	92.51	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	845.56	409.85	384.80	794.65	
					अन्य	15.22	17.77	19.57	37.34	
					आर्थिक सेवाएं	3,590.46	3,305.26	1,417.49	4,722.75	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रमलाप	1,422.49	859.60	667.36	1,526.96	
					ग्रामीण विकास	436.94	356.16	539.50	895.66	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	303.01	322.62	37.33	359.95	
					ऊर्जा	26.54	394.71	12.83	407.54	
					उद्योग एवं खनिज	64.54	35.61	41.38	76.99	
					परिवहन	1,256.76	1,288.29	64.45	1,352.74	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	6.31	2.68	4.01	6.69	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	73.87	45.57	50.65	96.22	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	9.09	9.13	-	9.13	
योग		15,711.07		17,843.45	योग	17,352.49	16,583.22	3,203.83	19,787.05	
II-प्रवर्ग-ख में लाया गया राजस्व घाटा					II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष	(-) 1,641.42			(-) 1,943.60	
योग		15,711.07		17,843.45	योग	15,711.07			17,843.45	



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्राप्तियां					संवितरण					
2013-14		2014-15			2013-14		2014-15			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग- ख-पूँजीगत										
III- स्थायी अग्रियों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष		(-) 295.05		(-) 887.30	III- भारतीय रिज़र्व बैंक से अथ अधिविकर्ष	-				
IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियां	-			650.00	IV- पूँजीगत परिव्यय	1,855.86				2,472.89
					सामान्य सेवाएं	81.02	4.40	78.41	82.81	
					सामाजिक सेवाएं	477.45	2.27	519.70	521.97	
					शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	174.22	-	130.96	130.96	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	72.91	1.27	61.00	62.27	
					जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	210.56	-	309.92	309.92	
					सूचना एवं प्रसारण	0.57	1.00	0.25	1.25	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	14.01	-	9.69	9.69	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	5.05	-	7.83	7.83	
					अन्य	0.13	-	0.05	0.05	
					आर्थिक सेवाएं	1,297.39	35.40	1,832.71	1,868.11	
					कृषि एवं संबद्ध कार्यक्रम	46.95	(-) 6.24	39.55	33.31	
					अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	-	-	0.63	0.63	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	194.22	-	506.08	506.08	
					ऊर्जा	219.75	-	308.23	308.23	
					उद्योग एवं खनिज	16.40	-	39.26	39.26	
					परिवहन	740.05	41.64	851.10	892.74	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	80.02	-	87.86	87.86	
					योग	1,855.86	42.06	2,430.83	2,472.89	
V- ऋणों एवं अग्रियों की वसूलियां		16.75		40.56	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	531.05				474.19
विद्युत परियोजनाओं से	-		-		विद्युत परियोजनाएं	467.22	-	404.11		
सरकारी कर्मचारियों से	10.33		9.40		सरकारी कर्मचारियों को	8.32	-	7.27		
सहकारिता से	4.62		28.24		सहकारिता को	-	-	44.29		
अन्य से	6.42		2.92		अन्य को	55.51	-	18.52		
VI- कम किया गया राजस्व अधिशेष		(-) 1,641.42		(-) 1,943.60	VI- कम किया गया राजस्व घाटा		-	-	-	-

प्राप्तियां					संवितरण						
2013-14		2014-15			2013-14		2014-15				
							गैर योजनागत	योजनागत	जोड़		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
VII-लोक ऋण प्राप्तियां		4,050.70		10,876.88	VII-लोक ऋण की चुकोती	1,704.27			8,259.82	8,259.82	
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	3,362.88		3,891.27		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	1,466.59		1,410.64			
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	628.57		6,680.30		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन	172.58		6,782.62			
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	59.25		125.31		केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकोती	65.20		66.56			
VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-		-	VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-			-		
IX-आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि					IX-आकस्मिकता निधि से व्यय						
X- लोक लेखा प्राप्तियां		10,300.27		10,574.80	X-लोक लेखा संवितरण	9,227.37			8,843.76	8,843.76	
लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	2,772.28		3,152.87		लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	1,885.61		1,967.70			
आरक्षित निधियां	152.59		160.73		आरक्षित निधियां	151.50		159.04			
निक्षेप एवं अग्रिम	1972.99		2,221.67		निक्षेप एवं अग्रिम	1,765.56		1,717.82			
उचन एवं विविध	498.92		487.07		उचन एवं विविध	498.39		458.64			
प्रेषण	4,903.49		4,552.46		प्रेषण	4926.31		4540.55			
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अंतशेष अधिविकर्ष					XI-अंत में रोकड़ शेष	(-) 887.30			(-) 739.32	(-) 739.32	
					खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--					
					स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.19		0.19			
					रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	(-) 887.49		(-) 739.51			
					रोकड़ शेष निवेश	-		-			
योग:		12,431.25		19,311.34	योग:	12,431.25				19,311.34	

**परिशिष्ट-1.4**

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.1.1 तथा 1.9.1; पृष्ठ 2 व 27)

भाग-ख

31 मार्च 2015 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़)

परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2014 तक	31 मार्च, 2015 तक	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	22,421.48		24,244.38
कम्पनियों, निगमों, आदि के शेयरों में निवेश	3,024.83	2,731.65	
अन्य पूंजीगत परिव्यय	19,396.65	21,512.73	
<b>ऋण तथा अग्रिम-</b>	<b>1,913.18</b>		<b>2,346.81</b>
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	1,718.38	2,122.49	
अन्य विकास ऋण	155.89	187.54	
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	38.91	36.78	
आरक्षित निधि निवेश			
<b>रोकड़ -</b>	<b>( - ) 887.30</b>		<b>( - ) 739.32</b>
खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	-		
भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप	( - ) 887.49	( - ) 739.51	
विभागीय रोकड़ शेष	0.16	0.16	
स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	
रोकड़ शेष निवेश	-	-	
<b>प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य*</b>	<b>10,914.15</b>		<b>12,857.75</b>
<b>योग</b>	<b>34,361.51</b>		<b>38,709.62</b>

\*प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है, न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे हैं।

दायित्व	31 मार्च, 2014 तक	31 मार्च, 2015 तक	
आंतरिक ऋण	22,099.33		24,657.64
ब्याज वाले बाजार ऋण	13,565.33	15,195.97	
ब्याजरहित बाजार ऋण	-	-	
भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	185.92	137.65	
नाबार्ड से ऋण	1,599.10	1,735.10	
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	50.98	62.87	
केन्द्र सरकार की एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूतियां	5,772.09	6,675.64	
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	14.05	7.02	
अन्य संस्थाओं से ऋण	911.86	843.39	
<b>केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम-</b>	<b>1,012.12</b>		<b>1,070.88</b>
आयोजनेतर ऋण	6.72	5.53	
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	1,005.27	1,065.22	
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-	
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-	
अन्य ऋण	0.13	0.13	
<b>आकस्मिकता निधि</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि	8,736.30		9,921.47
निक्षेप एवं अग्रिम	1,808.98		2,312.81
आरक्षित निधियां	226.79		228.48
उच्चत एवं विविध शेष	269.02		297.46
प्रेषण शेष	203.97		215.88
<b>योग</b>	<b>34,361.51</b>		<b>38,709.62</b>

**परिशिष्ट-1.5**

( संदर्भ: परिच्छेद 1.1.4; पृष्ठ 5 )

**लिंग बजटीकरण**

**1. 100 प्रतिशत आवंटन की सीमा तक महिलाओं के लाभार्थ स्कीमों का बजटीय आवंटन**

( ₹ करोड़ )

क्रमांक	स्कीम का नाम	वर्ष	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
			केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	2011-12	--	1.42	1.42	--	1.17
		2012-13	--	1.45	1.45	--	1.45
		2013-14	--	2.82	2.82	--	2.59
		2014-15	--	3.09	3.09	--	2.95
2	जागृति अभियान	2012-13	--	0.12	0.12	--	0.12
		2013-14	--	0.15	0.15	--	0.15
		2014-15	--	0.15	0.15	--	0.14
3	विधवा पुनर्विवाह	2011-12	--	0.31	0.31	--	0.20
		2012-13	--	0.35	0.35	--	0.26
		2013-14	--	0.37	0.37	--	0.37
		2014-15	--	0.32	0.32	--	0.37
4	महिला आयोग	2011-12	--	0.49	0.49	--	0.62
		2012-13	--	0.72	0.72	--	0.72
		2013-14	--	0.69	0.69	--	0.65
		2014-15	--	0.86	0.86	--	0.86
5	सबला पोषण	2011-12	3.21	3.21	6.42	3.21	3.21
		2012-13	6.66	3.00	9.66	6.66	3.00
		2014-15	5.33	7.81	13.14	5.67	7.81
6	सबला-गैर पोषण	2011-12	--	1.82	1.82	--	1.82
		2012-13	0.98	--	0.98	0.98	--
		2014-15	0.51	--	0.51	0.60	--
7	इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना	2011-12	2.38	--	2.38	2.38	--
		2012-13	0.65	--	0.65	0.65	--
		2014-15	2.95	--	2.95	1.81	--
8	किशोरी शक्ति योजना	2011-12	0.25	--	0.25	0.25	--
		2012-13	0.98	--	0.98	0.98	--
		2014-15	0.18	--	0.18	0.29	--
9	बलात्कार के पीड़ितों को वित्तीय सहायता	2012-13	--	0.50	0.50	--	0.50
		2013-14	--	0.98	0.98	--	0.98
		2014-15	--	0.75	0.75	--	0.75
10	नैतिक खतरे में महिलाओं को वैकल्पिक अवसर प्रदान करने के लिए स्कीम	2012-13	--	1.00	1.00	--	1.00
11	राज्य गृह/नारी सेवा सदन	2013-14	--	0.32	0.32	--	0.25
		2014-15	--	0.34	0.34	--	0.23
12	मदर टेरेसा असहाय संबल योजना	2013-14	--	5.98	5.98	--	5.73
		2014-15	--	5.19	5.19	--	5.27
13	सबला	2013-14	3.95	9.62	13.57	3.95	9.62
14	विशेष महिला उत्थान योजना	2013-14	--	0.75	0.75	--	0.15
		2014-15	--	0.75	0.75	--	0.68
15	स्वयं सेवी संगठनों को सहायता	2014-15	--	2.86	2.86	--	2.68

क्रमांक	स्कीम का नाम	वर्ष	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
			केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
16	महिला विकास निगम	2014-15	--	1.00	1.00	--	1.00
17	महिलाओं के लिए स्वरोजगार	2014-15	--	0.07	0.07	--	0.07
18	महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र	2014-15	--	0.0001	0.0001	--	--
19	बेटी है अनमोल योजना	2014-15	--	9.32	9.32	--	9.32
20	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	2014-15	0.36	--	0.36	--	--
21	माता शबरी सशक्तीकरण योजना	2013-14	--	0.66	0.66	--	0.66
		2014-15	--	0.66	0.66	--	0.66
	योग	2012-13	9.27	7.14	16.41	9.27	7.05
		2013-14	3.95	22.34	26.29	3.95	21.15
		2014-15	9.33	32.83	42.16	8.37	40.93

## 2. महिलाओं के लाभार्थ स्कीमों को आंशिक बजटीय आवंटन

क्रमांक	स्कीम का नाम	वर्ष	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
			केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	मदर टेरेसा मातृ असहाय योजना	2012-13	--	4.24	4.24	--	4.24
		2013-14	--	--	--	--	--
2	विशेष पोषण कार्यक्रम	2012-13	29.66	29.40	59.06	29.66	29.40
		2013-14	29.92	32.40	62.32	29.92	29.92
		2014-15	28.39	32.40	60.79	29.15	32.40
3	माता शबरी सशक्तीकरण योजना	2012-13	--	0.66	0.66	--	0.66
4	एकीकृत शिशु विकास स्कीम	2013-14	154.19	12.69	166.88	147.02	11.93
		2014-15	146.21	16.57	162.78	161.15	15.68
5	बाल/बालिका सुरक्षा योजना	2014-15	--	0.06	0.06	--	0.06
6	मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना	2014-15	--	5.87	5.87	--	5.37
7	एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम	2014-15	9.70	0.77	10.47	2.28	0.25
	योग	2012-13	29.66	34.30	63.96	29.66	34.30
		2013-14	184.11	45.09	229.20	176.94	41.85
		2014-15	184.30	55.67	239.97	192.58	53.76

**परिशिष्ट-1.6**

( सन्दर्भ: परिच्छेद 1.2.2; पृष्ठ 8 )

2013-14 एवं 2014-15 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

( ₹ करोड़ )

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधि का प्रत्यक्ष अंतरण ( राज्य बजट से बाहर निधियां ) ( लेखापरीक्षा किए बिना आंकड़े )			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त राशि	
		2014-15	2013-14
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	--	477.97
	<b>योग</b>	<b>--</b>	<b>477.97</b>
सर्व शिक्षा अभियान	हि0प्र0 प्राथमिक शिक्षा सोसायटी	--	114.53
	<b>योग</b>	<b>--</b>	<b>114.53</b>
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एन0आई0टी0 डी0एच0ई0	एन0आई0आई0टी0 हमीरपुर	60.00	29.00
	<b>योग</b>	<b>60.00</b>	<b>29.00</b>
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी	51.00	107.97
	<b>योग</b>	<b>51.00</b>	<b>107.97</b>
एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	--	57.15
	<b>योग</b>	<b>--</b>	<b>57.15</b>
विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज	हि0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम	16.53	20.66
	<b>योग</b>	<b>16.53</b>	<b>20.66</b>
ग्रामीण आवास आई0ए0वाई0	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	--	42.27
	<b>योग</b>	<b>--</b>	<b>42.27</b>
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	उपायुक्त	25.00	37.50
	<b>योग</b>	<b>25.00</b>	<b>37.50</b>
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	--	5.49
	<b>योग</b>	<b>--</b>	<b>5.49</b>
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	--	6.87
	<b>योग</b>	<b>--</b>	<b>6.87</b>
अस्पताल एवं औषधालय ( राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत )	हि0प्र0 में आयुष संस्थानों के विकासार्थ समिति	--	160.77
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित)	--	--
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय क्षेत्र)	--	0.46
	<b>योग</b>	<b>--</b>	<b>161.23</b>
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	--	30.49
	<b>योग</b>	<b>--</b>	<b>30.49</b>
ई-गवर्नेंस	एच.पी.एम.सी. प्रोसेस ऑटोमेशन	3.94	2.39
	<b>योग</b>	<b>3.94</b>	<b>2.39</b>

भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त राशि	
		2014-15	2013-14
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एस0टी0डी0 नियंत्रण सहित	हि0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण समिति	--	11.25
	<b>योग</b>	<b>--</b>	<b>11.25</b>
विस्तार सुधारों हेतु राज्य को सहायता	राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश	--	9.39
	<b>योग</b>	<b>--</b>	<b>9.39</b>
कपड़ा उद्योग पार्क के लिए स्कीम ( एस.आई.टी.पी. )	हिमाचल कपड़ा उद्योग पार्क सीमित	11.63	--
	<b>योग</b>	<b>11.63</b>	<b>--</b>
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	--	130.81
	<b>योग</b>	<b>--</b>	<b>130.81</b>
औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम आई आई यू एस डी आई पी पी	बददी अवसंरचना	3.91	--
	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	6.14	--
	<b>योग</b>	<b>10.05</b>	<b>--</b>
कृषि आर्थिक नीति एवं विकास अध्ययन	हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला	--	4.92
	<b>योग</b>	<b>--</b>	<b>4.92</b>
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	हिमाचल प्रदेश राज्य प्राथमिक शिक्षा सोसायटी	--	214.67
	<b>योग</b>	<b>--</b>	<b>214.67</b>
परिवहन सब्सिडी स्कीम	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	16.24	--
	<b>योग</b>	<b>16.24</b>	<b>--</b>
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला एवं भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान काउंसिल को सहायता सहित मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	10.69	--
	<b>योग</b>	<b>10.69</b>	<b>--</b>
ऑफ ग्रीड डी आर पी एस	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	16.37	--
	सुखजीत कृषि उद्योग	0.50	--
	<b>योग</b>	<b>16.87</b>	<b>--</b>
अन्य	--	56.60	206.74
	<b>योग</b>	<b>56.60</b>	<b>206.74</b>
<b>कुल योग</b>		<b>278.55</b>	<b>1,671.30</b>

स्रोत: वित्त लेखे



## परिशिष्ट-1.7

( संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.2; पृष्ठ 24 )

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्राप्ति

क्रमांक	परियोजना का नाम	अनुमानित परियोजना लागत ( ₹ करोड़ )
<b>परियोजनाएं-प्रदान की गईं, पूर्ण तथा प्रचालनाधीन</b>		
<b>परिवहन विभाग</b>		
1.	कांगड़ा बस अड्डा	9.50
2.	आई0एस0बी0टी0, शिमला	15
<b>पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग</b>		
3.	रज्जुमार्ग-सह-स्की केन्द्र, सोलांग नाला	15
<b>स्वास्थ्य विभाग/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन</b>		
4.	हिमाचल प्रदेश में आपात चिकित्सा परिवहन सेवा	100
5.	हिमाचल प्रदेश में सचल डाइग्नोस्टिक इकाइयां	5
6.	हिमाचल प्रदेश में हिमोडायलिसिस इकाइयां	5
7.	जे एस एस के ऐम्बुलेंस का संचालन एवं रखरखाव	5
<b>परियोजनाएं- प्रदान की गईं तथा कार्यान्वयनाधीन</b>		
<b>परिवहन विभाग</b>		
8.	मकलोडगंज बस अड्डा	5
<b>पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग</b>		
9.	शिवालिक से जाखू रज्जु मार्ग	12
<b>शहरी विकास विभाग</b>		
10.	पार्किंग परिसर, संजौली	25
11.	पार्किंग परिसर, छोटा शिमला	15
12.	पार्किंग परिसर, लिफ्ट	45
13.	पार्किंग परिसर, विकास नगर	10
14.	पार्किंग परिसर, पालमपुर	10
15.	पार्किंग परिसर, बिलासपुर	10
<b>राजस्व विभाग</b>		
16.	पार्किंग परिसर, मण्डी	75

स्रोत: हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड

## परिशिष्ट 1.8

( संदर्भ: परिच्छेद 1.8.3.2; पृष्ठ 26 )

31.03.2015 तक विभिन्न इकाइयों/संस्थाओं से बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष जहां से वसूलियां प्रभावित नहीं हुई	विभाग	31.03.2015 तक बकाया राशि ( ₹ )
1	6202-01-201-01-प्राथमिक शिक्षा	2001-02	निदेशक, शिक्षा	9,68,718
2	6215-01-190-नगर पालिकाओं को ऋण	2010-11	निदेशक, शहरी विकास	61,520
3	6216-80-201-01-हिमाचल प्रदेश आवासीय को ऋण	2009-10	निदेशक, आवासीय	1,16,00,496
4	6217-01-800-01-सुधार न्यास के लिए ऋण	2001-02	निदेशक, शहरी विकास	1,42,984
5	6217-60-800-01-ब्याजरहित ऋण	2008-09		2,00,00,000
6	6217-03-191-01-स्थानीय निकायों को ऋण	1995-96		3,54,657
7	6217-01-191-01-निगम को ऋण	1998-99		53,43,924
8	6225-02-796-01- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1994-95		निदेशक, सामाजिक न्याय एवं रोजगार
9	6245-01-796-01- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2003-04	राजस्व	55,294
10	6401-00-190-03-हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग पैकेजिंग सीमित को ऋण	2007-08	निदेशक, बागवानी	3,84,58,277
11	6401-00-800-02- हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय को ऋण	1992-93	निदेशक, कृषि	5,61,65,405
12	6425-00-108-01-वाहनों की खरीद	2004-05	पंजीयक, सहकारी सोसायटी	26,284
13	6425-00-108-03-मशीनरी एवं उपकरण	2004-05		33,297
14	6425-00-108-04-आवासीय सहकारिताओं को ऋण	1995-96		13,79,983
15	6425-00-108-06-मछुआरों की सहकारिताओं को ऋण	1987-88		6,85,757
16	6425-00-108-07-औद्योगिक सहकारिताओं को ऋण	1987-88		60,93,356
17	6425-00-108-08-उपभोक्ता सहकारिताओं को ऋण	1995-96		16,91,437
18	6408-01-101-01-उपार्जन एवं आपूर्ति	2005-06		निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
19	6403-00-103-01-कुक्कुट विकास	2005-06	निदेशक, पशु पालन	15,882
20	6408-01-190-01-उपभोक्ता सहकारिताओं को ऋण	2004-05	निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	22,32,523
21	6408-02-190-01-हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग	2004-05		7,28,348
22	6408-01-796-01- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2003-04		14,89,530
23	6515-00-102-01-सामुदायिक विकास	2008-09		निदेशक, पंचायती राज
24	6801-00-800-01-सामान्य प्रयोजनों के लिए विद्युत बोर्ड को ऋण	2000-01	बहुउद्देशीय परियोजना एवं विद्युत	64,30,55,132
25	6851-00-200-01-उद्यमों को ब्याजमुक्त ऋण	2007-08	निदेशक, उद्योग	61,64,372
26	7465-00- 101-01-सामान्य वित्तीय संस्थाएं	1987-88	वित्त निगम	10,00,000
<b>योग</b>				<b>79,86,54,363</b>

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) एवं वित्त लेखे

## परिशिष्ट-2.1

( संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 44 )

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जिनमें अधिक व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	व्यय आधिक्य की प्रतिशतता ( 20 प्रतिशत से अधिक )
<b>राजस्व- दत्तमत्त</b>						
1.	06	आबकारी एवं कराधान	48.54	50.11	1.57	-
2.	11	कृषि	245.92	256.80	10.88	-
3.	12	बागवानी	183.93	188.03	4.10	-
4.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,699.84	2,173.90	474.06	28
5.	23	विद्युत विकास	392.15	393.41	1.26	-
<b>राजस्व-प्रभारित</b>						
6.	29	वित्त	2,750.00	2,849.14	99.14	-
<b>पूंजीगत-दत्तमत्त</b>						
7.	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	48.94	51.34	2.40	-
8.	23	विद्युत विकास	422.95	447.76	24.81	-
<b>पूंजीगत-प्रभारित</b>						
9.	29	वित्त	7,292.98	8,259.81	966.83	-
<b>योग</b>			<b>13,085.25</b>	<b>14,670.30</b>	<b>1585.05</b>	

## परिशिष्ट-2.2

( संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ 44 )

नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य

( ₹ करोड़ )

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्याएं	आधिक्य राशि	लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने की स्थिति
2009-10	19 अनुदान  1 विनियोजन	1,2,4,5,6,7,8,10,13,14,16, 19,23,25,26,27,28,29 तथा 32  10	887.80	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेजी गई। लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/विनियमन किया जाना है।
2010-11	19 अनुदान  2 विनियोजन	1,4,5,7,9,10,11,12,13,14, 16,18,23,26,27,29,30,31 तथा 32  2 तथा 10	2237.64	
2011-12	6 अनुदान  1 विनियोजन	9,10,13,15,21 तथा 23  29	752.51	बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय/बचत आधिक्य के विनियमन पर वित्त विभाग से आत्म प्रेरित उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं। अतः लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/विनियमन किया जाना है।
2012-13	11 अनुदान  3 विनियोजन	1,2,3,10,11,13,14,18,19, 21 तथा 23  2,3 तथा 29	703.08	
2013-14	10 अनुदान  3 विनियोजन	2,3,4,5,10,13,16,17,21 तथा 28  2,7 तथा 9	474.86	
<b>योग</b>			<b>5,055.89</b>	

**परिशिष्ट-2.3**

( संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1;पृष्ठ 44 )

नियमन के लिए अपेक्षित 2014-15 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य

(₹)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
<b>राजस्व-दत्तमत्त</b>				
1.	02-राज्यपाल तथा मन्त्रि-परिषद	10,47,28,000	10,60,19,255	12,91,255
2.	06-आबकारी एवं कराधान	48,54,07,550	50,10,67,030	1,56,59,480
3.	11-कृषि	2,45,92,01,000	2,56,79,60,570	10,87,59,570
4.	12-बागवानी	1,83,92,88,383	188,03,27,073	4,10,38,690
5.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	16,99,83,56,000	21,73,90,19,337	4,74,06,63,337
6.	23-विद्युत विकास	3,92,15,48,812	3,93,40,90,790	1,25,41,978
<b>राजस्व-प्रभारित</b>				
7.	01-विधान सभा	43,41,000	43,87,530	46,530
8.	10-लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	10,13,000	10,13,092	92
9.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	-	1,00,000	1,00,000
10.	29-वित्त	27,50,00,08,000	28,49,14,12,553	99,14,04,553
11.	31-जनजातीय विकास	-	1,20,552	1,20,552
<b>पूंजीगत-दत्तमत्त</b>				
12.	01-विधान सभा	1,72,03,000	1,73,83,000	1,80,000
13.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	48,93,97,000	51,33,87,094	2,39,90,094
14.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	10,48,00,000	10,95,30,313	47,30,313
15.	29-विद्युत विकास	4,22,95,00,000	4,47,75,99,000	24,80,99,000
<b>पूंजीगत-प्रभारित</b>				
16.	29-वित्त	72,92,98,41,000	82,59,81,34,014	9,66,82,93,014
<b>योग</b>		<b>1,31,08,46,32,745</b>	<b>1,46,94,15,51,203</b>	<b>15,85,69,18,458</b> अर्थात् <b>₹ 1,585.69 करोड़</b>

## परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.3; पृष्ठ 45)  
2014-15 के दौरान प्रावधानरहित व्यय

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या व नाम	प्रावधानरहित व्यय की राशि
<b>04-सामान्य प्रशासन</b>		
1.	2075/00/101/01 (जागीरदारों को मुआवजा भुगतान)	0.06
<b>05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन</b>		
2.	2030/02/101/01 (केन्द्रीय भण्डार नासिक)	1.66
3.	2245/80/102/02 (13वें वित्तयोग के अन्तर्गत क्षमता निर्माण पर व्यय)	4.00
4.	2506/00/102/01 (मुख्यालय स्थापना)	0.01
<b>09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>		
5.	2059/01/053/50 (तेरहवें वित्तयोग के अन्तर्गत आई.जी.एम.सी. भवन का रखरखाव)	0.35
<b>10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन</b>		
6.	2059/80/053/01 (कार्य प्रभारित स्थापना)	0.04
7.	3054/03/103/01 (कार्य प्रभारित स्थापना-मशीनरी व उपस्कर)	0.20
8.	3054/03/103/03 (कार्य प्रभारित स्थापना -सड़क निर्माण कार्य)	0.03
<b>13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता</b>		
9.	4215/01/102/08 (हैण्ड पम्प)	0.46
<b>14-पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन</b>		
10.	2216/05/053/03 (अन्य रखरखाव व्यय मत्स्य पालन विभाग)	0.03
<b>15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोग</b>		
11.	3451/00/101/03 (क्षेत्रीय व जिला आयोजना स्थापना)	0.02
<b>19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>		
12.	2225/01/001/01 (निदेशालय)	0.01
<b>29-वित्त</b>		
13.	7610/00/202/01 (मोटर कार के क्रयार्थ सरकारी कर्मचारियों का ऋण)	0.02
<b>31-जनजातीय विकास</b>		
14.	2215/01/796/04, 05 व 06 (स्टॉक, स्टॉक विनिर्माण व विविध लोक निर्माण अग्रिम)	1.86
15.	2251/00/796/03 (मूलाधार सुविधाओं पर व्यय)	3.80
16.	2401/00/796/44 व 45 (तिलहन दालों, पाम आयल व मक्की एकीकृत स्कीम व राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन)	0.47
17.	2702/80/796/08, 09 व 10 (स्टॉक, स्टॉक विनिर्माण व विविध लोक निर्माण अग्रिम)	6.55
<b>32-अनुसूचित जाति उप-योजना</b>		
18.	2210/05/789/02 (सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन)	1.97
19.	2801/80/789/01 (विद्युत बोर्ड को सहायता)	12.59
20.	4215/01/789/03 व 05 (हैण्ड पम्प व त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम)	1.67
<b>योग</b>		<b>35.80</b>

स्रोत: विनियोजन लेखे

**परिशिष्ट-2.5**

( संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.4; पृष्ठ 45 )  
मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ हजार)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
<b>राजस्व-दत्तमत्त</b>					
1.	03-न्याय प्रशासन	117,79,31	114,76,72	3,02,59	1,48,99
2.	04- सामान्य प्रशासन	133,87,12	133,61,47	25,65	9,80,76
3.	05- भ राजस्व एवं जिला प्रशासन	470,58,59	457,05,67	13,52,92	22,67,84
4.	08-शिक्षा	3908,46,62	3700,75,16	207,71,46	177,65,56
5.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1120,15,06	1095,46,80	2,46,826	127,20,59
<b>पूंजीगत-दत्तमत्त</b>					
6.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	45,00,00	43,71,25	1,28,75	5,15,00
<b>योग</b>		<b>5795,86,70</b>	<b>5545,37,07</b>	<b>250,49,63</b>	<b>343,98,74 अर्थात् ₹ 343.99 करोड़</b>

## परिशिष्ट-2.6

( संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.4; पृष्ठ 45 )

विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए  
( ₹ करोड़ )

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदानों का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य
<b>राजस्व-दत्तमत्त</b>							
1.	06	आबकारी एवं कराधान	44.33	4.21	48.54	50.11	1.57
2.	11	कृषि	244.90	1.02	245.92	256.80	10.88
3.	12	बागवानी	140.74	43.19	183.93	188.03	4.10
4.	23	विद्युत विकास	337.04	55.12	392.16	393.41	1.25
<b>पूंजीगत-दत्तमत्त</b>							
5.	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	15.12	33.82	48.94	51.34	2.40
6.	23	विद्युत विकास	375.33	47.62	422.95	447.76	24.81
<b>पूंजीगत-प्रभारित</b>							
7.	29	वित्त	1,510.96	5,782.02	7,292.98	8,259.81	966.83
<b>योग</b>			<b>2,668.42</b>	<b>5,967.00</b>	<b>8,635.42</b>	<b>9,647.26</b>	<b>1,011.84</b>



**परिशिष्ट-2.7**

( संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 45 )

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

( ₹ करोड़ )

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+) / बचत (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	5	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-00-103-02 ( एन.पी. )	( - ) 15.16	1.07
2.			2030-02-101-01 ( एन.पी. )	( - ) 1.07	1.66
3.			2053-00-093-01 ( एन.पी. )	( - ) 12.62	2.22
4.			2245-80-102-02 ( एन.पी. )	( - ) 4.00	4.00
5.			2506-00-102-02 ( एन.पी. )	0.01	( - ) 1.05
6.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	2059-80-053-04 ( एन.पी. )	( - ) 10.38	1.63
7.			2059-00-053-06 ( एन.पी. )	2.19	( - ) 12.33
8.			3054-03-103-05 ( एन.पी. )	( - ) 2.53	( - ) 1.23
9.			3054-03-103-10 ( एन.पी. )	( - ) 30.03	( - ) 1.63
10.			3054-03-103-11 ( एन.पी. )	( - ) 9.91	( - ) 37.84
11.			3054-03-103-14 ( एन.पी. )	( - ) 9.99	( - ) 2.02
12.			3054-04-105-02 ( एन.पी. )	( - ) 21.50	6.66
13.			3054-04-105-06 ( एन.पी. )	( - ) 49.85	( - ) 40.00
14.			3054-04-105-07 ( एन.पी. )	( - ) 49.85	( - ) 2.93
15.			3054-80-001-01 ( एन.पी. )	( - ) 8.94	( - ) 1.32
16.			5054-04-337-02	5.00	( - ) 2.10
17.	11	कृषि	2401-00-001-02 ( एन.पी. )	( - ) 2.98	1.53
18.			2415-01-004-02	16.34	9.14
19.	12	बागवानी	2401-00-119-53	( - ) 1.77	( - ) 1.09
20.			2401-00-119-56	7.74	7.26
21.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-001-02 ( एन.पी. )	( - ) 25.14	8.19
22.			2215-01-101-02 ( एन.पी. )	9.95	1.07
23.			2215-01-101-04 ( एन.पी. )	( - ) 2.72	5.77
24.			2215-01-102-03 ( एन.पी. )	8.97	2.18
25.			2215-01-102-12 ( एन.पी. )	( - ) 15.63	77.98
26.			2702-80-001-01 ( एन.पी. )	( - ) 35.51	4.80
27.			2702-80-001-02 ( एन.पी. )	( - ) 24.42	30.08
28.			2702-80-001-06 ( एन.पी. )	( - ) 3.34	7.32
29.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यकी	2403-00-101-01 ( एन.पी. )	( - ) 7.23	( - ) 1.35
30.	29	वित्त	2049-01-101-66 ( एन.पी. )	18.76	3.34
31.			2049-01-101-67 ( एन.पी. )	28.50	3.34
32.			2049-01-101-71 ( एन.पी. )	6.72	3.34
33.			2049-01-122-01 ( एन.पी. )	15.85	7.23
34.			2049-01-200-08 ( एन.पी. )	9.99	4.80
35.			2049-03-104-01 ( एन.पी. )	( - ) 41.80	118.40
36.			2071-01-101-03 ( एन.पी. )	( - ) 115.00	186.71
37.			2071-01-102-02 ( एन.पी. )	( - ) 57.00	( - ) 109.95
38.			2071-01-105-02 ( एन.पी. )	( - ) 114.22	11.28
39.			2071-01-111-01 ( एन.पी. )	4.32	( - ) 1.24

1.	2.	3.	4.	5.	6.
40.			2071-01-115-01 (एन.पी.)	(-) 34.52	(-) 55.62
41.			2071-01-117-01 (एन.पी.)	18.14	(-) 45.27
42.			6003-00-110-01 (एन.पी.)	35.48	595.58
43.	31	जनजातीय विकास	2215-01-796-09 (एन.पी.)	(-) 4.83	1.20
44.			3054-04-796-03 (एन.पी.)	(-) 3.62	6.20
45.			3054-04-796-04 (एन.पी.)	(-) 3.59	3.72
46.			4215-01-796-14	5.77	(-) 4.15
47.			4215-01-796-14	5.77	(-) 4.25
48.			5054-03-796-02	(-) 7.92	(-) 3.44
49.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	2210-05-789-02	1.97	(-) 1.34
50.			2210-05-789-02	(-) 1.97	1.97
51.			2801-80-789-01	(-) 12.59	12.59
52.			4215-01-789-08	29.31	(-) 2.26
53.			4711-01-789-10	10.51	3.32
54.			5054-03-789-02	(-) 7.12	(-) 2.32

**परिशिष्ट-2.8**

( संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 45 )

**व्यय का तीव्र प्रवाह**

( ₹ करोड़ )

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष स्कोम/सेवा	जनवरी-मार्च 2015 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2015 में किया गया व्यय	2014-15 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2015	मार्च 2015
1.	05-भू राजस्व व जिला प्रशासन	2029-00-103-03	15.23	15.23	15.34	99	99
2.	10-लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन	4059-01-051-12	10.60	10.60	10.92	97	97
3.	10- लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन	4216-01-106-01	11.05	11.05	16.52	67	67
4.	10- लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन	5054-03-337-04	17.89	17.89	33.43	54	54
5.	10- लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन	5054-03-337-06	105.59	105.59	205.59	51	51
6.	10- लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन	5054-04-337-02 (प्रभारित)	16.08	16.08	21.49	75	75
7.	12-उद्यान	2401-00-119-56	27.50	27.50	36.03	76	76
8.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-102-12	227.34	187.65	313.26	73	60
9.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4701-20-800-02	12.47	12.47	12.47	100	100
10.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4701-21-800-01	10.34	10.34	10.44	99	99
11.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4702-00-101-06	21.68	21.68	33.60	65	65
12.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4705-00-313-01	15.29	15.29	18.74	82	82
13.	14-पशुपालन, डेरी विकास व मत्स्य पालन	2403-00-800-01	11.50	11.50	18.80	61	61
14.	23-विद्युत विकास	2801-80-101-07	330.00	330.00	330.00	100	100
15.	23- विद्युत विकास	4801-01-190-07	17.93	17.93	17.93	100	100
16.	23- विद्युत विकास	6801-00-190-02	66.01	66.01	66.01	100	100
17.	27-श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	4202-02-105-01	10.30	10.30	12.30	84	84
18.	27--श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	4201-02-105-03	14.33	14.33	19.00	75	75
19.	29-वित्त	6003-00-108-02 (प्रभारित)	32.39	32.39	32.39	100	100
20.	31-जनजातीय विकास	3054-04-796-05	43.30	43.30	49.62	87	87
21.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	2225-01-789-10	11.65	11.65	11.65	100	100
22.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	4215-01-789-08	30.23	30.23	55.71	54	54
23.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	4702-00-789-06	12.11	12.11	18.33	66	66

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

## परिशिष्ट-2.9

( संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 46 )

विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण (₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचतें	प्रतिशतता ( 20 प्रतिशत से अधिक )
<b>राजस्व-दत्तमत</b>					
1.	03	न्याय प्रशासन	119.28	4.52	
2.	04	सामान्य प्रशासन	143.68	10.06	
3.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	493.26	36.21	
4.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	799.90	9.14	
5.	08	शिक्षा	4,086.12	385.37	
6.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,247.36	151.89	
7.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	2,445.98	6.03	
8.	14	पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यकी	259.15	6.72	
9.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	58.45	11.61	
10.	16	वन एवं वन्य-प्राणी	391.16	3.39	
11.	18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	72.68	5.20	
12.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	501.11	1.06	
13.	20	ग्रामीण विकास	948.43	109.86	
14.	21	सहकारिता	34.93	5.26	
15.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	241.54	28.04	
16.	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	24.23	1.45	
17.	25	सड़क एवं जल परिवहन	176.82	1.41	
18.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	187.64	61.81	33
19.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण आयोजना तथा आवास	193.56	5.58	
20.	29	वित्त	3,546.79	581.48	
21.	30	विविध सामान्य सेवाएं	72.62	4.80	
22.	31	जनजातीय विकास	758.82	5.95	
23.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	692.60	17.15	
<b>पूंजीगत-दत्तमत</b>					
24.	04	सामान्य प्रशासन	2.00	2.00	100
25.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	50.15	6.44	
26.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	623.73	11.83	
27.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	531.72	8.96	
28.	29	वित्त	11.02	5.49	50
29.	31	जनजातीय विकास	199.81	7.17	
30.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	662.47	9.27	

## परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 47)

वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख)

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख)	अभ्यर्पण राशि (₹10 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	03	2014-00-105-04	485.00	416.40	86
2.	04	3425-60-001-02	143.00	125.48	88
3.	04	4235-02-800-03	200.00	200.00	100
4.	08	2059-01-053-70	898.00	454.18	51
5.	08	2202-01-102-01	130.00	130.00	100
6.	08	2202-01-102-02	140.00	140.00	100
7.	08	2202-01-102-03	17.00	17.00	100
8.	08	2202-02-109-05	855.00	526.00	62
9.	08	2202-02-109-06	2,937.10	2,085.77	71
10.	08	2202-02-110-01	100.00	100.00	100
11.	08	2202-04-103-05	33.00	33.00	100
12.	08	2225-03-277-06	329.00	329.00	100
13.	09	2210-06-101-05	112.88	104.76	93
14.	09	4210-03-101-01	796.00	471.60	59
15.	10	3054-04-105-03	4,161.51	4,161.51	100
16.	10	3054-04-105-05	688.78	594.66	86
17.	12	4401-00-119-04	100.00	70.00	70
18.	13	4711-01-800-16	72.81	72.81	100
19.	15	5475-00-800-05	53.00	53.00	100
20.	20	2515-00-101-09	2,544.00	1,720.00	68
21.	25	5055-00-050-03	75.00	67.50	90
22.	27	2230-03-003-09	9,900.00	5,982.92	60
23.	28	2217-80-191-04	25.00	25.00	100
24.	28	2217-80-192-10	148.54	106.56	72
25.	29	7610-00-800-04	500.00	434.86	87
26.	30	2204-00-001-02	118.50	118.50	100
27.	31	2401-00-796-45	38.20	38.20	100
28.	31	2851-00-796-01	47.93	47.93	100
29.	32	2216-03-789-02	795.00	452.80	57
30.	32	2501-06-789-02	428.00	413.97	97
31.	32	2501-06-789-03	122.00	122.00	100
32.	32	2801-80-789-01	1,259.00	1,259.00	100
33.	32	2852-00-789-01	377.00	377.00	100
34.	32	3054-04-789-01	500.00	252.69	51
योग			29,130.25 अर्थात् ₹ 291.30 करोड़	21,504.10 अर्थात् ₹ 215.04 करोड़	

## परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ:परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 47)

वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	स्कीम का नाम (लेखा शीर्षक)	अभ्यर्पण की राशि
1.	2.	3.	4.
1.	04-सामान्य प्रशासन	धर्मशाला में युद्ध स्मारक संग्रहालय (4235-02-800-03)	200.00
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
2.	08-शिक्षा	गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूल (2202-01-102-01)	130.00
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
3.	08- शिक्षा	गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूल (2202-01-102-02)	140.00
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
4.	08- शिक्षा	निजी पाठशालाओं में कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति (2202-01-102-03)	17.00
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
5.	08- शिक्षा	गैर-सरकारी सैकण्डरी स्कूल (2202-02-110-01)	100.00
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
6.	08- शिक्षा	साक्षर भारत योजना (2202-04-103-05)	33.00
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
7.	08- शिक्षा	अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति-केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (2225-03-277-06)	329.00
छात्रवृत्ति पर शून्य व्यय के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
8.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	तेरहवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अन्तर्गत सड़कों के रखरखाव पर व्यय (3054-04-105-03)	4,161.51
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
9.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	जिला कुल्लू में पलचन से ओट तक चैनलाइजेशन (4711-01-800-16)	72.81
कार्य निष्पादन न किये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
10.	15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास का निर्माण (5475-00-800-05)	53.00
भवनों के निर्माण पर शून्य व्यय के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
11.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण आयोजना तथा आवास	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना-केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (2217-80-191-04)	25.00
केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
12.	30-विविध सामान्य सेवायें	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (2204-00-001-02)	118.50
केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश के रूप में निधियां अवमुक्त न करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
13.	31-जनजातीय विकास	राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन (2401-00-796-45)	38.20
राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत अनुदान कम अवमुक्त करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
14.	31- जनजातीय विकास	उद्योग स्कीम पर व्यय (2851-00-796-01)	47.93
सामग्री की शून्य खरीद के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
15.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (2501-06-789-03)	122.00
केन्द्रीय अंश की प्राप्ति न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
16.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	विद्युत बोर्ड को सहायता (2801-80-789-01)	1,259.00
इस राशि के इक्विटी में रूपान्तरण के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
17.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	राज्य कला उद्योग के सृजन पर व्यय (2852-00-789-01)	377.00
राज्य कला उद्योग क्षेत्रों के सृजन हेतु इस राशि के पूंजीगत प्रवर्ग में हस्तान्तरण के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
<b>योग</b>			<b>7,223.95 अर्थात् ₹72.23 करोड़</b>

**परिशिष्ट-2.12**

( संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 47 )

31 मार्च 2015 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	05	2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	175.82	55.15	31
2.	08	2202-सामान्य शिक्षा	4,068.84	376.93	09
3.	09	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	976.16	95.48	10
4.	09	2211-परिवार कल्याण	267.87	56.92	21
5.	10	2059-लोक निर्माण	485.17	28.47	06
6.	10	3054-सड़कें एवं पुल	1,949.54	232.34	12
7.	13	2702-लघु सिंचाई	512.11	49.78	10
8.	20	2505-ग्रामीण रोजगार	402.26	20.17	5
9.	20	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	489.99	77.54	16
10.	22	2408-खाद्य भंडारण एवं भाण्डागारण	227.48	24.34	11
11.	23	6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	227.51	55.72	24
12.	27	2230-श्रम एवं रोजगार	149.90	61.58	41
13.	29	2049-ब्याज भुगतान	2,750.00	59.54	02
14.	29	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3,496.08	428.49	12
15.	31	3054-सड़कें एवं पुल	157.34	13.70	09
16.	32	2801-विद्युत	12.59	12.59	100
<b>योग</b>			<b>16,348.66</b>	<b>1,648.74</b>	

## परिशिष्ट-2.13

( संदर्भ: परिच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 49 )  
निधियों को सरकारी लेखों के बाहर रखना

( ₹ लाख)

क्रमांक	विभाग/कार्यालय	आहत राशि	उद्देश्य	आहरण का वर्ष	अप्रयुक्त राशि	बैंक का नाम जहां निधियों को रखा गया था	विभागों द्वारा बताए गए कारण
<b>महिला एवं बाल विकास विभाग</b>							
1.	निदेशक, महिला एवं बाल विकास शिमला	61.32	बर्तनों की खरीद	2007-08	61.32	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, कसुम्पटी, शिमला	आपूर्ति कर्ता द्वारा पहले तो आपूर्ति आदेश पूर्ण न किये जाने एवं तत्पश्चात दर संविदा को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।
2.		37.67	शिशु विद्यालय किट	2012-13	37.67	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शिमला ईस्ट	यह शेष राशि किट को निम्न दर पर प्राप्त करने के कारण है।
3.		14.56	पानी की टंकी	2013-14	14.56	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शिमला ईस्ट	कांगडा एवं चम्बा के जिला कार्यक्रम अधिकारि द्वारा अपूर्ण आपूर्ति आदेश जारी किये जाने के कारण राशि प्रयुक्त नहीं की जा सकी।
<b>ग्रामीण विकास विभाग</b>							
4.	खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू	1.12	महिला मण्डलों को प्रोत्साहन अनुदान	2013-14	1.12	पंजाब नेशनल बैंक, कुल्लू	महिला मण्डलों की प्रोत्साहन सूची को अन्तिम रूप प्रदान न किये जाने के कारण राशि प्रयुक्त नहीं की जा सकी।
5.	खण्ड विकास अधिकारी, कल्पा स्थित रिकांगपिओ	3.04	संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना ( अब निर्मल भारत अभियान)	2012-13 एवं 2013-14	3.04	हिमाचल ग्रामीण बैंक, रिकांगपियो एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, रिकांगपियो	महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना के लिए महिला मण्डलों के चयन हेतु पात्र दावों की अपेक्षित संख्या प्राप्त न होने के कारण राशि प्रयुक्त नहीं की जा सकी।
<b>योग</b>		<b>117.71</b>			<b>117.71</b>		



**परिशिष्ट-2.14**

( संदर्भ: परिच्छेद 2.4; पृष्ठ 49 )

(i) 2010-15 के लिए सार आकस्मिक तथा विस्तृत आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा

( ₹ करोड़ )

वर्ष	सार आकस्मिक बिल		विस्तृत आकस्मिक बिल		सार आकस्मिक बिलों की प्रतिशतता के रूप में विस्तृत आकस्मिक बिल	बकाया सार आकस्मिक बिल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि
2010-11	22	3.77	2	0.0023	9	20	3.77
2011-12	9	3.49	-	-	-	9	3.49
2012-13	30	15.39	-	-	-	30	15.39
2013-14	23	5.53	-	-	-	23	5.53
2014-15	68	19.60	32	1.83	47	36	17.77
<b>योग</b>	<b>152</b>	<b>47.78</b>	<b>34</b>	<b>1.83</b>		<b>118</b>	<b>45.95</b>

(ii) सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन की विभागवार स्थिति

( ₹ )

क्रमांक	विभाग	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	राशि
1.	आयुर्वेद	65	19,73,05,265
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	38	25,89,71,669
3.	श्रम एवं रोजगार	4	11,500
4.	स्वास्थ्य सुरक्षा व विनियमन	4	20,200
5.	भाषा एवं संस्कृति	1	18,20,000
6.	युवा सेवाएं व क्रीड़ा	1	12,00,000
7.	अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध क्रीड़ा सेवा संस्थान, मनाली	1	29,000
8.	भू-अभिलेख	1	51,040
9.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	1	50,000
10.	सचिवालय प्रशासन	1	26,000
11.	महिला एवं बाल विकास	1	20,000
	<b>योग</b>	<b>118</b>	<b>45,95,04,674 अर्थात् ₹ 45.95 करोड़</b>

स्रोत: विभागों द्वारा आपूर्ति सूचना से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े।

## परिशिष्ट-2.15

( संदर्भ: परिच्छेद 2.5; पृष्ठ 50 )

31 मार्च 2015 को पी.डी.ए. में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी

(₹)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
1.	2.	3.	4.	5.
1	8229/110	विद्युत विकास निधि	एन.जे.पी.सी. सी.टी.ओ. (02)	217,74,77,720
2	8443/106	व्यक्तिगत जमा	हि.प्र. उच्च न्यायालय, शिमला (52)	37,27,103
3	8443/106	व्यक्तिगत जमा	आई.जी.एम.सी., शिमला (53)	14,55,800
4	8443/106	व्यक्तिगत जमा	इन्दिरा गांधी युवा व क्रीड़ा परिसर (54)	20,14,475
5	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक (बेतार), राजधानी शिमला (18)	39,79,182
6	8443/110	पुलिस निधि जमा	पी.टी.एस., जुंगा (14)	30,61,024
7	8443/110	पुलिस निधि जमा	डॉ.आई.जी. (पी.) ट्रेनिंग, ड्रोह (12)	6,44,541
8	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, चंबा (09)	19,08,380.93
9	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, ऊना (07)	1,63,64,260
10	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, मण्डी (01)	44,73,941
11	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, नाहन (03)	59,61,505
12	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर (04)	42,07,217
13	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, कुल्लू (05)	13,80,625
14	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, सोलन (08)	45,91,205
15	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, कांगडा स्थित धर्मशाला (10)	79,21,595
16	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, शिमला (13)	56,34,964
17	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, केलांग (15)	17,20,680
18	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर (16)	73,44,997
19	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, किन्नौर (17)	30,43,540
20	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगर निगम, शिमला (42)	5,39,021
21	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.पी. सन्तोखगढ़ (23)	5,506.17
22	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.ए.सी., चुवाड़ी (26)	55,158
23	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.ए.सी., सुजानपुर (13)	6,320
24	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, हमीरपुर (14)	8,33,275
25	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, भोटा	29
26	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, मण्डी (01)	7,17,174.71
27	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, सुन्दरनगर (02)	7,366.24
28	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, काल्पा (46)	83,960
29	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, केलांग (48)	15,524
30	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., बल्ह, नेर चौक (74)	4,24,40,000
31	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पूह (70)	3,08,950
32	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., निचर (71)	3,22,305
33	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., भवारना (39)	3,99,94,323
34	8448/109	पंचायत निकाय निधि	जिला परिषद, धर्मशाला (66)	7,716
35	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., आनी (64)	1,00,17,818
36	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., ऊना (26)	3,03,76,623
37	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., गगरेट (27)	1,26,37,211
38	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., बंगाणा (28)	1,23,78,412
39	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., अम्ब (29)	1,63,55,095
40	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कांगडा (30)	1,18,51,548
41	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नगरोटा बगवान (31)	1,73,70,676
42	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., रायत (32)	3,02,45,474
43	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नूरपुर (33)	51,08,095
44	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., इन्दौरा (34)	2,81,01,424
45	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., परगपुर (36)	4,78,60,031
46	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नगरोटा सूरियां (37)	1,28,05,427
47	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पंचरुखी (38)	1,20,58,244
48	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., बैजनाथ (40)	2,00,00,000

1.	2.	3.	4.	5.
49	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., लम्बागाँव (41)	1,52,59,031
50	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., भटियात (55)	2,56,17,385
51	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सलूणी (56)	2,47,58,408.29
52	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., बिलासपुर (57)	2,28,43,596
53	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., झण्डूता (58)	1,57,25,863
54	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., धुमारवी (59)	2,64,25,000
55	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., केलांग (60)	1,18,04,024
56	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कुल्लू (61)	4,71,38,078
57	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नग्गर (62)	51,53,200
58	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., बंजार (63)	2,01,00,000
59	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नाहन (16)	1,53,24,675.51
60	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पाँवटा (17)	4,07,44,000
61	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सोलन (21)	55,08,829.32
62	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कुनिहार (22)	1,36,681
63	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., धर्मपुर (23)	60,00,000
64	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., रोहड़ू (46)	1,00,00,000
65	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चौतडा (06)	2,04,59,171
66	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., करसोग (07)	2,91,88,000
67	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., गोपालपुर (09)	1,61,80,438
68	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सुन्दरनगर (10)	3,65,57,013
69	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., हमीरपुर (11)	47,00,000
70	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सुजानपुर (12)	54,18,177
71	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नादौन (13)	1,09,89,235
72	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., भौरंज (14)	53,59,619
73	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., गोहर (72)	1,50,00,000
74	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सदर मण्डी (01)	4,00,16,451
75	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., द्रंग (04)	2,11,87,966
76	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सिराज (05)	4,70,57,000
77	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., जुब्बल (48)	2,04,20,789
78	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चड़गाँव (49)	4,30,41,180
79	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पांगी (50)	1,91,30,587
80	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चम्बा (51)	2,21,67,975.76
81	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., मेहला (52)	3,87,50,971
82	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., तीस्सा (53)	4,65,07,763
83	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कल्पा (67)	5,72,525
84	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कण्डाघाट (24)	75,00,001
85	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., शिलाई (18)	3,23,81,528
86	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., संगराह (19)	2,50,00,000
87	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पछाड (20)	1,01,00,292
88	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., देहरा (35)	3,16,00,000
89	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नारकण्डा (42)	3,32,22,267
90	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चौपाल (43)	2,50,00,000
91	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., रामपुर (45)	2,65,00,000
92	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., मशोबरा (47)	3,02,00,000
93	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., भरमौर (54)	2,99,00,000
94	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., निरमण्ड (65)	1,10,00,000
95	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, एम.एस.एम.एल.एम. कॉलेज, सुन्दरनगर (19)	56,180
96	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, डी.ए.वी. कॉलेज, कोटखाई (01)	71,114
97	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, आर्य महाविद्यालय, नूरपुर (09)	4,10,004

1.	2.	3.	4.	5.
98	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, एम.एस.एम.एल. कॉलेज, थुरल (08)	2,66,765
99	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, एस.वी.एस.डी. कॉलेज, भटौली (18)	2,09,052
100	8443/106	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा निदेशक, सुन्दरनगर (73)	5,000
101	8229/103	कृषि विकास निधि	शिमला	68,305
102	8443/110	पुलिस जमा निधि	कमाण्डेण्ट, द्वितीय वाहिनी, धर्मशाला	1,74,323
103	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.ए.सी., जुब्बल	86,972
104	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एम.सी., नादौन	6,307
105	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.ए.सी., अर्की	19,989
106	8448/108	राज्य आवास बोर्ड निधि	शिमला	15,050
107	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चच्योट	27,500
108	8448/106	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निधि	शिमला	9,90,533
109	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., रिवालसर	18,139
110	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य पं.ए.एस. कॉलेज, सुन्दरनगर	15,850
111	8449/120	विविध जमा	उपमण्डल अधिकारी (सिविल) नाहन	2,650
112	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., ठियोग	4,45,264
113	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य नेशनल कॉलेज, अम्ब	81,768
			<b>योग</b>	<b>361,00,33,946</b>
				<b>अर्थात्</b>
				<b>₹ 361.00 करोड़</b>

**परिशिष्ट-3.1**

( संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 57 )

31 मार्च 2015 को बकाया पड़े प्रयुक्ति प्रमाण पत्र

( ₹ लाख )

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाण पत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	2011- संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधान सभाएं	2013-14	1	8.23	-	-
		<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>8.23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2	2029-भू-राजस्व	2013-14	10	183.00	10	183.00
		<b>योग</b>	<b>10</b>	<b>183.00</b>	<b>10</b>	<b>183.00</b>
3	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2012-13	4	73.50	-	-
		2013-14	9	114.36	-	-
		<b>योग</b>	<b>13</b>	<b>187.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4	2055- पुलिस	2013-14	1	10.00	1	10.00
		<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>10.00</b>	<b>1</b>	<b>10.00</b>
5	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2013-14	18	305.00	-	-
		<b>योग</b>	<b>18</b>	<b>305.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6	2075- - विविध सामान्य सेवाएं	2012-13	1	14.73	-	-
		2013-14	15	158.48	3	125.27
		<b>योग</b>	<b>16</b>	<b>173.21</b>	<b>3</b>	<b>125.27</b>
7	2202- सामान्य शिक्षा	2010-11	182	83.91	-	-
		2012-13	11,032	26,422.03	167	91.26
		2013-14	22,638	29,184.93	9,414	24,965.94
		<b>योग</b>	<b>33,852</b>	<b>55,690.87</b>	<b>9,581</b>	<b>25,057.20</b>
8	2203-तकनीकी शिक्षा	2012-13	6	91.00	-	-
		2013-14	3	48.00	3	48.00
		<b>योग</b>	<b>9</b>	<b>139.00</b>	<b>3</b>	<b>48.00</b>
9	2204- खेल एवं युवा सेवाएं	2012-13	42	453.64	-	-
		2013-14	31	480.45	12	51.29
		<b>योग</b>	<b>73</b>	<b>934.09</b>	<b>12</b>	<b>51.29</b>
10	2205- कला एवं संस्कृति	2010-11	104	211.21	-	-
		2011-12	113	222.81	-	-
		2012-13	168	271.43	168	271.43
		2013-14	161	363.76	161	363.76
		<b>योग</b>	<b>546</b>	<b>1,069.21</b>	<b>329</b>	<b>635.19</b>
	<b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य</b>					
11	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2011-12	1	170.00	1	170.00
		2012-13	7	641.59	3	300.00
		2013-14	777	4,647.95	470	1,822.09
			<b>785</b>	<b>5,459.54</b>	<b>474</b>	<b>2,292.09</b>
12	2211- परिवार स्वास्थ्य	2013-14	9	4,816.54	9	4,816.54
			<b>9</b>	<b>4,816.54</b>	<b>9</b>	<b>4,816.54</b>
	<b>योग ( चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य )</b>		<b>794</b>	<b>10,276.08</b>	<b>483</b>	<b>7,108.63</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>शहरी विकास</b>					
13	2217- शहरी विकास	2008-09	12	2,192.49	4	465.33
		2009-10	14	6,055.65	14	6,055.65
		2010-11	20	2,953.06	20	2,953.06
		2011-12	20	4,422.65	20	4,422.65
		2012-13	34	11,736.91	34	11,736.91
		2013-14	53	26,724.59	53	26,724.59
			<b>153</b>	<b>54,085.35</b>	<b>145</b>	<b>52,358.19</b>
14	3054- सड़क एवं पुल	2008-09	2	600.00	2	600.00
		2010-11	2	276.00	2	276.00
		2011-12	1	600.00	1	600.00
		2012-13	1	600.00	1	600.00
		2013-14	1	600.00	1	600.00
			<b>7</b>	<b>2,676.00</b>	<b>7</b>	<b>2,676.00</b>
	<b>योग ( शहरी विकास )</b>		<b>160</b>	<b>56,761.35</b>	<b>152</b>	<b>55,034.19</b>
	<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>					
15	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	2011-12	14	1,003.50	13	1,003.30
		2012-13	35	1,434.57	29	1,431.11
		2013-14	35	630.60	35	630.60
			<b>84</b>	<b>3,068.67</b>	<b>77</b>	<b>3,065.01</b>
16	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2008-09	54	380.17	44	366.60
		2009-10	44	361.56	38	156.45
		2010-11	144	985.42	84	493.74
		2011-12	459	795.13	431	716.02
		2012-13	526	1,717.97	353	839.14
		2013-14	676	2,450.70	545	2,102.09
			<b>1,903</b>	<b>6,690.95</b>	<b>1,495</b>	<b>4,674.05</b>
	<b>योग ( सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता )</b>		<b>1,987</b>	<b>9,759.62</b>	<b>1,572</b>	<b>7,739.06</b>
17	2230- श्रम एवं रोजगार	2013-14	1	5.00	-	-
		<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>5.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं</b>					
18	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2009-10	1	3.66	-	-
		2010-11	1	7.65	-	-
		2011-12	1	5.00	1	5.00
		2012-13	2	75.00	2	75.00
		2013-14	5	79.30	4	54.30
			<b>10</b>	<b>170.61</b>	<b>7</b>	<b>134.30</b>
19	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2009-10	1	49.00	1	49.00
		2010-11	1	57.22	1	57.22
		2011-12	2	48.49	-	-
		2012-13	3	231.00	1	3.00
		2013-14	4	46.00	4	46.00
			<b>11</b>	<b>431.71</b>	<b>7</b>	<b>155.22</b>
	<b>योग ( सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं )</b>		<b>21</b>	<b>602.32</b>	<b>14</b>	<b>289.52</b>
20	2401- कृषि कर्म	2011-12	22	625.33	22	625.33
		2012-13	32	1,321.51	32	1,321.51
		2013-14	45	3,357.76	43	2,216.79
		<b>योग</b>	<b>99</b>	<b>5,304.60</b>	<b>97</b>	<b>4,163.63</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
21	2403- पशुपालन	2011-12	3	136.91		
		2012-13	30	2,379.66	30	2,379.66
		2013-14	30	2,457.92	30	2,457.92
		<b>योग</b>	<b>63</b>	<b>4,974.49</b>	<b>60</b>	<b>4,837.58</b>
22	2404- डेयरी विकास	2013-14	9	1,400.00	9	1,400.00
		<b>योग</b>	<b>9</b>	<b>1,400.00</b>	<b>9</b>	<b>1,400.00</b>
23	2405- मत्स्य पालन	2011-12	1	0.80	-	-
		2012-13	18	33.75	10	7.95
		2013-14	20	641.23	5	39.30
		<b>योग</b>	<b>39</b>	<b>675.78</b>	<b>15</b>	<b>47.25</b>
24	2408- खाद्य भंडारण एवं भाण्डागारण	2010-11	1	2.49	1	2.49
		2011-12	8	20.40	8	20.40
		2012-13	12	26.99	12	26.99
		2013-14	18	33.50	18	33.50
		<b>योग</b>	<b>39</b>	<b>83.38</b>	<b>39</b>	<b>83.38</b>
25	2425- सहकारिता	2012-13	59	99.94	12	15.68
		2013-14	56	174.52	37	106.45
		<b>योग</b>	<b>115</b>	<b>274.46</b>	<b>49</b>	<b>122.13</b>
<b>ग्राम्य विकास</b>						
26	2216-आवास	2007-08	2	25.28	-	-
		2008-09	18	398.59	-	-
		2009-10	93	515.60	93	515.60
		2010-11	58	1,104.70	58	1,104.70
		2011-12	48	982.56	17	281.13
		2012-13	89	1,649.68	84	1,574.00
		2013-14	109	2,640.01	102	2,391.29
			<b>417</b>	<b>7,316.43</b>	<b>354</b>	<b>5,866.72</b>
27	2501- विशेष कार्यक्रम	2008-09	18	141.53	18	141.53
		2009-10	20	366.13	20	366.13
		2010-11	27	561.99	27	561.99
		2011-12	61	1,648.71	61	1,648.71
		2012-13	87	983.69	81	739.07
		2013-14	63	1,396.65	58	1,364.14
			<b>276</b>	<b>5,098.71</b>	<b>265</b>	<b>4,821.59</b>
28	2505- ग्रामीण रोजगार	2008-09	2	816.89	2	816.89
		2009-10	2	224.04	2	224.04
		2011-12	9	284.86	9	284.86
		2012-13	17	3,911.91	17	3,911.91
		2013-14	14	4,996.53	14	4,996.53
			<b>44</b>	<b>10,234.23</b>	<b>44</b>	<b>10,234.23</b>
29	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2008-09	162	1,908.92	162	1,645.69
		2009-10	337	9,042.51	337	9,042.51
		2010-11	397	10,531.28	397	10,531.28
		2011-12	353	19,652.67	353	19,652.67
		2012-13	1,624	22,348.42	412	19,172.34
		2013-14	395	27,717.68	395	27,717.68
			<b>3,268</b>	<b>90,938.25</b>	<b>2,056</b>	<b>87,762.16</b>
<b>योग ( ग्राम्य विकास )</b>			<b>4,005</b>	<b>1,13,587.62</b>	<b>2,719</b>	<b>1,08,684.70</b>
30	2801- विद्युत	2011-12	2	212.00	2	212.00
		2013-14	5	1,944.00	2	1,876.50
		<b>योग</b>	<b>7</b>	<b>2,156.00</b>	<b>4</b>	<b>2,088.50</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	2810- ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोत	2013-14	2	50.00	2	50.00
		<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>50.00</b>	<b>2</b>	<b>50.00</b>
32	2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2009-10	45	332.81	-	-
		2010-11	49	679.49	-	-
		2011-12	64	844.15	26	361.69
		2012-13	71	1,596.75	52	705.10
		2013-14	109	2,513.72	102	2,276.82
		<b>योग</b>	<b>338</b>	<b>5,966.91</b>	<b>180</b>	<b>3,343.62</b>
33	3055- पथ परिवहन	2013-14	1	3,500.00	-	-
		<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>3,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2012-13	3	7.88	-	-
		2013-14	7	42.15	7	42.15
		<b>योग</b>	<b>10</b>	<b>50.03</b>	<b>7</b>	<b>42.15</b>
35	3452- पर्यटन	1998-99	1	7.00	-	-
		2010-11	7	74.51	7	74.51
		2011-12	16	706.62	16	706.62
		2012-13	12	1,000.68	12	1,000.68
		2013-14	12	1,995.06	12	1,995.06
		<b>योग</b>	<b>48</b>	<b>3,783.87</b>	<b>47</b>	<b>3,776.87</b>
36	3604- स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	2012-13	24	717.57	24	717.57
		2013-14	48	909.03	48	909.03
		<b>योग</b>	<b>72</b>	<b>1,626.60</b>	<b>72</b>	<b>1,626.60</b>
37	2406-वन एवं वन्य जीव (वन लेखे)	2011-12	2	44.47	1	18.11
		2012-13	22	295.87	11	171.36
		2013-14	166	1,391.23	41	570.36
		<b>योग</b>	<b>190</b>	<b>1,731.57</b>	<b>53</b>	<b>759.84</b>
38	2415-कृषि अनुसंधान व शिक्षा (वन लेखे)	2011-12	23	4,668.53	1	10.00
		2012-13	22	4,838.93	1	321.00
		2013-14	40	15,443.01	24	11,145.75
		<b>योग</b>	<b>85</b>	<b>24,950.47</b>	<b>26</b>	<b>11,476.75</b>
39	2250-अन्य सामाजिक समुदाय	2013-14	1	53.82	-	-
		<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>53.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40	3425-अन्य वैज्ञानिक	2013-14	17	372.31	-	-
		<b>योग</b>	<b>17</b>	<b>372.31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>सकल योग</b>			<b>42,642</b>	<b>3,06,548.49</b>	<b>15,539</b>	<b>2,38,739.38</b>



## परिशिष्ट - 3.2

( संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 58 )

स्वायत्त निकायों का निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब ( महीनों में )	अवधि जब तक पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि
1.	हि0प्र0 राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, शिमला	मई 2009	2013-14	1½ महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
2.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, शिमला	मई 2009	2013-14	--	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
3.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, रामपुर	मई 2009	2013-14	3 महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
4.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, कांगडा	मई 2009	2013-14	1½ महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
5.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, नाहन	मई 2009	2013-14	2 महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
6.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	मई 2009	2013-14	2 महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
7.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, सोलन	मई 2009	2013-14	1 महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
8.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, मण्डी	मई 2009	2013-14	1½ महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
9.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, ऊना	मई 2009	2013-14	2 महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
10.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, चम्बा	मई 2009	2013-14	½ महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
11.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, कुल्लू	मई 2009	2013-14	1 महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
12.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	मई 2009	2013-14	--	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
13.	हि0प्र0 भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड, शिमला	2009-10 से आगे	2012-13	12 महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
14.	हि0प्र0 राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06	2014-15	-	2014-15	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं

## परिशिष्ट- 3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ 59)

चोरी, दुर्विनियोजन/हानि, आदि के मामलों का विभागबद्ध तथा अवधिबद्ध ब्योरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए
1.	शिक्षा	02	2.55	01	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	03	3.48
2.	ग्राम्य विकास	-	-	02	4.68	-	-	-	-	-	-	-	-	02	4.68
3.	कृषि	-	-	01	9.20	-	-	01	0.26	-	-	-	-	02	9.46
4.	उद्यान	01	1.54	01	0.06	-	-	01	1.29	-	-	-	-	03	2.89
5.	भू-राजस्व	-	-	-	-	-	-	-	-	01	2.57	-	-	01	2.57
6.	पुलिस	01	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.08
7.	मत्स्यपालन	01	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	1.28
8.	राजस्व	-	-	-	-	01	0.31	-	-	-	-	01	0.02	02	0.33
9.	गृह रक्षा	-	-	-	-	02	25.37	-	-	-	-	01	0.05	03	25.42
10.	पशुपालन	-	-	-	-	01	0.17	-	-	-	-	02	0.93	03	1.10
11.	आयोजना निदेशक	-	-	01	2.97	-	-	-	-	-	-	-	-	01	2.97
12.	स्वास्थ्य	-	-	01	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.95
13.	वन	01	0.63	-	-	01	2.38	-	-	-	-	02	0.40	04	3.41
14.	लोक निर्माण	-	-	-	-	02	5.27	05	3.21	01	0.55	07	2.14	15	11.17
15.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	-	-	01	0.89	02	0.27	02	7.75	-	-	-	-	05	8.91
	<b>योग:</b>	<b>06</b>	<b>6.08</b>	<b>08</b>	<b>19.68</b>	<b>09</b>	<b>33.77</b>	<b>09</b>	<b>12.51</b>	<b>02</b>	<b>3.12</b>	<b>13</b>	<b>3.54</b>	<b>47</b>	<b>78.70</b>

सी: मामलों की संख्या

ए: राशि (₹ लाख में)

### परिशिष्ट-3.4

( संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ 59 )

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/श्रेणीबद्ध ब्यौरा

(₹ लाख)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
शिक्षा	02	1.60	01	1.88	03	3.48
ग्राम्य विकास	02	4.68	00	00	02	4.68
कृषि	00	00	02	9.46	02	9.46
भू-राजस्व	00	00	01	2.57	01	2.57
उद्यान	01	0.06	02	2.83	03	2.89
मत्स्यपालन	01	1.28	00	00	01	1.28
पुलिस	00	00	01	0.08	01	0.08
राजस्व	01	0.31	01	0.02	02	0.33
गृह रक्षा	00	00	03	25.42	03	25.42
पशुपालन	01	0.17	02	0.93	03	1.10
आयोजना निदेशक	01	2.97	00	00	01	2.97
स्वास्थ्य	00	00	01	0.95	01	0.95
वन	00	00	04	3.41	04	3.41
लोक निर्माण	02	0.77	13	10.40	15	11.17
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	01	0.25	04	8.66	05	8.91
<b>योग:</b>	<b>12</b>	<b>12.09</b>	<b>35</b>	<b>66.61</b>	<b>47</b>	<b>78.70</b>

## परिशिष्ट-3.5 (क)

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 60)

2014-15 के दौरान लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्ति	प्रतिशतता
1.	0029 भू राजस्व	13.82	16.88	81.87
2.	0045 पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	257.96	365.02	70.67
3.	0049 ब्याज प्राप्तियां	61.66	100.93	61.09
4.	0057 आपूर्ति एवं निपटान	0.06	0.06	100
5.	0058 लेखन सामग्री एवं मुद्रण	4.11	7.79	52.76
6.	0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	26.64	35.57	74.89
7.	0210 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	3.00	3.35	89.55
8.	0217 नगर विकास	9.05	9.05	100
9.	0230 श्रम एवं रोजगार	4.70	7.82	60.10
10.	0235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.82	5.78	66.09
11.	0250 अन्य सामाजिक सेवाएं	0.13	0.13	100
12.	0406 वानिकी एवं वन्य प्राणी	71.31	115.78	61.59
13.	0425 सहकारिता	8.26	8.67	95.27
14.	0506 भूमि सुधार	0.27	0.27	100
15.	0515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1.82	2.50	72.80
16.	0575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.49	0.49	100
17.	0801 विद्युत	1,121.51	1,121.51	100
18.	0852 उद्योग	4.08	4.08	100
19.	1054 सड़कें व पुल	10.58	12.03	87.95
20.	1055 पथ परिवहन	1.32	1.32	100
21.	1452 पर्यटन	0.56	0.60	93.33
<b>योग</b>		<b>1,605.15</b>	<b>1,819.63</b>	<b>88.22</b>

**परिशिष्ट-3.5 (ख)**

(संदर्भ परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 60)

क: 2014-15 के दौरान लघु शीर्ष 800- 'अन्य व्यय' के अंतर्गत राजस्व व्यय का विवरण

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष		लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	लघु शीर्ष-800 सहित कुल व्यय	प्रतिशतता
1.	2075	विविध सामान्य सेवाएं	22.70	23.05	98.48
2.	2211	परिवार कल्याण	131.26	238.82	54.96
3.	2407	पौधरोपण	0.88	0.93	94.62
योग			<b>154.84</b>	<b>262.80</b>	<b>58.92</b>

ख: 2014-15 के दौरान लघु शीर्ष 800- 'अन्य व्यय' के अंतर्गत पूंजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष		लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	लघु शीर्ष 800 सहित कुल व्यय	प्रतिशतता
1.	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3.00	3.00	100
2.	4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	6.25	7.83	79.82
3.	4701	मध्यम सिंचाई	22.91	30.60	74.87
4.	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजना	241.06	327.72	73.56
5.	4851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	24.39	39.26	62.12
6.	5452	पर्यटन	2.20	2.22	99.10
7.	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	85.64	85.64	100
योग			<b>385.45</b>	<b>496.27</b>	<b>77.67</b>

## परिशिष्ट-4

## शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके तथा अन्य चालू कीमतों पर अन्य सभी कारकों से उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की मूल्य-सापेक्षता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होगी।
4.	विकास व्यय	व्यय के आंकड़ों को विकास एवं गैर विकास व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखों, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय का निर्माण करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।
5.	ऋण धारणीयता	ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।
6.	गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें।
7.	उधार निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उस सीमा को इंगित करता है जिसके लिए ऋण प्राप्तियों का निवल उधार निधियों की उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग किया जाता है।
8.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें।
9.	गारंटियां	गारंटियां कर्जदार, जिसकी गारंटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
2015  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.aghp.cag.gov.in](http://www.aghp.cag.gov.in)